हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

5 सितम्बर, 1984

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

बुधवार, 5 सितम्बर, 1984

विशय सूची

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3)22
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(3)39
ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाना	(3)42
वैयक्तिक स्पश्टीकरण –	
(i) श्री लछमन सिंह द्वारा	(3)42
(ii) मुख्यमंत्री द्वारा	(3)45
विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)	(3)50
वैयक्तिक स्पश्टीकरण –	
चौ. तैय्यब हुसैन द्वारा	(3)51
वैयक्तिक स्पश्टीकरण –	

श्रीमती चन्द्रावती द्वारा	(3)55
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –	
कम वर्शा, जले ट्रांसफार्मरों, बिजली की अनियमित सप्लाई आदि से हरियाणा में तथा विशेशतया जिला कुरूक्षेत्र में उत्पन्न हुई स्थिति संबंधी	(3)55
वक्तव्य –	
सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उपर्युक्त व्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी	(3)56
सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र	(3)63
बिल्ज –	
(i) दि पैप्सू टैनैंसी एण्ड ऐग्रीकल्चरल लैंडज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1984	(3)63
(ii) दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1984	(3)76
बैठक का समय बढ़ाना	(3)80
दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)	(3)80

वैयक्तिक स्पश्टीकरण –	
चौ. तैय्यब हुसैन द्वारा	(3)85
दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)	(3)86
बैठक का समय बढ़ाना	(3)87
दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)	(3)87
बैठक का समय बढ़ाना	(3)90
दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)	(3)91

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 5 सितम्बर, 1984

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह)

ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होगें।

श्रीमती चन्द्रावतीः जनाब स्पीकर साहब, क्वैश्चनज के बारे में मेरी एक अर्ज है। परसों सोमवार को आपने मेरे क्वैश्चन को पोस्टपोन किया था और कल मैं दिल्ली चली गई थी क्योंकि मेरे लीडर ने मुझे बुलाया था और सैशन के टाईम पर मैं दिल्ली से वापिस नहीं आ सकी। कल मेरी गैर–हाजरी में आपने मेरे बारे में कुछ कहा जिसके लिए ट्रिब्यून अखबार ने आज लिखा है "Chandrawati gets drubbing"। स्पीकर साहब मेरी गैरहाजरी में मेरे बारे में आपने क्या कहा उस बारे में आपसे जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि मेरे बारे में अखबार में इस हैडिंग के तहत कुछ

आया है। उस दिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया था इसलिए जनाब ने कंविन्स होकर उस क्वैश्चन को पोस्टपोन किया था। मेरे सवाल का जवाब गवर्नमैंट देगी या कोई और देगा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। (विघ्न) माफ करना, मुझे झूठी गालियां देते हैं। मेरे भाई का कोई कंविक्शन नहीं हुआ। वह सुप्रीम कोर्ट से छुटा है।

श्री अध्यक्ष: यह क्वैश्चन आवर है, जीरो आवर नहीं है। जो बात आपने पूछनी चाही थी उसी तक सीमित रहिए।

श्रीमती चन्द्रावती: * * * *

श्री अध्यक्ष: यह कुछ नहीं लिखा जाएगा।

श्रीमती चन्द्रावती: * * * *

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, मैं काफी नर्मी बरतता हूं और कोशिश करता हूं कि किसी मैम्बर को कोई गिला न रहे। बहिन जी, मैंने उस दिन आपका क्वैश्चन इसलिए डैफर किया था कि शायद आप ठीक कह रही हों और मेरे स्टाफ ने यदि कोई गलती की हो तो उसे भी देख लूं और दूर कर लूं। जिस सवाल को डैफर किया गया था उसे मैंने डाक्टर मंगल सैन, श्री वीरेन्द्र सिंह और दूसरे सीनियर मैम्बर्ज को ओरिजनल रूप में दिखाया ताकि वे देख लें कि जो क्वैश्चन आपने दिया था उसमें मेरे स्टाफ वालों ने कितनी गलती की है। (विघ्न)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमने इस पर कोई कमैन्टस नहीं किए थे।

श्री अध्यक्ष: आपने कमैंटस किए या नहीं किए लेकिन आप यह नहीं कह पाए कि स्टाफ ने गल्ती की है। (विघ्न) यह बात तो आपने उस ओरिजनल सवाल से देखी होगी कि स्टाफ की कोई गलती नहीं है।

श्री मंगल सैन: अगर हम से आप पूछते हो हम जरूर बताते।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर मंगल सैन जी बड़े अफसोस की बात है कि जो बात आपके सामेन हुई उसे भी कहने के लिए आप तैयार नहीं हैं। इसमें पूछने की क्या बात है? मैंने आपको ओरिजनल क्वैश्चन जो हिन्दीमें था वह भी दिखाया था और जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया था वह भी दिखाया था। मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी पार्टी के मैम्बर के खिलाफ या किसी और के खिलाफ स्टेटमैंट दें। लेकिन आप इस बात को इन्कार नहीं कर सकते कि मैंने आपको इनका हिन्दी में दिया गया सवाल और जो वह सैक्रेटेरिएट में इंगलिश में ट्रांसलेट हुआ था वह नहीं दिखाया था। आपने देखा होगा कि ओरिजनल और ट्रांसलेशन में कितना अन्तर था।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब आप बजाह फरमा रहे हैं। जो कुछ आप वहां कह रहे थे, हम सुन रहे थे लेकिन हम कोई कंसैंट या डिस–कंसैंट नहीं दी थी।

श्री अध्यक्ष: कल यहां सारे हाउस के सामने सवाल आया। श्री ओम प्रकाश, श्री हीरा नन्द आर्य जी और डाक्टर भीम सिंह दहिया जी बैठे हुए थे। मैंने उस समय या कहा था कि बहिन जी का ओरजिनल सवाल यह है। अगर आपकी तसल्ली न हो तो इसे देख लें। But nobody could make any difference. स्टाफ के किसी कर्मचारी ने इसमें कोई फर्क नहीं डाला। मैंने उस सवाल को इसलिए डैफर किया था ताकि मैं देख लूं कि उसमें स्टाफ की कोई कोताही तो नहीं है। अगर कोई गलती करता है तो एम.एल. ए. की बात सुनना मेरा फर्ज है, उसे डिफैन्ड करना भी फर्ज है। (विघ्न) आपके सवाल को बार बार पढ़ा और देखा कि इन्होंने आपके हक में इम्प्रूवमेंट की है।

श्रीमती चन्द्रावती: मुझे ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। मेरे ओरिजनल सवाल का जवाब नहीं आया था। जो मेरा सवाल था उसका जवाब आना चाहिए।

Mr. Speaker: Bahanji, that matter is now closed.

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जिन मैम्बरान ने इनका सवाल पूछा उन्होंने बाकायदा यहां

कहा कि बहिन जी ने हमें लिख कर अथौरिटी दी है, तब इसकी पूछने की इजाजत दी गई थी।

श्रीमती चन्द्रावती: वह अथौरिटी परसों के सवाल के लिए थी।

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछने की अथौरिटी आपने जिस मैम्बर को दी थी, उस मैम्बर को पूरा टाईम दिया गया था। (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, आपके चैम्बर में फिर से दुबारा ये कहने गये लेकिन गवर्नमैंट ने जो जवाब दिया है वह कम्पेअर करें। आपने एक वरडिक्ट दे दिया और ट्रिब्यून ने जो एक सरकारी अखबार है, लिख दिया – "Chandrawati gets drubbing" उसने मेरे खिलाफ क्यों लिखा?

श्री अध्यक्ष: यह बात आप ट्रिब्यून अखबार वालों से पूछो कि वह ऐसा क्यों लिखते हैं?

श्रीमती चन्द्रावती: आप कह सकते हैं कि मेरे खिलाफ इस तरह के शब्द क्यों इस्तेमाल किये गये?

सिंचाइ तथा बिजली मंत्री (चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब इन्होंने जब ट्रिब्यून के बारे में मैमोरैन्डम दिया था तो उस पर इन्के दस्तखत हैं। अब कहते हैं

कि यह सरकारी अखबार है। बिल्कुल सैल्फ कन्ट्राडिक्टरी बात रहे हैं।

Smt. Chandravati: I am withing my right. Sir. (Noise & interruptions).

श्री अध्यक्ष: मैडम मुझे आप एक बात बताइयें कि क्या मैं प्रैस से पूछ सकता हूं कि आप यह क्यों लिखते हो?

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब जो हाउस की चीज है वह मैं हाउस के सामने ला सकती हूं। I am within my right to bring that to your notice, Sir. (Noise & interruptions.)

Mr. Speaker: That matter is closed, you may please take your seat.

Pump Houses for Lift Irrigation on Loharu, Jawahar Lal Nehru and Indira Gandhi Canals

***738. Smt. Chandravati**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the number of Pump Houses installed for lift irrigation on the Loharu, Jawahar Lal Nehru and Indira Gandhi Canals in district Bhiwani togetehr with the expenditure incurred on maintenance and repairs thereof during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84, separately; and

(b) whether any of the motors of the Pump Houses referred to in part (a) above, got burnt; if so, details thereof togetherwith the number of months the sid motors remained unreplaed/urrepaired alongwith the amount of expenditure incurred on the replacement of burnt motors and spare parts thereof during the period mentioned in part (a) separately?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) and (b): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a)	Loharu Canal	=20 Nos.
	JLN Canal	=7 Nos.
(i)	1981-82	Rs. 469919.03
(ii)	1982-83	Rs. 446637.72
(iii)	1983-84	Rs. 405961.86

(b) Yes, as per details below:-

No. of motors burnt	Year during which	Period of non-replacement/ non-repair	Expenditure incurred on repair/

	burnt		replacement
5	1981-82	3=4 months	Rs. 22064.03
		1=9 months	
		1=7 months	
6	1982-83	3=5 months	Rs. 41071.15
		3=4 months	
12	1983-84	2=3 months	Rs. 37241.04
		5=4 months	
		1=8 months	
		4= Yet to be replaed. Burnt for last 7 to 10 months.	

श्रीमती चन्द्रावती: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जब 7–8 और 9–10 महीने तक पम्पस आउट आफ आर्डर रहे तो पानी का किस तरह से इन्तजाम किया गया?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: सर, जो पम्पल आउट आफ आर्डर रहे हैं उनके एवज में 20 परसैन्ट पम्पस हमारे पास

पहले ही होते हैं यानी फालतू होते हैं, कैपेसिटी से ज्यादा होते हैं। वे स्टैन्ड बाई होते हैं। जो पम्पस आउट आफ आर्डर हुए उनका नम्बर इतना कम है जो 20 परसैन्ट स्टैन्ड बाई वाले हैं वे भी पूरे इस्तेमाल नहीं हुए। जब कोई पम्प खराब हो जाता है तो स्टैन्ड बाई वाले पम्पस को यूज किया जाता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है जे.एल.एन. कैनाल पर सात पम्पस लगे हुए हैं और अभी सप्लीमेंटरी के जवाब में बताया है कि 20 परसैंट पम्पस कैपेसिटी से ज्यादा रखे हुए हैं। अगर कोई पम्प खराब हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे कि सन् 1983–84 में जे.एल.एन. कैनाल पर सात में से चार पम्पस सात से दा महीने तक खराब रहे हैं दूसरी ओर यह कहते हैं कि खराब हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सात में से चार खराब हो गये तो 60 परसैन्ट से भी ज्यादा खराब हो गये जब कि इनके पास स्टैन्ड बाई की कैपेसिटी 20 परसैन्ट है। उस समय इन्होंने क्या प्रबन्ध किया?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: माननीय दोस्त से सवाल का जवाब पूरा नहीं पढ़ा। जे.एल.एन. कैनाल पर तो अभी पम्पस अनरजाइज भी नहीं हुए।

Sh. Verender Singh: But in the reply for the year 1983-84] against the figure 4, it is written:-

"Yet to be replaced. Burnt for last 7 to 10 months." How have you given this reply?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, लीडर आफ दि अपोजीशन ने जो सवाल पूछा है उसमें तीन नहरों के नाम लिखे हैं जबकि वहां पर नहरें केवल दो हैं लकिन इन्होंने अपने सवला में लिख दिया कि लोहारू कैनाल, इन्दिरा गांधी कैनाल, जे. एल.एन. कैनाल। बहिन जी को अपने जिले से निकलने वाली नहरों के नाम भी पता नहीं।

श्रीमती चन्द्रावती: तीनों ही नाम चलते हैं। मिनिस्टर साहब गलत कहते हैं। बेईमानी हमें इतनी नहीं आती जितनी आप लोगों को आती है लेकिन विधान सभा का काम आपसे ज्यादा आता है। (विघ्न)

स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने 1981–82 में 469919.03 रूपये, 1982–83 में 446637.72 रूपये और 1983–84 में 4050961. 86 रूपये खर्चा बताया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि क्या वे इस बात की इन्कवायरी कराने के लिये तैयार हैं कि यह पैसा वहां पर खर्च हुआ है या नहीं? मैं यह कहती हूं कि यह पैसा वहां पर बिल्कुल भी नहीं खर्च हुआ है।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: सर, 1981–82 में जो रिपेयर्ज और रिप्लेसमैंट वगैरा का खर्चा है, वह 22064 रूपये, 1982–83 में 41073 और 1983–84 में 37247 रूपये है। मेनटेनैंस का खर्चा जो होता है, उसमें स्टाफ का खर्चा भी शामिल होता है।

इन्होंने जो सवाल पूछा है, मैं उसको जरा दोबारा पढ़ देता हूं। (व्यवधान व शोर)

श्रीमती चन्द्रावती: पढ़ना ही है तो मेरा ओरिजनल सवाल पढ़िये। (व्यवधान व शोर) .....

श्री सागर राम गुप्ता: स्पीकर साहब, यह नहरें जिस इलाके में चल रही है, भिवानी का यह वह इलाका है जो पानी के लिये बहुत प्यासा रहता है। ये नहरें–लोहारू और जे.एल.एन. कैनाल्ज कई दफा पम्प हाउसिज में बिजली न होने के कारण बन्द रहती हैं ओर किसानों को पानी के लिये तरसना पडता है। क्या मंत्री महोदय वहां पर डीजल सैट, बिजली की नान–अवेलेबिलिटी को मीट करने के लिए, लगाने के लिये प्रोपोजल पर विचार करने के लिये तैयार हैं?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: सर, वहां पर इन कैनाल्ज के पम्प हाउसिज के लिये सैपरेट फीडर्ज और सैपरेट बिजली घर बना रखे हैं। जहां तक इनकी इस बात का ताल्लुक है कि वहां पर डीजल सैट लगाने के लिये विचार किया जा सकता है या नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डीजल सैट बहुत बड़ी–बड़ी कैपेसिटी के होने चाहियें और वे इन पम्प हाउसिज के लिये काम नहीं दे सकेंगे इसके अलावा इनके ऊपर खर्चा भी बहुत आयेगा। हमने इसके लिये आलरैडी सैपरेट पावर हाउसिज बना रखे हैं। जब भी स्टेट में बिजली होती है, तो वहां पर भी बिजली रहती है।

चौ. सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि इन नहरों के पम्प हाउसिज को फीड करने के लिये सैपरेट फीडर्ज बनाये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, 15–15 दिन के लिये जब ये नहरें चलती हैं तब भी 6 घंटे रोजाना बिजली नहीं होती। बेशक इन्होंने यह कहा है कि उनके लिये सैपरेट फीडर्ज हैं, लेनिक इन्होंने यह नहीं कहा है कि उनके लिये रैगुलर सप्लाई है। जब यह पम्प हाउसिंज द्वारा पानी न लिफ्ट करने के कारण पानी में डूबी रहती है। काफी समय पहले सरकार ने इस समस्या के बारे में यह कहा था कि हम विचार कर रहे हैं कि वहां पर डीजल सैट लगा दिये जायें। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि बिजली की पोजीशन तो ठीक नहीं रहेगी, किसानों की हजारों एकड़ जमीन को बचाने के लिये क्या यह डीजल पम्पस लगाने पर विचार करेंगे या उनको दिए जाने वाले मुआवजा की दर बढ़ायेंगे?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: ऐसे है कि 1982–83 और 1983–84 में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कुल कितनी देर बिजली इन पम्प हाउसिंज में फेल रही है यानी इनमें बिजली बन्द रही है। 1982–83 में ब्रेक–डाउन 116 घंटे ओर 1983–84 में 136 घंटे और 20 मिनट रहा है। यह जो पानी के एस्केप की वजह से कम्पनसेशन दिया गया है, उसकी भी मैं फिगर्ज बना देता हूं। 1982–83 में 155570 रूपये और 1983–84 में 215500 रूपये।

श्री हीरा नन्द आर्य: मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 20 प्रतिशत मोटरें फालतू हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि

सारी फालतू मोटरें जो वहां पर लगायी जानी थी, क्या वे लग गयी हैं या अभी कुछ लगायी जानी बाकी हैं?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: सर, लोहारू कैनाल के तो सारे पम्प हाउसिज एनर्जाईज हो चुके हैं लेकिन जे.एल.एन कैनाल के कुछ पम्प हाउसिज अभी एनर्जाईज होने रहते हैं। जो एनर्जाईज हो चुके हैं और उनमें जो मोटरें लगी हुई हैं, उनकी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी के मुकाबले 20 परसैंट ज्यादा है।

श्रीमती चन्द्रावती: मैं आपका ध्यान इनके जवाब की ओर दिलाना चाहती हूं। स्पीकर साहब, इन्होंने रिटन जवाब में यह माना है कि किसी केस में 1 से लेकर 7 महीने तक, किसी में 1 से लेकर 9 महीने तक और किसी में 1 से लेकर 8 महीने तक और कई जगह तो 10 महीने तक इनके पम्प हाउसिज खराब रहे हैं। मैं इनसे यह जानना चाहती हूं कि जब ये पम्प हाउसिज खराब रहे हैं तो किसानों को पानी कैसे दिया गया, क्या यह बताने की कृपा करेंगे?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इन्होंने जवाब में यह लिखा हुआ है कि 4 पम्प हाउसिज की मोटरें 7 से 10 महीने तक जली हुई हैं जो अभी रिप्लेस नहीं हुई हैं।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। यह जवाब को समझ नहीं सके हैं। * * * *

श्रीमती चन्द्रावती: * * * *

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: * * * *

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाये।

चौ. बलवीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, चौ. शमशेर सिंह जी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वहां पर बिजली न मिलने पर पानी लिफ्ट होने के बजाये, जमींदारों के खेतों में चला जाता है जिससे हजारों एकड़ जमीन खराब हो रही है। वहां पर डीजल सैट लगाने का तो इन्होंने यह बताया है कि विचार नहीं कर रहे हैं लेकिन क्या उन किसानों को जिनकी जमीन लगातार बरबाद हो रही है कोई परमानैंट तौर पर मुआवजा देने के लिये तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ गया है।

श्री हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, हमरे मंत्री महोदय बड़े सियाने हैं और बहुत समझदार जवाब दे रहे हैं: जे.एल.एन. कैनाल और लोहारू कैनाल एक तरफ तो हजरों एकड़ रकबा खराब कर रही है दूसरी तरह हमा तरफ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। सरकार इस किस्म की एडजस्टमैंट करे कि उनको तो चने या बाजरे के लिये पानी दे दिया जाये ओर हमें गेहूं और किसी एक आध फसल के लिये पानी दे दिया जाये। यह आज तक इस बारे में कोई एडजस्टमैंट नहीं कर पाये हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि यह पैसा जो खर्च हो रहा है यह सारा बेमतलब का खर्च हो रहा है। अगर कोई इस किस्म की

यह एडजस्टमैंट कर दें तो हमें भी इस तरह से कुछ फायदा हो जाये। क्या इस किस्म की कोई स्कीम बना रहे हैं?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, हुड्डा साहब की बात जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। शायद हुड्डा साहब का मतलब यह है कि जो फालतू पानी वहां पर फसलों को खराब करता है, उसको हम इनकी तरफ ट्रान्सफर कर दें। सरकार ने पहले ही ऐसा प्रोवीजन किया हुआ है कि ड्रेन न. 8 को लोहारू कैनाल से कनैक्ट किया हुआ है ताकि बरसात के मौसम में वहां की तरफ पानी ट्रांसफर हो जाये। ऐसा हमने इसलिये भी किया हुआ है ताकि फ्लड से भी बचा जा सके और जिस इलाके को पानी की सख्त जरूरत है, उसको पानी मिल सके।

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब स्पीकर साहब, मेरे क्वैश्चन न. 738 के पार्ट (बी) के बारे में मंत्री जी ने जो जवाब कदया है, मैं इसको पढ़ कर सुना देती हूं। मैंने अपने सवाल में पूछा था कि 1981–82, 1982–83 और 1983–84 मे कितनी मोटरें जली हैं। इन्होंने जवाब दिया कि 1981–82 में 3 से 4 महीने, 1 से 9 महीने, 1 से 7 महीने। (व्यवधान) जनाब यह जवाब गलत है और इन्होंने हाउस में गलतबयानी कर के हाउ को गुमराह किया है। (व्यवधान) जनाब अगर ये इस तरह से जवाब देंगे तो हाउस का काम नहीं चल सकता? मंत्री महोदय यह बतायें कि 3–4 महीने, 3–5 महीने, 7–10 महीने का क्या मतलब है। स्पीकर साहब, मैं इस सिलसिले

में आपकी प्रोटैक्शन चाहती हूं और मंत्री जी से इसकी क्लैरिफिकेशन चाहती हूं। इस किस्म के जवाब देकर सदन को ही नहीं, बल्कि सारे हरियाणा के लोगों को धोखा दे रहे हैं और जवाब को डिसओन करना चाहते हैं .....

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर साहब ने जो रिटर्न रिप्लाई दिया है, उसको वे एक्सप्लेन कर दें कि इसका क्या मतलब है।

चौ. शमशेर सिह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ये कौन सी बात पर क्लैरिफिकेशन चाहती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्वैश्चन न. 738 के पार्ट (बी) के जवाब में लिखा है–

1981–82 3=4 महीने

1=9 महीने

इसका क्या मतलब है, यह इनको बता दीजिए।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि 1981–82 में 3 मोटरों की 4 महीने में मुरम्मत हुई, 1 मोटर की 9 महीने में मुरम्मत हुई। इस में नम्बर आफ मोटर्ज दी है और इनके सामने यह दिया है कि कितने महीनों में मुरम्मत हुई है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये इस रिप्लाई को क्वैश्चन के साथ मिला कर पढ़ें तो पोजीशन क्लीयर हो जाएगी। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, यहां पर मोटर का लफ्ज नहीं लिखा है, बिना लिखे कौन इस बात को समझेगा। यहां तो कुछ और ही लिखा है।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: आप इस जवाब को क्वैश्चन के कंटैक्स्ट में पढ़िये। (व्यवधान)

श्री हरि चन्द हुड्डा: * * * *

श्री अध्यक्ष: जो कुछ भी मेरी परमीशन के बगैर बोला गया है, वह एक लफ्ज भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

Disparity in pay Scales of Assistant Agriculture Engineers

***734. Ch. Sahab Singh Saini**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any disparity in the pay scales of the posts of Assistant Agriculture Engineers of Agriculture Department and Assistant Engineers of P.W.D.;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether it is a fact that the duration of course and qualifications prescribed for the two category of posts as mentioned in part (a) above, are identical?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) कृशि विभाग के सहायक कृशि अभियंताओं के वेतनमान विभाग के अन्य श्रेणी II अधिकारियों के समान हैं (केवल भू–जल कोश के श्रेणी II अधिकारियों को छोड़कर) कयोंकि सहायक कृशि अभियंता श्रेणी II के अधिकारी हैं जिनकी संयुक्त वरिश्ठता है जबकि लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ताओं के वेतनमान अन्य नियमों के अधीन निर्धारित किये गये हैं।

(ग) जी हां, जहां तक सीधी भर्ती का संबंध है।

चौ. साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, दोनों किस्म के इंजीनियर्ज की क्वालीफिकेशंज एक ही हैं। दोनों तरह के इंजीनियर्ज बी.एस.सी. करने के बाद लगे हैं दोनों के कोर्सिज की डयूरेशन भी एक ही है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब क्वालिफिकेशंज एक हैं, कोर्सिज का डयूरेशन एक है तो फिर पे–स्केल में डिस्पैरिटी का क्या कारण है?

चौ. भजन लाल: यह बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों के कोर्सिज चार साल के हैं लेकिन डिपार्टमैंट अलग–अलग हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में जो असिस्टैंट इंजीनियर्ज हैं उनके ग्रेड इसी डिपार्टमैंट में क्लास II अधिकारियों के समान हैं लेकिन पी. डब्ल्यू.डी. में जो असिस्टैंट इंजीनियर्ज हैं उनके ग्रेड दूसरे हैं क्योंकि उनको सिविल, मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल लाइन में काम करना पड़ताहै और इनका ऐग्रीकल्चर का काम हैं इसलिए इन दोनों के ग्रेड में थोड़ा अन्तर है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मुख्यमंत्री जी ने माना है कि दोनों इंजीनियज्र के पे स्केल्ज में डिसपैरिटी है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब दोनों की क्वालिफिकेशंज एक है ओर सिलैक्शन का तरीका भी एक है तो क्या इनके पे–स्केल्ज में जो डिसपैरिटी है उसको दूर किया जाएगा?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मुश्किल यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में क्लास II अधिकारी इसी ग्रेड में 350 और हैं ओर ये टोटल पन्द्रह हैं अगर इनका ग्रेड बढ़ाते हैं तो बाकी 350 का ग्रेड भी बढ़ाना पड़ेगा और इसी ग्रेड में स्टेट में जो दूसरे अधिकारी हैं फिर उनका भी बढ़ाना पड़ेगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, दोनों डिपार्टमैंटस के इंजीनियर्ज की क्वालीफिकेशंज एक हैं तो पे–स्केल्ज में फर्क नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के इंजीनियर्ज को सैकिन्ड रेट का समझा जाता है और इसीलिए बराबर की क्वालिफिकेशंज के मुकाबले में इनको कम पे–स्केल दिया गया है?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, मैंने सारी पोजीशन अभी बात दी है।

चौ. साहब सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, जो दूसरे इंजीनियर्ज हैं उनकी प्रोमोशन के चांसिज हैं और वे क्लास वन में लिए जा सकते हैं लेकिन जो असिस्टैंट ऐग्रीकल्चर इंजीनियर्ज हैं

उनकी प्रोमोशन के कोई ऐवेन्यूज नहीं है क्योंकि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में कोई पोस्ट नहीं हैं जिस पर वे जा सकें। मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई पोस्टस क्रिएट की जाएंगी जिससे कि उनकी प्रोमोशन के ऐवेन्यू खुल जाएं?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, उनके लिए भी प्रोमोशन के चांसिज हैं, उनके लिए बाकायदा दूसरी स्कीम्ज हैं। डीप टयूबवैल्ज डिपार्टमैंट और ग्राउंड वाटर सैल में हम कोशिश करेंगे कि उनमें इनको ऐबजौर्व किया जाए।

Profit/Loss to Haryana Dairy Development Cooperative Federation

***741. Ch. Balvir Singh Grewal**: Will the Minister for Cooperation be pleased to state the yearwise profit earned or loss suffered by the Haryana Dairy Development Cooperative Federation during the years 1978 to 1983, separately?

Cooperation Minister (Ch. Birinder Singh): The Federation has suffered losses during the years from 1978 to 1983 as detailed below:-

Year	Losses (Rs. in lacs)
1977-78	72.23

1978-79	84.86
1979-80	154.71
1980-82	237.00
1981-82	213.67
1982-83	223.87 (Subject to audit)

चौ. बलवीर सिंह ग्रेवाल: 1977–78 में 72.33 लाख का लौस हुआ, उसके बाद 1982–83 में 2.33 करोड़ रूपये का लौस हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये लौसिज लगातार बढ़ते रहे हैं। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन लौसिज के बारे में किसी औफिसर की रिस्पौंसिबिलिटी फिक्स की गई है कि क्यों ये लौसिज ईयरवाइज बढ़ते रहे हैं? अगर रिस्पौंसिबिलिटी फिक्स की गई है तो उस औफिसर के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है?

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जो फैडरेशन को लौसिज हुए हैं वे किसी एक औफिसर या किसी एक आदमी की गल्ती से नहीं है। पहले यह एक कार्पोरेशन थी और 1977 में जब श्री ग्रेवाल इसके चेयरमैन बने तो इसको डेरी डिवैल्पमैंट कोआप्रेटिव फैडरेशन में कन्वर्ट किया गया था और उस समय में लगातार यह फैडरेशन लौसिज में जा रही है। इसका मुख्य कारण जो मैं समझता हूं कि वह यह है (1) कार्पोनेशन की जो लायबिलिटीज थीं वे सारी की सारी फैडरेशन को ट्रांसफर हो गई।

(2) फैडरेशन काल लगभग तीन लाख रूपया लीज मनी के रूप में कार्पोरेशन को देना पड़ता था। इसके अलावा जब फैडरेशन शुरू हुई तो इसके पास वर्किंग कैपिटल कोई नहीं थी। अगली बात यह है कि यह एक कौमर्शियल अस्टेबलिशमैंट है। स्पीकर साहब, जब हम किसान से दूध लेते हैं तो किसान चाहता है कि उसका पेमैंट दस पन्द्रह दिन में कर दिया जाए। स्पीकर साहब, अगर दूध का प्रोडक्ट बनाये बिना हम दूध बेचने हैं तो हमें ग्यारह पैसे पर किलो प्रौफिट होता है और अगर प्रोडक्ट बनाकर बेचने हैं तो पचपन पैसे यानी पांच गुणा प्रौफिट होता है। अगर हम प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे तो हमें दो या अढ़ाई करोड़ का स्टौक करना पड़ेगा ताकि मार्किट में जब जरूरत हो तो सप्लाई कर सकें। स्टौक हम इसलिए नहीं कर सकते कि पैसा नहीं है। हम किसान को रैगुलर पेमैंट करते रहते हैं। स्पीकर साहब, यह विसियत सरकिल बना हुआ है।

श्री मंगल सैन: मंत्री महोदय ने बताया है कि जब से फैडरेशन बनी तभी से यह घाटे में जा रही है और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इन कारणों से यह घाटे में जा रही है। यह उनकी अपनी ओपिनियन है डिपार्टमैंट की डैफिनिट जवाब नहीं है। इन्होंने कहा हैकि तीस लाख रूपया तो लीज मनी देते रहे और कुछ लायबिलिटीज थीं और वर्किंग कैपिटल नहीं थीं। स्पीकर साहब, इन्होंने यह भी बताया कि दूध का स्टौक करने के लिए अढ़ाई करोड़ रूपया चाहिए जोकि इनके पास नहीं है। क्या मंत्री

महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब यह फैडरेशन में कन्वर्ट हुई तो कितनी लायबिलिटी थी और कया यह फैडरेशन फाइनैशियल इंस्टीटयूशंज से कर्जा नहीं ले सकती और क्या गवर्नमैंट इस फैडरेशन की जमानत नहीं दे सकती? स्पीकर साहब इनको इंक्वायरी इंस्टीटयूट करानी चाहिए कि कहीं मिसएंप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। आज वीआ की इतनी जबरदस्त मांग है कि चे उसको पूरा नहीं कर सकते। ये वीटा को पचपन रूप किलो बेचते हैं ओर गरीब में हमदर्द बनते हैं।

10.00 बजे

चौ. बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो कारण मैं वाइटल समझता हूं उसके अलावा सबसे बड़ा कारण यह भी रहा है कि हमारे मिल्क प्लांटस की टोटल हैंडलिंग कैपेसिटी दो लाख 35 हजार लीटर दूध की है। इनमें 1997 से लेकर 1984 तक जो भी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई वह अंडर कैपेसिटी यूटिलाइज हुई जो इस प्रकार है:—

1977—78 मैं 27 प्रतिशत

1978—79 मैं 43 प्रतिशत

1979—80 मैं 34 प्रतिशत

1980—81 मैं 24 प्रतिशत

1981—82 मैं 30 प्रतिशत

1982–83 मैं 21 प्रतिशत

1983–84 मैं 20 प्रतिशत

अध्यक्ष महोदय, डा. साहब यह भी पूछेंगे कि लास्ट के दो सालों में यूटिलाइजेशन और कम हुई है। दरअसल 1982 से पहले फैडरेशन मिल्क प्लांटस के लिए कोआप्रेटिव सोसायटीज, प्राइवेट वैंडर्ज ओर कन्ट्रैक्टर्ज से दूध लेती थी। फिर हमने यह फैसला किया कि चूंकि फैडरेशन का काम सिर्फ मुनाफा कमाना या लोगों को दूध बेचने और घी बेचने का ही नहीं बल्कि इसकी एक सोशल आबलीगेशन भी है है कि जो किसान हैं, गरीब आदमी हैं उनकी इंकम को किस तहर से आगमैंट किया जाए। इसलिये हमने फैसला लिया कि फैडरेशन प्राइवेट वैंडर्ज और कंट्रैक्टर्ज से दूध नहीं खरीदेगी। इसलिये एक दम यूटिलाईजेशन डिविंडल हो गई। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि जो हमने मैयर्ज लिये हैं उनसे आज के दिन भी यह शो होता है कि पिछले इन्हीं दिनों में फैडरेशन के पास सिर्फ 35 हजार लिटर दूध था जबकि आज के दिन 70 हजार लिटर है। अगर हमारी टोटल कैपेसिटी की 40 प्रतिशत की यूटिलाइजेशन हो जाए तो ब्रेक ईवन प्वायंट आ जाता है लेकिन सब से बड़ी दिक्कत यह रही कि किसानों को हम वक्त पर पैसा नहीं दे सके। आप यह एप्रीशिढट करेंगे कि दिल्ली हरियाणा के नजदीक है और इसके तीन तरफ लगती है तो कम से कम 9 लाख लिटर दूध प्राइवेट वैडर्ज दिल्ली के अन्दर लेकर जा रहे हैं। फिर भी आज के दिन हरियाणा डेरी डिवैल्पमैंट

फैडरेशन सारे देश में सबसे ज्यादा दूध की कीमत दे रही है। आज फैडरेशन की तरफ किसी का भी पैसा बाकी नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल नहीं थी पिछले आठ साल के अन्दर सिर्फ 1 करोड़ 71 लाख रूपये के गवर्नमैंट की तरफ से वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की गई। इसके अलावा, जैसे मैंने बताया कि हमने वर्किंग प्लान बनाया है, उसमें अन्दाजा लगाया गया कि 5 करोड़ रूपया अगर फैडरेशन को एक दम दिया जाए तभी यह किसानों को एकदम पेमैंट कर सकती है और प्रोफिट कमा सकती है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है इसलिये इस पर आप आधे घंटे की डिस्कशन अलाउ करें।

श्री अध्यक्ष: वैसे डेरी का जो काम है यह मुनाफे में कभी नहीं जा सकता।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपके पेहवा में गोयल तो करोड़ पति बन गया और सरकार को अढ़ाई करोड़ रूपये का टोटा पड़ गया।

श्री अध्यक्ष: यह बात यहां पर कहनी अच्छी नहीं लगती कि वह कैसे करोड़पति बन गया। मुझे डेरी के बारे में पता है। जब भैंस 40 रूपये की बिकती थी। तब भी यह सौदा घाटे का था।

श्री कंवर सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया था कि इन्होंने कुछ मैयर्ज लिये हैं जिस वजह से फारमर्ज से मिल्क ज्यादा सप्लाई हो गया। क्या ये बताएंगे कि वे कौन कौन से मैयर्ज हैं? दूसरे इन्होंने यह भी कहा था कि इन्होंने यह फैसला यिका है कि प्राइवेट वैंडर्ज से दूध नहीं लेंगे। जब इनकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो रही है तो उनमें क्यों नहीं ले रहे हैं? पिछले दिनों मैं रोहतक हस्पताल में रहा था। किसी आदमी ने मुझे कहा कि मैंने रोहतक के मिल्क प्लांट के जनरल मैनेजर को कहा कि आपको 5 लाख रूपये का घाटा है और आप हमसे 5 लाख रूपया लीज मनी ले लीजिए हम साल के बाद आपको मशीनरी इसी तरह से वापिस कर देंगे उसने कहा हम इस बात की वरी नहीं करते कि हमें घाटा रहेगा। यह उनकी बात ठीक है। क्या आप उसे 5 लाख रूपये में ठेके पर देना चाहते हैं?

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पहले तो मैं अपने काबिल दोस्त को यह बताना चाहता हूं कि यह कन्सैप्ट कभी नहीं था। गवर्नमैंट आफ इण्डिया की भी और हरियाणा सरकार की भी यह नीति रही है कि पब्लिक सैक्टर की यूनिट को किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में न दें। आज के दिन हमारे कम से कम 1400 परिवारो ंको इनसे रोजगार मिला हुआ है। स्पीकर साहब, यह आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्राईवेट आदमी आएगा तो सबको सैक कर देगा और वह अपने हिसाब के मुताबिक आदमी

लगाएगा। इन्होंने आगे कहा कि क्या क्या मैयर्ज ले रहे हैं। इस बारे में सब से बड़ी बात यह है कि हम कोआप्रेटिव सैक्टर को मजबूत करने के लिये गांव गांव में कोआप्रेटिव सोसाइटी बनायें। हमारे सिरसा और अम्बाला जिलों में कई सोसाइटीज बहुत बड़ी बड़ी हैं हम इस नैटवर्क को सारी स्टेट के अन्दर फैलाना चाहते हैं। एक हजार सोसाइटीज इनआर्डर दूध दे रही हैं। इसके अलावा हम 500 सोसाइटीज और तैयार करेंगे। जो मैयर्ज लिये हैं वे इस प्रकार हैं कि अप्रैल के अन्दर मुख्यमंत्री जी ने आई.डी.सी. से नैगोशिएट किया और उस मीटिंग में यह फैसला हुआ कि इसको वायएबल बनाने के एिल एक सब कमेटी बनाई जाए। अध्यक्ष महोदय, उस सब कमेटी का गठन हुआ ओर यह फैसला हुआ कि अढ़ाई करोड़ रूपया स्टेट गवर्नमैंट फिफटी फिफटी के बेसिज पर देगी और अढ़ाई करोड़ रूपयाा आई.डी.सी. हमें देगी। इसके तहत 66 लाख रूपया स्टेट गवर्नमैंट दे चुकी है और एक करोड़ 26 लाख रूपया आई.डी.ऐी. दे चुकी है लेकिन मैं अब भी यह बात कहता हूं कि जब तक सारा पैसा एक मुशत फैडरेशन को नहीं मिलेगा तब तक उसकी पोजीशन ठीक नहीं बन सकती। अभी पिछले साल फैडरेशन को एक करोड़ रूपया हमने दिया था। मैं आश्वासन देता हूं कि अढाई करोड़ रूपये के लौसिज को अगले 6 महीनों के अन्दर हम प्रोफिट में न बदल सके तो यह लौस जरूर वाइप आउट कर देंगे।

चौ. तैय्यब हुसैन: जनाब स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने हरियाणा डेरी डिवैल्पमैंट फैडरेशन में नुक्सान के बारे में बताया और कहा कि वह नुक्सान में चल रही है मैं कहता हूं कि नुक्सान की बात किसानौं के लिए हो सकती है। जो प्राईवेट मिल्क वैडर्ज दूध लेकर आगे कारोबार करते हैं उनको हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि कहीं भी नुक्सान नहीं होता। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा डेरी डिवैल्पमैंट फैडरेशन में जो नुक्सान है कया उसमें इस बात का भी हिस्सा है कि कुछ बाअसर लोगों का नाम मिल्क यूनियन को बगैर दूध दिए हुए ही रजिस्टर में इन्दराज हो जाता है कि उन्होंने दूध बेचा है।

चौ. वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, दरअसल यह बात बिल्कुल नहीं है लेकिन एक बात चौ. तय्यब हुसैन जी की बिल्कुल ठीक है कि कई बाअसर लोग जिनमें चौ. तैय्यब हुसैन का भी शायद नाम हो सकता है जो पलवल, बल्लभगढ़ और सोहना के एरिया में प्राइवेट मिल्क बैंडर्ज आप्रेट करते हैं उन्होंने हमारे कई आदमियों को अपने ट्रक के नीचे कुचलने तक की कोशिश की, जब उन्होंने वहां पर कोआप्रेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया था। हम बहुत मुश्किल के बावजूद इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम आज के दिन 70 हजार लीटर दूध ले रहे हैं लेकिन चौ. तय्यब हुसैन के इलाके से अब भी नहीं मिलता। इनकी बात बिल्कुल दुरूस्त है कि फैडरेशन या कोई भी मिल्क संस्था जो मिल्क प्रोडक्ट बनाती है वह कभी घाटे में नहीं रह सकती लेकिन मैंने

जैसे पहले बताया कि उस संस्था के पास इतना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए जिससे वह किसानों से दूध लें और दूध के प्रोडक्ट बना करके बैंचे। जिनमें मार्जन पांच गुणा है वह मार्जन तभी हो सकता है जब कि हम किसानों को पैसा दे सकने के लायक हों और आगे चीजें स्टौक कर सकें ताकि हम मार्किट में उनको रेट पर बेच सकें।

चौ. नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कभी हरियाणा डेरी डिवैल्पमैंट फैडरेशन का दूध खराब हुआ है, अगर हुआ है तो कितना दूध खराब हुआ है? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि अगर दूध खराब था तो दूध को चैक करने वाले आफिसर्ज के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया और वह दूध कितना जहरीला था?

चौ. बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां तक दूध खराब होने की बात है यह तो रैगुलर फिनोमना है। कभी दूध ज्यादा क्वांटिटी में खराब हो जाता है और कभी कम क्वांटिटी में खराब हो जाता है। हम जो दूध लेते हैं उसके खराब होने की जिम्मेदारी चिलिंग सैंटर की होती है या सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है जिससे हम दूध खरीदते हैं।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, जो प्राइवेट मिल्क वैंडर्ज हैं वे किसानों को दूध के ज्यादा पैसे देते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा डेरी

डिवैल्पमैंट फैडरेशन को दूध की कम सप्लाई का कारण यह तो नहीं है कि बाजार में दूध का रेट 4 रूपये पर लीटर है और हरियाणा डेरी डिवैल्पमैंट फेडरेशन किसानों से 3 रूपये पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदती है। दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो टोन्ड मिल्क बोतलों में डाल कर दिल्ली को सप्लाई किया जाता है अगर उसकी मात्रा कम करके पाउडर बनाया जाए तो ज्यादा फायदा होगा और प्राइवेट मिल्क वैडर्ज में भी कमी आएगी।

चौ. वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि प्राईवेट मिल्क वैंडर्ज किसानों से फैडरेशन से ज्यादा महंगे रेट पर दूध खरीदते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि फैडरेशन फैट के हिसाब से दूध खरीदती है। जब फलश सीजन होता है उस समय दूध ज्यादा होता है और हो सकता है उस समय प्राइवेट मिल्क वैडर्ज किसानों से कम रेट पर दूध खरीदते हों। यह बात भी ठीक है कि लीन सीजन में प्राइवेट मिल्क वैंडर्ज किसानों को एक रूपया या 50 पैसे या 60 पैसे पर लीटर ज्यादा देते हैं। लेकिन मैं हाउस की सूचना के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा डेरी डिवैल्पमैंट फैडरेशन हर सीजन में 3 रूपए पर लीटर के हिसाब से किसानों से दूध खरीदती है। फैडरेशन फैट के हिसाब से दूध खरीदती है जिस दूध में 6.5 परसैंट फैटस होंगे वह 3 रूपये पर लीटर के हिसाब से खरीद लिया जाता है और जिस दूध में फैअस 6.5 परसैंट से ज्यादा हों तो हम उसका बटर

आयल या पाउडर बनाते हैं बाकी के दूध को 6.5 परसैंट तक स्टैंडर्डाइज करके दिल्ली मिल्क सप्लाई तथा मदर डेरी को सप्लाई करते हैं क्यौंकि हमारा भारत सरकार से एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमैंट हुआ है जिसके तहत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यू.पी. से दिल्ली में दूध सप्लाई होता है।

डा. भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो लिखित जवाब हाउस की टेबल पर रखा है उसमें इन्होंने बड़ा साफ बताया है कि हरियाणा डेरी डिवैल्पमैंट फैडरेशन पिछले पांच साल से लगातार नुक्सान में चल रही है और यह नुक्सान बढ़ता जा रहा है और मंत्री जी पिछले आधा घंटे से घाटा बढ़ने के कारण बताते जा रहे हैं। इन्होंने घाटा बढ़ने के जो कारण बताए हैं उनमें शुरू से लेकर आखिर तक कंट्राडिक्शन हैं। पहले तो मंत्री जी ने कहा कि यह कमर्शियल आर्गेनाइजे ान है। मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि अगर यह कमर्शियल आर्गेनाइजे ान है तो यह प्रोफिट में चलनी चाहिए। यदि प्रोफिट में नहीं चलती है तो इसको बन्द कर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात मंत्री जी ने यह कही कि सोशल ओबलीगेशन है कि किसानों को पूरा पैसा दिया जाता है और उनकी इनकम को आगमैंट करते हैं लेकिन जो दिल्ली के नजदीक प्राइवेट मिल्क वैडर्ज हैं वे किसानों को दूध के ज्यादा पैसे देते हैं इसलिये भी हमें सोशल ओबलीगेशन निभानी पड़ती है। तीसरी बात मंत्री जी ने कही कि हमने 1400 फैमिलीज को नौकरियां दे रखी है इसलिये भी इस फैडरेशन को चला रखा

है। अध्यक्ष महोदय ये चार पांच कारण मंत्री जी ने पता नहीं खड़े खड़े सोचे हैं या अपनी सीट पर बैठे बैठे सोचे हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह फैडरेशन पिछले पांच साल से लगातार लौस में चल रही है कया इस बारे में महकमें ने कोई इनक्वायरी इंस्टीच्यूट की कि यह लौस क्यों हो रहा है और उस लौस को दुरूस्त करने के लिए या इस फैडरेशन को बन्द करने के एिल सरकार ने कोई कदम उठाए हैं या नहीं?

चौ. बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की सूचना के लिए बताना चाहूंगा कि मैंने जो कारण बताए हैं न तो वे बैठे बैठे सोचे हैं और न ही खड़े होकर सोचे हैं। I alwasy remain in constant touch with all my federations and I know their working. अध्यक्ष महोदय, जब से मैंने यह महकमा टेकओवर किया था उस समय हमारे चारों शूगर मिल घाटे में थे और आज अकेला रोहतक शूगर मिल एक करोड़ रूपया प्रोफिट में है, सोनीपत शूगर मिल प्रोफिट में है, करनाल शूगर मिल भी प्रोफिट में है। इसके अलावा कनफैड भी प्रोफिट में है। ऐसे कितने ही अदायरे हैं जो प्रोफिट में हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में डा. कुरीयन के साथ हमारी मीटिंग हुई थी उस मींटिग में सारे पहलुओं पर डिस्कशन हुई थी और मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस कोआप्रेटिव ईयर में जो अढ़ाई करोड़ रूपए का घाटा है इसको रीडयूस करके 50 लाख रूपए तक रखेंगे वह भी इस वजह से रहेगा क्योंकि हमारे कुछ फाइनैन्शियल कंस्ट्रैन्टस हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब स्पीकर साहब, कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल आफ इंडिया की रिपोर्ट में यह लिखा है कि भारत सरकार ने हरियाणा डेरी डिवेल्पमैंट फैडरेशन को एड देना बन्द कर दिया है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार ने इस फैडरेशन को एंड देना बन्द कर दिया है?

चौ. बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार हरियाणा डेरी डिवैल्पमैंट फैडरेशन को कोई एड नहीं देती है। आपरेशन फ्लड टू प्रोग्राम क तहत आई.डी.सी. इस फैडरेशन की मदद कर रही है। आई.डी.सी. ने इससे बाहर जाकर भी इस फैडरेशन की मदद की है और एक करोड़ रूपया दिया है ताकि यह फैडरेशन साउन्ड फुटिंग पर आ सके।

श्री नेकी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि करनाल नैशनल डेरी रिसर्च सैंटर के साईसदानों से सुझाव लेकर इस घाटे को पूरा यिका जा सकता है।

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, काफी मैम्बर साहेबान इस बारे में उत्तेजित हैं इसलिये मैं इस बारे में क्लीयर कर देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि ऐसे अदायरों की मंशा पैसा कमाने की नहीं होती। ऐसे अदायरे इसलिये बनाये जाते हैं ताकि जो गरीब

किसान है, जो पशु पाल कर अपना गुजारा करते हैं उनको उनके पशुओं के दूध की कीमत ठीक मिल जाए। जो गरीब आदमी है जिसने दूध बेचकर अपने बच्चों का पेट पालना है और जिसने चाय के लिए या बच्चों के लिए दूध मोल लेना है उनको शुद्ध दूध मिल जाए और सही भाव पर मिल जाए, इसी बात को ध्यान में रख कर यह फैडरे ान चलाई जा रही है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कंजूमर स्टोर खोले जाते हैं और शूगर मिल चलाए जा रहे हैं इनमें प्रोफिट कमाने की कोई बात नहीं है। ये सारे अदायरे नो प्रोफिट ना लौस पर चलाए जा रहे हैं ताकि किसानों को ठीक कीमत पर चीज मिल जाए, सही दाम पर और शुद्ध चीज किसानों को मिल जाए। यदि किसानों को दूध की कीमत सही देने से ही यह फैडरेशन घाटे में चल रही है। (शोर) केवल गाय और भैंस का दूध भी फैट के आधार पर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सारे हिन्दुस्ता में हरियाणा प्रान्त के किसानों को दूध का सबसे अधिक भाव मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पर मैम्बर साहेबान को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए जितना वे हो रहे हैं। हमारी मंशा यही रहती है कि जिन लोगों से दूध लेते हैं उनको अच्छा भाव मिले।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, इस पर आधा घंटा डिस्कशन के लिए रख दें।

श्री अध्यक्ष: किस बात के लिए?

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, हम इसलिए कह रहे हैं कि यह क्यों घाटे में जा रही है। ये यहां पर किसानों को अधिक भाव दैन का बहाना बना रहे हैं। दरअसल पूंजीपति इनको घाटे में डाल रहे हैं।

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, जबसे यह कार्पोरेशन बनी थी, उसीसमय से यह घाटे में चल रही थी। घाटे में रहने की वजह से ही 1977 के अन्दर इसे फैडरेशन में बदल दिया गया। क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह शुरू से ही घाटे में क्यों रही है? घाटे का पता ए.जी. की आडिट रिपोर्ट से भी लगता है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: मैं सभी साहेबान को बताना चाहूंगा कि डेरी में मेरा भी बड़ा भारी इन्ट्रैस्ट रहा है। मैंने डेरी चला कर भी देखी है और उसका इन्चार्ज मंत्री भी रहा हूं। सबसे पहली बात तो मैं आप साहेबान को यह बताना चाहूंगा कि प्राइवेट कंसर्न के साथ पब्लिक कंसर्न का मुकाबला नहीं हो सकता। जहां तक आपने आधा घंटे के लिए डिस्कशन की मांग की है उसके बारे में मेरा कहना है कि अभी कई और क्वै चन पड़े हैं, उन पर बात कर लेना।

श्री मंगल सैन: यदि आज समय नहीं है तो कल डिस्कस कर लेंगे। (शोर)

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, उसकी जरूरत नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, दूध के बारे में अखबार के अन्दर एक खबर छपी थी * * * * (शोर)

श्री अध्यक्ष: मेरी परमिशन के बगैर जो कुछ भी बोला जा रहा है, उसको रिकार्ड न किया जाये।

Draining out the rain water from Rohtak City

***768. Smt. Basanti Devi**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether any funds have been sanctioned by the Government for draining out the rain water which stands accumumlated in the Rohtak City at present;

(b) if so, the total amount sanctioned togetherwith the date of sanction thereof;

(c) whether any tender have been invited for the purpose of draining out the said water; and

(d) if so, the date on which the tenders were invited and the date on which the said work is likely to be started?

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) हां जी।

(ख) 100 लाख रूपये (स्वीकृति की तिथियां निम्नलिखित हैं)

1. 10 लाख 29.3.84

2. 90 लाख 11.7.84

(ग) हां जी।

(घ) कार्य के अलग अलग भागों के लिए टैंडर 3.4.84, 2.5.84 तथा 20.6.84 को मांगे गये थे।

कार्य के लिए जो टैंडर 3.4.84 तथा 2.5.84 को मांगे थे उनका कार्य प्रगति में है तथा जिसके लिए टैंडर 20.6.84 को मांगे थे वह कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा।

श्रीमती बसंती देवी: सी.एम. साहब ने जवाब दिया है कि एक करोड़ रूपये की मन्जूरी दी जा चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहती हूं कि अब तक वहां पर सड़कों की कितनी रिपेयर हो चुकी है?

चौ. भजन लाल: बहन जी आपने सड़कों का तो कोई सवाल पूछा नहीं था। आपने यह पूछा था कि वहां पर बारिश की वजह से पानी खड़ा रहता है और वह सीवरेज के जरिए बाहर नही जाता। उसको निकालने के लिये सवाल किया था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पिछले साल जो बारिश हुई थी उससे रोहतक शहर के अन्दर काफी बाढ़ आई थी। पिछले साल 15–16 अगस्त को जो बारिश हुई थी उसने पिछले 20 सालों की बारिश के रिकार्ड को तोड़ा था जिसकी वजह से रोहतक शहर की बहुत ही खराब हालत

हो गई थी। पिछले साल तीन दिन के अन्दर 145 मिलीमीटर वर्शा रिकार्ड की गई थी। जब इतनी अधिक बारिश एक साथ हो जाये तो हालात खराब होते ही थे। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि रोहतक शहर एक तस्तरी की तरह है। वहा पर जितना भी पानी आता है वह बीच में ही खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से यह दिक्कत होती है। माननीय सदस्यों को इस बात की खुशी होगी कि अब की बार पीछे 3 दिनों में 170 मिलीमीटर वर्शा हुई थी। रोहतक शहर में डा. साहब भी रहते हैं और बहन जी भी रहती है। इन्होंने देखा होगा कि सारा पानी 12 घंटे के अन्दर अन्दर बाहर निकाल दिया था।

जहां तक सड़के रिपेयर करवाने के लिए पूछा है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि पिछले साल बाढ़ की वजह से रोहतक शहर की सड़कें और सीवरेज काफी खराब हो गई थी। हमने इन सड़कों को ठीक करने के लिये कई बार मीटिंगें की और हमारे अधिकारियों ने दिन रात काम करके सड़कों की पूरी मुरम्मत की है। अब वहां पर सीवरेज भी ठीक प्रकार से डाला जा रहा है। मैं आपको यह भी बताया चाहूंगा कि अब रोहतक शहर को अच्छा बनाने के लिए 5 करोड़ 22 लाख रूपये की एक स्कीम बनाई है। इस राशि में से हमने 2 करोड़ 83 लाख रूपये मन्जूर भी कर लिए हैं और इसमें से 1 करोड़ रूपये की सैंक्शन भी जारी कर दी है। यह सारा काम 2–3 फेज में पूरा होना है। हमारी यह भरसक कोशिश है कि रोहतक

शहर को जल्दी से जल्दी एक अच्छा बनाया जाए क्योंकि वह हरियाणा का दिल है।

श्री मंगल सैन: मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जवाब के पार्ट 'ए' में फरमाया है ''हां जी''। दूसरे भाग में कहा कि एक करोड़ रूपये मार्च और जुलाई में सैंक्शन किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि अगस्त 1983 में पिछले साल 20 वर्शो के बाद अभूतपूर्व वर्शा हुई थी जो कि एक रिकार्ड है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी फरमाया है कि उस साल 145 मिलीमीटर बारिश हुई थी जिस कारण रोहतक शहर की हालत खराब हुई थी। इन्होंने उस प्रोबल्म की ग्रेवटी को देखते हुए मार्च के महीने में काफी देर के बाद कुछ पैसे की सैंक्शन दी है इसका क्या कारण है? दूसरे इन्होंने बताया है कि रोहतक शहर के लिए 5 करोड़ रूपये मन्जूर किए गए हैं और इनमें से 2 करोड़ रूपये सैंक्शन कर दिए हैं बाकी धीरे धीरे मन्जूर कर रहे हैं। मैं इन से यह भी जानना चाहूंगा कि मन्जूरी और सैंक्शन में क्या फर्क है। एक बात इन्होंने यह भी बताई कि अब की बार जो बारिश हुई थी उसका पानी बहुत जल्दी निकाल दिया था। मैं इसी दो तारीख की बात आपको बताना चाहूंगा कि रोहतक में सिविल रोड और म्यूनिसिप्ल कमेटी के पास दो दो फुट पानी खड़ा रहा। यह बात ठीक है कि पिछले साल की अपेक्षा इम्प्रूवमेंट है लेकिन यह इम्प्रूवमेंट एप्रिशिएबल नहीं की जा सकती। झझर छारा रोड की बहुत ही खराब हालत है। रोहतक में एक साल हुआ एक रेलवे रोड बनाया गया था वह

भी आज टूट गया है क्या मुख्यमंत्री जी इस बात की भी इन्क्वायरी करवाएंगे कि यह रोड इतना जल्दी क्यों टूटा? अध्यक्ष महोदय, मैंने ये 4–5 सवाल इकट्ठे पूछे हैं, सी.एम. साहब इनका जवाब दे दें।

चौ. भजन लाल: डा. साहब ने एक बात यह कही कि 2 तारीख को जब बारिश हुई तेा मैं वहीं पर था और म्यूनिसिपल कमेटी के आप पास दो दो फुट पानी खड़ा था। अध्यक्ष महोदय, आप ही देखिए जब 5 दिन से लगातार बारिश हो रही हो तो पानी थोड़ी देर के लिए तो खड़ा होगा ही।

श्री मंगल सैन: पानी थोड़ी देर के लिए खड़ा नहीं रहा बल्कि 24 घंटे पानी खड़ा रहा है।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में कोई ऐसा शहर इन्हें नहीं मिलेगा जहां पर बारिश होती हो और पानी खड़ा न हो। जब बारिश हो रही हो तो पानी खड़ा होगा ही। अब देखना यह है कि आया बारिश के बाद कितनी देर तक पानी खड़ा रहता है। जब अधिक बारिश हो जाए तो 15–20 घंटे बारिश के पानी को निकलने में लग ही जाते हैं। यदि मकानों में पानी घुसा हो और सड़कें टूटी हों तब तो यह कह सकते हैं। पानी निकलने में कुछ समय तो लगता ही है। पिछले साल बारिश के बाद वहां पर वार फुटिंग पर काम शुरू किया था। इसी प्रकार से रोहतक और सोनीपत जिले के लिए नई

ड्रेनें बनाने और पुरानी ड्रेनों की खुदाई कराने के लिए साढ़े सतरह करोड़ रूपये मन्जूर किए गए हैं। अब वहां पर सारा काम ठीक हो रहा है। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। पिछले साल 45 क्यूसिक से हम 72 क्यूसिक पानी ड्रेन आउट पंम्पिंग सैटस के जरिए कर पाये थे। आगे के लिये जब बरसाती पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हम 120 क्यूसिक पानी ड्रेन–आउट करने का इन्तजाम कर सकेंगे। इसी तरह से पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए, सीवरेज का इन्तजाम करने के लिए और सड़के ठीक करने के लिए हमने अलग से प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम के तहत रोहतक शहर को चार जोन्ज में बांटा है – सिविल लाईन जोन, झज्जर रोड जोन, गोहाना रोड जोन और माडल टाउन जोन, ताकि जोन्ज बना कर इस सारे काम की सुपरविजन ठीक ढंग से हो और रोहतक शहर की हालत सुधारी जा सके।

Mr. Speaker: Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

10+2 Education System in the State

***745. Dr. Bhim Singh Dahiya**: Will the Minister of State for Education be pleased to state –

(a) whether the Government has taken any decision to introduce 10+2 system of education in the State; and

(b) if so, whether the 10+2 classes are proposed to be attached with the schools or the colleges?

Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra):

(a) No decision has been taken to introduce General Education Course under 10+2 system of education.

(b) Does not arise.

Hathnikund Barrage

***758. Ch. Roshan Lal Ary**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to construct Hathnikund Barrage in the Chhachhrauli Constituency;

(b) if so, whether the site for the above said barrage has been finally selected;

(c) whether any machinery/material required for the construction of the above said barrage has been purchased; if so, the date/dates of purchase thereof togetherwith the expenditure incurred thereon so far; and

(d) whether any staff has been appointed for the construction of the barrage referred to in part (a) above; if so,

the details thereof togetherwith the date/dates on which the said staff was appointed and the expenditure so far incurred on their pay and allowances?

Irrigation and Power Ministeer (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) and (d) A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

(c) List of Machinery of HKB Mech. Divn. No. 1, Yamuna Nagar

Sr. No.	Name of machines	No. of machines	Date of purchase/ transfer	Cost	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Hind Marin D/Line	4	1979 (3 Nos.) 1980 (1 Nos.)	3469276	Old transferred from other circle.

2	Tata P&H D/Line CL 88	1	1979	281820	Old transferred from BSL.
3	D/Line Tata P&H (New)	4	1982	9400000	New
4	D 8 K Crawler Tractor Dozer	4	1979	7200000	New
5	Tractor Dozer D-120	5	1979	1557061	Old transferred from BSL.
6	Tractor Dozer D-80	1	1979	90643	Do
7	Rear and Dumper	10	1979	167.80 lacs	New
8	Crawler Tractor CT-85	7	1984	68.180 lacs	New
9	Air Compressor	2	1979	188966	Old
10	Motor Grader	1	1979	157426	Old transferred BSL.

11	Trucks (Old)	1	1979	105941	Old transferred from Remodelling Divn./Y. Nagar.
12	Trucks (New)	4	1980	593904	New
13	Jeep (New)	1	1979	37928	New
14	Diesel welding set	1	1979	263729	
	(New & Air Compressor (Old)	2			
				46944694	

Machinery transferred to SYL Project Punjab from this Divn. as below:-

1	Crawler Tractor CT-85@974192.00	6	5/84	5845153.00	
2	Rear and Dumper @1677576.75	8	5/84	13420614.00	
				19265767.00	

Hathnikund Barrage Mechanical Division No. II

Yamunanagar

Sr. No.		Name of machinery	Qty.	Date of purchase/ transfer	Amount	Remarks
1		2	3	4	5	6
1		Batching & Mixing Plant and aggregate classification and processing plant including T & P Articles	1 No.	1982	1430600	Transferred
2		Vibratory Roller	2 Nos.	14-10-82 2-12-82	105726	Transferred
3	(a)	D-50 Dozer	1 No.	18.1.82	230709	Transferred
	(b)	D-50 Compaction Tractor	1 No.	18.12.81	135457	Do
4	(a)	Diesel generating Set 200 KW/250	2 Nos.	27.7.81	1411782	Purchased

		KVA 306 H.P.				
	(b)	Diesel generating Set 55.6 KW/70 KVA	1 No.	12.5.80	57596	Transferred
	(c)	Diesel generating Set 32 KW/40 KVA	1 No.	23.11.83	33045	Do
	(d)	Portable diesel welding set 24.7 H.P.	1 No.	11.11.82	56982	Do
5		Tata Truck 12 ton Cap.	7 No.	3.3.81	1138396	Purchased
6		Jeep	1 No.	11.3.80	37928	Transferred
7	(a)	Savaji D/E/Concrete Mixer 5 H.P.	20 No.	21.2.81	366260	Purchased
	(b)	Rollomix Electric concrete mixer 10 H.P.	1 No.	12.2.78	20237	Transferred
	(c)	Diesel Conc. Mixer	2 No.	16.2.83	28297	Do
8	(a)	Vector Petrol conc. vibractor 3.4 H.P.	6 No.	1.5.83	33702	Purchased

	(b)	International Conc. Petrol vibractor	2 No.	10.9.80	7000	Transferred
	(c)	Killick Nickson Model III vibration 3 H.P.	34 No.	17.9.80	113220	Do
9		Volga Diesel Pumping Set 19.5 H.P.	10 No.	25.11.81	195640	Purchased
10		Super India Diesel Pumping Set 10 H.P.	10 No.	13.10.81	60340	Do
11		Electric Pumping Set “Volga” make 20 H.P.	40 No.	18.7.81	255680	Do
12		Electric Pumping Set Volga Monoblock 10 H.P.	40 No.	20.1.81	156200	Do
13		Vertica 1 Turbine Pump 12.5 H.P.	1 No.	14.12.82	38525	Transferred
14		Ejecto Pump	1 No.		17988	Purchased
15		TV 2 Kirloskar	4 No.		47748	Transferred

		Diesel Pumping Set 14 H.P.				
16		Monoblock electric pumping set 3 H.P.	80 No.		100000	Do
17		Rooma Air Compressor	1 No.		12986	Purchased
		Total			6092044	
		Total cost of material for above machinery			289100	
					6381144	
		Total of HKB Mach. Divn. No. 1 & II	=	Rs. 469. 45+63.81-Rs. 533.26 lacs		
		Net Balance		533.26-192.66=Rs. 340.60 lacs		

(d) (i) Particulars of Staff appointed on Hathnikund Barrage Project (Hathni-Kund Barrage Circle), Jagadhri

Sr. No.	Particular of Post	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	Superintending Engineer				1	1	1	1	1	1	1
2	Executive Engineer	1	1	1	4	5	5	5	5	5	5
3	Assistant Design Engineer				1	1	1	1	1	1	1
4	Sub-Divisional Officer	5	5	5	12	19	20	20	20	20	20
5	Superintendent		1	1	1	1	1	1	1	1	1

6	Head Clerk	1	1	1	4	6	6	6	6	6	6
7	Accounts Clerk	1		1	2	9	10	13	10	10	10
8	Accountant	1			2	4	5	5	5	5	5
9	Stenographer		2	2	1	1	1	1	1	1	1
10	Sub-Divisional Clerk	2	7	8	7	27	33	33	33	30	30
11	Clerk	4	1	1	23	34	34	34	34	35	38
12	Steno-Typist	1			3	5	5	5	5	5	5
13	Circle Head D/Man		1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Divisional Head D/Man	1	2	2	5	5	6	6	6	6	6
15	D/Man	2	2	2	7	13	13	13	13	13	13

16	Tracer	2	10	16	8	10	12	12	12	12	12
17	Junior Engineer	11	5	8	33	82	82	82	82	70	62
18	Peon	7			19	47	47	47	47	45	45
19	Sweeper-cum-Chowkidar		1	1	3	10	10	10	10	11	11
20	Dak Runner	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3
21	Daffadar	1	2	2	3	4	4	4	4	5	5
22	Barkandaz	2			9	14	14	14	14	14	13
23	Daftri				1	1	1	1	1	1	1
24	Store Munshi						1	1	1	1	1
25	Signaller										
26	Mali						2	2	2	2	2

27	Artificer						1	1	1	1	1
28	Tubewell Operator							1	1	1	1
29	Jeep Driver	4									
30	Truck Driver							1	1	1	1
31	Sweeper						1	1	1	1	1
32	Dragline Operator						1	1	1	1	1
33	Suervisor						2	2	2	2	2
34	Fitter						1	1	1	1	1
35	T/Mate						4	4	4	4	4
36	Driver Heavy Vehicle						1	1	1	1	1

37	Driver Light Vehicle							1	1	1	1
38	Driver Light Vehicle									3	3
										(1/84 TO 2/84)	
39	Electrician									1	1
40	Chowkidar									1	1
41	Foreman									1	1
42	T/Mate									1	1
43	Grazer									1	1
44	Time Clerk									1	1

45	Dragline Operator									1	1
46	Dozer Operator									1	1
47	Plumber									1	1
48	Diesel Mechanic									1	1
49	Chargeman									1	1
50	Boatman									1	1

(d) (ii) Expenditure incurred so far on the Pay and allowances of the Establishment

Year	Expenditure
1975-76	Rs. 2.38 lacs
1976-77	Rs. 3.13 lacs
1977-78	Rs. 3.61 lacs
1978-79	Rs. 5.33 lacs
1979-80	Rs. 15.73 lacs
1980-81	Rs. 30.61 lacs
1981-82	Rs. 36.14 lacs
1982-83	Rs. 41.07 lacs
1983-84	Rs. 48.39 lacs
1984-85 (Upto 30-6-84)	Rs. 13.13 lacs
	Rs. 199.52 lacs

Profit/Loss to Haryana Roadways

***774. Ch. Kundan Lal**: Will the Minister for Transport be pleased to state –

(a) the profit earned or loss suffered by the Haryana Roadways during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84 separately;

(b) the reasons for the losses; if any, suffered together with the steps; if any, taken or proposed to be taken to make the Haryana Roadways profitable;

(c) whether it has come into the notice of the Government that there is overloading in the buses for want of sufficient number of buses; and

(d) if so, whether the Government propose to ply more buses or give route permits to private persons to cope with heavy rush of passengers?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh):

(a) (b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) & (d) Althought sufficient number of buses have been provided for catering to the needs of all passengers, the possibility of overloading at peak hours on some routes cannot be ruled out. Additional buses are also pressed into service, whenever necessary. As the passenger Road Transport Services in Haryana are completely nationalised, there is no proposal for granting permits to private persons for plying bus services in the State.

Statement

(a) The year wise loss suffered by Haryana Roadways is as under:-

Year	Losses suffered (Rs. in lacs)
1981-82	415.72
1982-83	89.65
1983-84	191.53

Note: These figues are provisional and subject to confirmation by the Accountant General, Haryana.

(b) I. The reasons for losses year-wise are as under:-

1981-82

(1) The rates of diesel were increased three times during the year.

(2) The Haryana Government announced six D.A. instalments.

1982-83

(1) The rates of diesel were again increased.

(2) The Haryana Government further announced 4 more D.A. instalments.

1983-84

(1) The rates of diesel were further increased.

(2) The Haryana Government sanctioned six more D.A. instalments during the year 1983-84.

(3) The rate of interest on capital was increased from 9% to 10%.

The kilometerage covered by Haryana Roadwasy was less to the extent of 21.41 lacs kilometers due to recent Punjab disturbances.

II. The Steps taken to reduce losses are as under:-

(1) The performance of each depot is reviewed every month so as to reduce the operational cost and to increase income;

(2) Checking of routes has been intensified;

(3) Emphasis is made on advance booking;

(4) The enforcement staff has been directed to curb un-authorised operation of three wheelers and 4 wheelers in the State.

(5) The workshops are checked frequently by the technical officers of the department to improve its working & reduce the operational cost;

(6) Inventory is kept at the minimum level.

Attaching of Income Certificates with the sale deeds

***764. Ch. Kulbir Singh Malik**: Will the Minister of State for Revenue and Home be pleased to state –

(a) whether any income certificate is required to be attached with sale deeds worth rupees fifty thousand and more at the time of presentation for registration thereof;

(b) if so, whether any case of income certificate having been attached after the registration of the documents referred to in part (a) above, have come to the notice of the Government; and

(c) if reply to part (b) above be in the affirmative, the Tehsilwise number of cases where such certificates were not attached during the years 1982-83 and 1983-84?

Minister of State for Revenue (Sh. Lachhman Dass Arora):

(a), (b) & (c) Income Certificate is not required to be attached with sale deeds but an income tax clearance certificate is required to be attached with the deeds at the time of registration if the consideration of the property covered by a deed is more than Rs. 50000. As per reports received from the Deputy Commissioners, there was no case during the years 1982-83 and 1983-84 in which any document with consideration exceeding Rs. 50000 was registered without the required income tax clearance certificate. However, the Audit has pointed out a few cases in which according to them, such a certificate was needed but was not presented at the time of registration of the documents mainly because the deeds were split up by the Vendors so as to bring them below Rs. 50000. Such cases are being further investigated.

Bunds on Krishnavati and Dohan Rivers in Rajasthan State

***780. Sh. Ram Bilas Sharma**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether the Government is aware of the fact that the flow of rivers 'Krishnavati' and 'Dohan' passing from near Narnaul and Mohindergarh respectively, has been stopped due to construction of bunds in Rajasthan area, and

(b) if so, whether there is any proposal to approach the Rajasthan Government for getting the flows of the said rivers re-opened?

Interim Reply

"S.S. Surjewala

D.O. No. 3921-IPM-84

Irrigation & Power Minister

Govt. of Haryana

Chandigarh

September 4, 1984.

Dear S. Tara Singh Ji,

Kindly refer to Starred A. Q. No. 780 regarding bunds on Krishnavati and Dohan rivers in Rajasthan State asked by Sh. Ram Bilas Sharma, MLA which is due for answer on 5-9-1984.

2. In order to supply correct/complete information we require to collect the same from our fiedl

officers as also from other concerned departments. It will take sometime. I shall, therefore, be grateful if you kindly allow us 10 days' extension for replying this Question.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(S.S. Surjewala)

Sh. Tara Singh,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh."

Distribution of Electricity

***792. Sh. Fateh Chand Vij**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the criteria, if any, laid for the distribution of electricity in the State at present; and

(b) the circle-wise details of the changes, if any, made in the said criteria during the year 1983-84, separately alongwith the reasons therefor?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) At present, the available power is being regulated so as to meet with the minimum essential requirements of agricultural sector. The balance power is

being distributed to other sectors viz. industry, commercial and domestic consumers etc.

(b) No circle-wise changes were made in the criteria during the year 1983-84. However, area-wise changes were made from time to time in respect of arid and non-arid areas of agricultural sector.

Angan Bari Centres in the State

***754. Ch. Sahab Singh Saini**: Will the Minister of State for Education be pleased to state –

(a) the district-wise names of Angan Bari Centres existing in the State at present;

(b) the manner in which and the source by which the centres, referred to in part (a) above, are being run and financed;

(c) the purpose for which the above said centres have been established and whether the said purpose has been achieved; and

(d) whether the said centres are functioning under the control of the State Government?

Industries Minister (Smt. Shakuntla Bhagwaria):

(A) There are a total of 3242 sanctioned Anganwari Centres in 36 Projects in the State under the Integrated Child Development Services Scheme. Listing the names of Anganwari Centres will not be commensurate with the effort. The districtwise break up is as follows:-

Sr. No	Name of District		Name of Project	Number of sanctioned anganwari centres	Total
1	Ambala	(i)	Ambala	50	247
		(ii)	Raipur Rani	111	
		(iii)	Chhachhrauli	86	
2	Kurukshetra	(i)	Ladwa	61	145
		(ii)	Radaur	84	
3	Karnal	(i)	Panipat	50	50
4	Sonepat	(i)	Ganaur	126	193
		(ii)	Kathura	67	
5	Jind	(i)	Kalayat	148	148
6	Rohtak	(i)	Rohtak	75	254
		(ii)	Beri	103	
		(iii)	Chiri	76	
7	Bhiwani	(i)	Bhiwani	128	335
		(ii)	Badhra	107	
		(iii)	Loharu	100	
8	Hissar	(i)	Hissar-II	111	323
		(ii)	Adampur	112	

		(iii)	Barwala	100	
9	Sirsa	(i)	Rania	76	470
		(ii)	Baragudha	113	
		(iii)	Dabwali	105	
		(iv)	Madhosingana	100	
		(v)	Ellenabad	76	
10	Mohindergarh	(i)	Jatusana	92	495
		(ii)	Khol	88	
		(iii)	Rewari	42	
		(iv)	Nangal Chaudhary	95	
		(v)	Bawal	80	
		(vi)	Ateli	98	
11	Faridabad	(i)	Faridabad	100	207
		(ii)	Hathin	107	
12	Gurgaon	(i)	Nuh	84	375
		(ii)	Ferozpur Zhirka	80	
		(iii)	Punhana	112	
		(iv)	Taoru	52	
		(v)	Nagina	47	

			Total		3242

(b) These centres are being run by Anganwari workers who, are generally literate ladies between the ages of 18-45 years. These ladies alongwith a helper in each anganwari provide supplementary nutrition, non-formal education and health & nutrition education, to the beneficiaries. They also help teh A.N.Ms. in their taxk of health checks, immunisation and referral servies.

of the existing 36 ICDS Projects, 10 are financed by the State Government and 26 by the Central Government. The entire cost of Supplementary Nutrition is borne by the State Government.

(c) The centres have been set up for the following purposes:-

(i) to improve the nutritional and health status of children int he age group 0-6 years;

(ii) to lay the foundation for proper psychological, physical and social development of the child;

(iii) to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition and school drop-out;

(iv) to achieve effective coordination of policy and implementation amongst the various departments to promote child development; and

(v) to enhance the capability of the mother to look after the normal health and nutritional needs of the child through proper nutrition and health education.

These purposes are being achieved to a considerable extent.

(d) Yes.

Constituencywise Expenditure incurred on the Construction of Roads

***742. Ch. Balvir Singh Grewal**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the constituency-wise expenditure incurred on the roads constructed in the State during the year 1983-84; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to constrct 5 kilometres of metalled roads in each constituency in the State during 1984-85?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal):

(a) Road construction activity comprises of land acquisition, bridges and culverts, construction, widening and strengthening etc. of roads. Board details of expenditure incurred on this account in each constituency during the year 1983-84 are given in the enclosed statement. The figures given are approximate figures of expenditure derived on the basis of physical progress in each constituency as the expenditure is booked work-wise and not constituency-wise.

(b) No.

STATEMENT

Statement showing constituency-wise expenditure incurred on the construction of Roads during the year 1983-84.

Sr. No.	Name of Constituency	Expenditure incurred
		(Rs. in lacs)
1	Kalka	73.62
2	Naraingarh	23.65
3	Sadhaura	8.26
4	Chhachharauli	13.08
5	Jagadhari	7.75
6	Yamuna Nagar	14.14
7	Mulana	35.89
8	Ambala Cantt.	2.12
9	Ambala City	5.88
10	Naggal	12.05
11	Indri	7.74
12	Nilokheri	9.73
13	Karnal	7.60

14	Jundla	22.36
15	Gharaunda	34.75
16	Assandh	26.42
17	Panipat	3.34
18	Smalkha	49.53
19	Naultha	16.25
20	Shahbad	27.63
21	Radaur	11.75
22	Thanesar	11.47
23	Pehowa	11.85
24	Gulha	10.89
25	Kaithal	3.59
26	Pundri	21.25
27	Pai	8.21
28	Hassangarh	0.28
29	Kiloi	0.58
30	Rohtak	3.51
31	Meham	5.05
32	Kalanaur	18.07
33	Beri	3.43

34	Salhawas	3.82
35	Jhajjar	5.13
36	Badli	18.82
37	Bahadurgarh	6.02
38	Baroda	0.95
39	Gohana	9.76
40	Kailana	12.29
41	Sonepat	4.42
42	Rai	97.72
43	Rohat	6.46
44	Kalayat	5.13
45	Narwana	11.11
46	Uchana	9.11
47	Rajaund	1.40
48	Jind	9.00
49	Julana	2.23
50	Safidon	10.73
51	Faridabad	17.12
52	Mewla Maharajpur	8.94
53	Ballabgarh	14.41

54	Palwal	30.78
55	Hassanpur	34.71
56	Hathin	24.28
57	Ferozepur Jhirka	13.43
58	Nuh	5.08
59	Taoru	21.64
60	Sohna	22.37
61	Gurgaon	6.53
62	Pataudi	27.15
63	Badhra	3.83
64	Dadri	0.06
65	Mundhal Khurd	6.80
66	Bhiwani	1.11
67	Tosham	15.74
68	Loharu	3.19
69	Bawani Khera	6.71
70	Barwala	8.89
71	Narnaund	5.49
72	Hansi	4.18
73	Bhattu Kalan	29.69

74	Hissar	18.00
75	Ghirai	9.75
76	Tohana	26.35
77	Ratia	7.46
78	Fatehabad	32.11
79	Adamapur	42.91
80	Darba Kalan	9.57
81	Ellenabad	19.80
82	Sirsa	12.00
83	Rori	31.50
84	Dabwali	22.24
85	Bawal	7.45
86	Rewari	4.09
87	Jatusana	14.50
88	Mohindergarh	13.43
89	Ateli	18.53
90	Narnaul	3.29

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि बिजली बोर्ड में 6 हजार गवर्नमैंट एम्पलाईज हैं।

इन में जो शडयूल्ड कास्टस, बैकवर्ड क्लासिंज और शडयूल्ड ट्राइब्ज हैं, इन के साथ बड़ा भेदभाव बरता जा रहा है। सरकार ने जो पालिसी बनाई थी उसकी इम्पलीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आपने यह प्रस्ताव कब दिया था?

श्री हीरा नन्द आर्य: मैंने सवेरे दिया था।

श्री अध्यक्ष: मैं देख लूंगा, अब आप बैठ जाइए।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी आपसे एक सबमिशन है। डैमोक्रेसी के चार पिलर होते हैं – जुडिशरी, एग्जैक्टिव, लैजिस्लेचर और प्रैस। मैंने बड़ी हैवी हार्टडली एक काल अटैन्शन का मोशन दिया है। जिस पेपर पर 31 लोगों के सिगनेचर हैं, उसकी कापी भी आपकी इन्फर्मेशन के लिए दी थी। मेरा काल अटैन्शन मोशन एक स्पैसिफिक, डैफिनिट और जनरल पब्लिक के महत्व का है।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको बताया था कि मैंने 6 तारीख के लिए कमैंटस मांग रखे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह तो आपने फरमाया कि 6 तारीख के लिए कमैंटस मांग रखे हैं लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि यह बहुत इम्पोर्टैन्ट मामला है ओर सैशन केवल 7 तारीख तक है इसलिए 6 या 7 तारीख तक वे कमैंटस जरूर आ जाने चाहिएं। सर, इस प्रकार की प्रथा यहां डाली जा रही है कि फोर्थ ऐस्टेट के लोग इंडिपैन्डेन्टली अपनी

ओपिनियन ऐक्सप्रैस नहीं कर सकते। उन्हें ऐडवर्टाइजमैंटस के बहाने से गैग किया जाता है। ऐडवर्टाइजमैंटस विदड्रा करके यदि उनकी आजादी को क्र्व किया जाता है तो रहना मुश्किल हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: यह तो बात हो गई।

श्री वीरेन्द्र सिंह: दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि you have been good enough to convert my call attention motion into motion under Rule 84.

श्री अध्यक्ष: 4–5 मोशन्ज हैं जो मैंने रूल 84 के तहत डिसकशन के लिए कन्वर्ट कर दी है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: धन्यवाद जी। लेकिन आज जो कागज डिस्ट्रिब्यूट किए गए हैं उनमें ऐसा नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष: उसकी री–डिस्ट्रिब्यूशन की जाएगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, एक और बात मैं कहना चाहता हूं। फार्मेसी कालेजिज के बारें में कल कुछ फैक्टस जबानी तौर पर मैं आपको देकर आया था लेकिन आज मेरे पास राइटिंग में भी कुछ फैक्टस हैं। अखबारात के अखबारात उनकी ऐडवटाईजमैंटस से भरे पड़े हैं। दैनिक ट्रिब्यून में तो ऐडीटोरियल नोटस भी हैं। ऐडवर्टाइजमैंटस में इन कालेजिज की तरफ से लिखा गया है कि ये हरियाणा गवर्नमैंट से रिकोग्नाइज्ड हैं।

Mr. Speaker: That has been disallowed.

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, मैं आपके चैम्बर में पेश हुआ था और आपने कहा था कि आप गौर फरमायेंगे।

श्री अध्यक्ष: उसे मैंने दुबारा कंसीडर किया है। I am very sorry, I have not been able to agree with you and accept it. So it is disallowed.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, उनमें 60–70 हजार रूपये का घपला है। आप ही मुझे बताएं कि इस बात को मैं कैसे हाउस में लाऊं? उसमें मंत्री लोग भी इनवैलव्ड हैं।

Mr. Speaker: I am sorry, i have not been able to agree with you.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैंने बाजरे के बारे में सबसे पहले काल अटैन्शन मोशन दी थी। बाजरे की फसल चार साल तक खराब होती रही है। एक बार बाजरा कड़ा था। कड़बी भी कड़वी थी। सारा बीज सरकार ने दिया था। एक बार बाजे का पौधा डेढ़ फुट तक चला गया था लेकिन उसमें सट्टी नहीं आई। अब की बार इन्होंने जो बारे की बीज दिया है वह उठा ही नहीं। इससे किसानों का बहुत नुक्सान हुआ है। तो स्पीकर साहब, जब रामबिलास शर्मा की काल अटैन्शन मोशन आ सकती है तो मेरी भी आ सकती थी। उसे ब्रैकेट करके भी लाया जा सकता था।

श्री अध्यक्ष: बहन जी, जब मैंने श्री राम बिलास शर्मा की काल अटैन्शन मोशन को ऐडमिट कर लिया तो आपकी काल अटैन्शन मोशन को ऐडमिट करने में मुझे कोई आपति

नहीं थी लेकिन वह प्रौपर फार्म में नहीं आती थी। आपने पिछले चार पांच सालों का उसमें जिक्र किया हुआ है जिनके बारे में पहले यहां जवाब आ चुका है। अगर ऐसी बात न होती तो उसे भी श्री राम बिलास शर्मा की काल अटैन्शन मोशन के साथ ब्रैकेट किया जा सकात था।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, सिविल ऐविएशन के हवाई जहाज के अनऔथोराइज्ड यूज के बारे में भी मेरी एक काल अटैन्शन मोशन थी। उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker: That has been disallowed.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर सहाब, गवर्नर साहब को हवाई जहाज की जरूरत नहीं थी। उसमें अनऔथोराइज्ड लोग बैठ कर आए हैं जो कि बहुत सीरियस बात है। इन्होंने इसमें गवर्नर साहब की भी बदनामी करने की कोशिश की है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय जिस दिन गवर्नर साहब ने औथ लेनी थी उससे पहले दिन शाम को हमने हवाई जहाज दिल्ली भेज दिया था। रैगुलर सर्विस कई दफा चलती है, कई दफा नहीं। हमने सोचा कि अगर रैगुलर सर्विस न आए तो दिक्कत हो जाएगी। औथ का टाईम 9 बजे रखा हुआ था लेकिन गवर्नर साहब ने पहले ही सीटस बुक करा रखी थी और वे रैगुलर फलाइट में अपनी फैमिली के साथ आ गए तथा हमारा हवाई जहाज राज्यपाल महोदय को बिना लिए आया।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, उसमें अनऔथोराइज्ड लोग आए हैं।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हवाई जहाज खाली आ रहा था। अगर उसमें पायलट की बीवी और बच्चे आ गए तो इसमें गुनाह की क्या बात हो गई। इन्सानियत का भी कुछ तकाजा होना चाहिए। इसमें उस आदमी ने क्या पाप क्या दिया?

श्रीमती चन्द्रावती: एयरवेज के कुछ कानून कायदे हैं। सिविल ऐविएशन के भी कुछ कानून कायदे हैं, रूल्ज हैं, नौमर्ज हैं। उनके मुताबिक किसी पायलट या मुलाजिम के परिवार के लोग हवाई जहाज में नहीं आज सकते। गवर्नर साहब को हवाई जहाज की जरूरत नहीं थी। उस औफिसर के बच्चों को लाने के लिए ही हवाई जहाज दिल्ली भेजा गया था।

श्री अध्यक्ष: बहन जी, मेरी कार में या आपकी कार में अगर ड्राइवर अपनी बीवी या बच्चों को बिठा ले तो इसमें जुर्म की क्या बात है? यह तो बहुत छोटी सी बात है।

चौ. भजन लाल: बहन जी, आपको कार एज लीडर औफ दी अपोजीशन मिली हुई है लेकिन उस कार में आप पता नहीं कितने लोगों को साथ बैठाकर चलती हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: कार को इस्तेमाल करने के अलग रूल्ज है और हवाई जहाज के इस्तेमाल करने के अलग रूल्ज हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठिए।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, होडल के अन्दर लोगों को पीने के लिए गन्दा पानी मिल रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में एक काल अटैन्शन मोशन दी है। मैं उस पानी का नमूना बोतल में लाया हूं और आपकी इजाजत से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इसे देख लें कि यह कितना गन्दा पानी है तथा इसके बारे में आवश्यक इंक्वायरी करवाएं। होडल के लोग ऐक्सीयन और दूसरे कंसर्न्ड औफिसर्ज के पास गए लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। स्पीकर साहब, यह पानी हयूमैन कंजम्पशन के काबिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपका नोटिस मुझे मिला है। सिटिंग की बैल हो गई थी इसलिए मैं उसे पढ़ रही पाया। I will consider it.

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे। अगर पीन समचुच गन्दा है तो इसका इन्तजाम करेंगे।

ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाना

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपने तो कहा कि मेरी काल अटैन्शन मोशन को कमैंटस के लिए रैफर किया गया है लेकिन ट्रिब्यून अखबार में छपा है कि उसे रिजैक्टर कर दिया गया है। I have givne notice of a privilege motion against the correspondent of the 'Tribune' because he has wrongly reported the proceedings of the House.

Mr. Speaker: That will be examined.

वैयक्तिक स्पश्टीकरण –

(i) श्री लछमन सिंह द्वारा

श्री लछमन सिंह: स्पीकर सर, मैं आपकी मार्फत सदन को बताया चाहूंगा कि पिछले महीने की छः तारीख को मुझे किस तरह से चन्डीमन्दिर थाने में इललीगल डिटेन्ड किया गया। बेश्तर इसके मैं अपनी दास्तां आपके और सदन के आगे रखूं, मैं हाई कोर्ट के वारन्ट अफसर की चन्द लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें।

"In compliance with the orders of Hon'ble Mr. Justice J.M. Tandon dated 6th August, 1984, I alongwith the petitioner namely S. Bhagat Singh left Chandigarh by car at about 5.15 P.M. on 6.8.1984 and reached Police Station, Chandimandir at about 6.40 P.M. on the same day where I met Sh. Manjit Singh Ahlawat, D.S.P., Kalka and Sh. Jaswant Singh, DSP, Naraingarh. I disclosed them my identity and the purpose of my visit and found one of the alleged detenue namely S. Lachhman Singh, MLA, Kalka, sitting in one of the room inside the Police Station, Chandimandir. The above named police officers informed me that although no case has been registered against the above named alleged detenue but he had been brought from Kalka today at about 11.30 A.M. to Chandimandir Police Station for interrogation in connection with one case registered at P.S. Kalka vide F.I.R. No. 50 u/s 147/148/149/341/427/440/506 IPC dated 5-8-1984. They

further informed me that the above named detenue was no more required for further interrogation and he was at liberty to go any where he felt like. I made the entry regarding my time of arrival and departure at Sr. No. 17 in the DDR of Police Station, Chandimandir."

स्पीकर साहब, मैं सारी दासतां बड़े भारी दिल के साथ आपके सम्मुख अर्ज करना चाहूंगा और यह बात हर आदमी के साथ हो सकती है। वे चीफ मिनिस्टर सारी उम्र नहीं रहेंगे, डेमीक्रेटिक देश है चीफ मिनिस्टर बदलते हैं और बदलते रहे हैं लेकिन ऐसी परम्परायें न डालें जो अपने वाली जनरेशन उन पर अमल करे। स्पीकर साहब, मैं किसी की अथौरिटी को चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं और न ही मुझे किसी के खिलाफ गिला है। मैं एक छोटी सी अर्ज दो मिनट में ही करना चाहूंगा। मैं पांच तारीख को यहां नहीं था। मैं उस दिन सहारनपुर अपनी लड़की से मिलने गया हुआ था। स्पीकर साहब कालका के अन्दर तीन तारीख को स्टेबिंग का वाका हुआ। मुझे चार तारीख को पता लगा। मैंने पुलिस स्टेशन टेलीफोन किया कि यहां पर इतनी गड़बड़ क्यों होती है। जिस आदमी को घायल किया गया था वह आदमी पी.जी.आई. में बेहोश पड़ा था। मैंने कहा कि उन मुलजिमों के खिलाफ एकशन लो लेकिन पुलिस वालों ने कुछ एक्शन नहीं लिया। पांच तारीख को जब लोगों को यह पता लगा कि उसकी हालत खराब हो गई है, वह बनिया का लड़का था जिसकी छुरे लगे थे। वह पी.जी.आई. में बेहोश पड़ा था। अब भी शायद वहीं हो। अब की हालत का मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं क्योंकि दो चार दिन से पता नहीं किया लेकिन हजार

1500 लोग इकट्ठे हो गये, थाने में गये। उन्होंने वहां कहा कि मुलजिम को पकड़ो लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। वहां काफी शोर हो गया। वहां पर एक छोटा सा हलवाई है जिसने यह एक्शन किया था, जिसकी दुकान है। उसने सात फाइरिंग बन्दूक से की हैं लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोगों के दिल में गुस्सा था। यह बात आप भी महसूस करते होंगे और हर जगह महसूस होती है। स्पीकर सहाब मैं भी पांच तारीख को लौट आया। छः तारीख अरली इन दि मोरनिंग टेलीफोन आया। मैं दा बजे छः तारीख को थाने में गया। मैंने कहा कि आपने यह कालका में 150–200 गरीब लोगों पर झूठे मुकदमे बना रखे हैं आप इनको क्या नहीं खत्म करते। दो डी. एस.पी. थाने में बैठे थे। उनकी सारी दासता मैंने सुनाई। आप इसको खत्म कीजिए लोगों में हाहाकार मची हुई हैं। उस दिन रात को 25–30 आदमियों को राउन्उ–अप कर लिया गया। लोग वहां पूछते आते हैं, रात को भी पूछते रहे कि हमारा लड़का कहां है, हमारा बेटा कहां है। मुझसे पूछते है कि रात को भी पूछते रहे कि हमारा लड़का कहां है, हमारा बेटा कहां है। मुझसे पूछते है कि कहां है? मैंने कहा कि मुझे क्या पता है? उन सब लोगों को वे रायपुररानी थाने में ले गये। स्पीकर साहब मैं ज्यों ही थाने से बाहर निकला पांच–सौ, सात–सौ आदमी इकट्ठे हो गये। उन्होंने कहा कि शहर बन्द करें। स्पीकर साहब मैं झूठ नहीं बोलूंगा जो भी बात कहूंगा यहां ईमानदारी से कहूंगा यहां ईमानदारी से कहूंगा। शहर बन्द हुआ। मैं शहर में घूसा, लछमन सिंह जिन्दाबाद के नारे लगाये गये। इसमें कोई शक

की बात नहीं है। ज्यों ही मैं अपनी कोठी के पास पहुंचा यानी एक मिनट का ही फासला रह गया था एक डी.एस.पी. और तीस चालीस सिपाहियों ने घेर लिया। उन्होंने कहा कि यहां पर दफा 144 लगाई हुई है। मैंने कहा यहां पर दफा 144 नहीं थी और इस बारे में मैं चीफ मिनिस्टर साहब से चाहूंगा कि पता करायें कि छः तारीख को आया कालका में दफा 144 थी या नहीं। उन्होंने कहा कि अीाी लगी है। मैंने कहा कि अगर अभी लगी है तो छः तारीख को मेरी लैजिसलेटिव पार्टी की मीटिंग है, मैं वहां पर जा कर चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह सारी बातें लाऊंगा। उन्होंने फिर कहा कि "No, you are under arrest." मैंने कहा कि अगर अन्डर अरैस्ट हूं तो चलिए। मुझे डी.एस.पी. नारायणगढ़ अपनी जीप में बैठा कर चण्डीमन्दिर थाने में ले जाये। वहां पर बैठे हए जब शाम के छः बजते हैं तो मैंने पूछा कि तुमने मेरा क्या करना है, दो आदमी और भी थे। मैंने कहा कि आप मुझे कहीं जे में भेजो या कया करना है, मेरा क्या जुर्म है, मुझे बताइयें। वे कहते हैं कि आप जमानत पर चले जाइये मैंने कहा कि मैं जमानत पर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि मैंने क्या गुनाह किया? स्पीकर साहब इतने में ही छः बज कर चालीस मिनट पर एक वारन्ट अफसर वहां पर पहुंच गया। उसने वहां पर सारी कार्यवाही की। तो स्पीकर साहब मैं इस हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि क्या यह हाउस यह मानता है कि लछमन सिंह क्रिमिनल आदमी है, उसका एटीच्यूड क्रिमिनिलटी की तरफ हैं एक बात में आपकी मार्फत सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि क्या कालका के लोग एक साल से क्रिमिनल बन

चुके हैं। वहां, आज तक स्पीकर साहब मैं चैलेन्ज करता हूं, अपोजीशन बैठी है, कालका का एक आदमी भी यह कह दे कि जिस दिन लछमन सिंह बरसरे – इकतदार रहा हो और किसी एक भी कालका के आदमी को तकलीफ हुई हो। अगर यह बात हुई है तो मैं अभी असैम्बली से इस्तीफार दे दूंगा। आजकल वहां के लोग क्रिमिनल कैसे हो गये? स्पीकर साहब यह पोलिटिकल वैनडेटा है। लछमन सिंह को इन हथकन्डों से नहीं दबाया जा सकता। यह सिर कटा सकात है झुका नहीं सकता। स्पीकर साहब मैं सबको और चीफ मिनिस्टर साहब से भी अर्ज करना चाहूंगा कि अढ़ाई वर्श गुजर चुके हैं हरियाणा असैम्बली को बने हुए, अब कोई लम्बी मियाद नहीं रही। अव्वल में तो 103 दिन बाकी हैं फैसला होने में। यह फैसला क्या होना है, वह फैसला तो हिन्दोस्ता की जनता करेगी। क्या हिन्दोस्तां के लोगों ने फैसला करना हैं लम्बी बात नहीं है। स्पीकर साहब मैं फिर से अर्ज करूंगा कि आप परम्परायें ऐसी डालें जिससे आइन्दा आने वाले जमाने में किसी को कोई तकलीफ न हो। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि जब चौ. देवी लाल जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त यह मेरे पास आए। इनके साथ कोई ऐसी बात हुई होगी जो इन्हें पसन्द नहीं होगी, मुझे भी याद नहीं कि क्या केस था, मर्डर का केस था लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैंने उस समय चौ. भजन लाल जी से यह कहा था और यह भी समझेंगे, इन हाउस में चौ. भजन लाल जी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि इस हाउस मे ंलिखा हुआ है कि सच बोलो, मैंने कहा कि चौ. भजन

लाल जी अगर आपके साथ ज्यादती हुई तो मैं सबसे पहले इस्तीफा दूंगा। मैंने कहा कि मैं पोलिटिकल वैनडेटा के सख्त खिलाफ हूं। चौ. भजन लाल जी से मैं अर्ज करूंगा कि आप यह बतायें कि क्या यह बात सच है या नहीं। मैंने उस अफसर के सामने जाकर चौ. भजन लाल भी साथ थे, यह कहा था अगर पोलिटिकल वैनडेटा पर चौ. भजन लाल के साथ कोई ज्यादती होगी तो सरकार भी उल्टी जा सकती है। तो मैं इस जमीन का मालिक हूं मैं चौ. भजन लाल जी को बताना चाहूंगा कि वक्त आयेगा कि जब ये बातें आपके आगे आयेंगी और जब उस वक्त मैं आपकी मदद करूंगा। मैं यह परम्परा नहीं डालना चाहता। स्पीकर साहब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं आया आप वारन्ट अफसर की बात सच मानेंगे या चौ. भजन लाल जी ने अखबार में एक स्टेटमैंट दी, ये उस पर स्टीक करेंगे, की बात को सच मानेंगे मैं समझता हूं और प्रेस भी देख रहा है, इन्होंने कहा कि लछमन सिंह अपने आप कार में बैठ गया क्योंकि कार में मैं इसलिये बैठ गया कि मैं सैरगाह में जा रहा था, शिमला में माल रोड पर सैर करने जा रहा था और यह भी कहते है तीन बजे उसे छोड दिया। स्पीकर साहब पौने पांच बजे तो हैबियस कोपर्स पेश हुआ था। ये सारी बातें अखबार में छप चुकी हैं, मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी दास्तां नहीं करना चाहता और न ही यहां हाउस का टाईम लेना चाहूंगा, मैं सिर्फ हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा और आप यह फैसला करें कि आया यह प्रिविलेज इशू उनके खिलाफ जिनका इसमें हाथ था बनता है या नहीं और यह हाउस हाईकोर्ट के वारन्ट अफसर की स्टेटमैंट

जो उसने जज आफ हाईकोर्ट के सामने पेश की है उसको सही मानते हैं या नहीं मानते। ये दो तीन सवाल आपके सामने रखना चाहूंगां अगर वारन्ट अफसर जिसाक मैजिस्ट्रेट का दर्जा होता है उसने मुझे थाने से रिकवर किया उसको सही मानते हैं या दूसरी बात को सही मानते हैं। मैं कांग्रेस के भाइयों से यह दरखास्त करूंगा कि जिम्मेदारी से अपनी आत्मा से पूछें और वह सामने भी लिखा हुआ है कि अगर आत्मा यह मानती है कि वारन्ट अफसर सही है तो यह प्रिविलेज बनना चाहिए और यह मामला प्रिविलेज कमेटी को देना चाहिए। स्पीकर सहाब मैं सिर्फ यही आपसे दरखास्त करूंगा कि इसकी कम्पलीट इन्कवायरी करायें। एक बात कह कर मैं अपनी जगह लूंगा –

गुनाहगारों में शामिल गुनाह से नहीं वाकिफ

सजा तो जानते हैं खुदा जाने गुनाह क्या है

चमन में अब भी बाकी हैं जले पत्तों की तहरीरे

यह वह तारीख जिस दिन बिजली गिरी थी आसमां पर।

(ii) मुख्य मंत्री द्वारा –

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय सरदार लछमन सिंह जी ने बड़े जोश में यह बात कह दी। अध्यक्ष महोदय बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर कई बातें ठीक नहीं कही जाती। इस सदन के जितने भी सदस्य हैं

चाहे वहा रूलिंग पार्टी में हैं, चहो अपोजीशन के हैं हम सब का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अध्यक्ष महोदय जो हालात इन्होंने बताये हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है, वह फर्क क्या है। वहां पर एक फौजी छुट्टी आया हुआ था वह दुकानदार की दुकान पर दूध लेने के लिए गया था। वहीं पर सरदार लछमन सिंह के भाई गीता सिंह और उनका भतीजा भी खड़े थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब यह सब–जुडिस मामला है इस पर कैसे बोल सकते हैं। ये हाउस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: The Chief Minister knows is position. When he makes any statement, he owns the responsibility. (Noise & interruptions.)

11.00 बजे

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, फौजी छुट्टी आया हुआ थां उसने क्या कहा। उसने यह कह दिया कि फौजी आया है, इन्होंने गुरूद्वारों के ऊपर बड़ा भारी अन्याय किया हैं जो फौजी छुट्टी आयेंगे, उनका इलाज करना हमारा काम है। यह शब्द इनके भाई और भतीजे ने इस्तेमाल किये। इस पर फौजी और इनके भाई के बीच मैं गाली–गलौच हो गया और सभी लोग इकट्ठे हो गए और झगड़ा हो गया। उस फौजी के पास चाकू था। उसने इनको चाकू मार यिदा जो कि एक आदमी को लग गया। काफी लोग इकट्ठे हो गये। इकट्ठे होकर लोग थाने में चले गये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो मैटर सब–जुडिस है, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना।

चौ. भजन लाल: बहुत अच्छा जी। मैं रैलेवैन्ट बात ही कहूंगा। मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा, ठीक बात कहूंगा। ये थाने में चले गये। पुलिस वालों ने उसी वक्त मुकदमा दर्ज किया। इन्होंने क्या किया। इन्होंने उसी सय थानेदार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिये। वहां से इकट्ठे होकर उसी फौजी के घर पर पहुंच गये। उसके घर पर जाकर उसका सारे का सारा मकान पत्थरों और रोड़े से भर दिया। बड़ी भारी ज्यादती करने की कोशिश की गयी। यही नहीं उसको जान से मार डालने की धमकी भी दी गयी कि बाहर निकलो। 3 घंटे तक रोड ब्लाक रहा। उसक बाद पुलिस वालों ने दोनों साईडज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उस फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार लछमन सिंह सवेरे वहां पर चले गये। इन्होंने पूछा कया हुआ और कैसे हुआ। सब कुछ जानने के बाद इन्होंने वहां पर सारा बाजार बन्द कराने की कोशिश की लेकिन बजार बन्द नहीं हुआ। शहर के लोगों ने कहा कि हम बाजार बन्द नहीं करेंगे। इन्होंने लोगों को भड़काने की काफी कोशिश की लेकिन लोग भड़के नहीं। बाजार बन्द नहीं हुआ। पुलिस ने कह दिया की इनकी ज्यादती है। पुलिस ने कुछ उन लोगों को भी पकड़ा जिन्होंने पथराव किया था। फौजी को भी पकड़ लिया। पुलिस को इनके भाई की तलाश थी। वह कहीं भाग गया। यह पुलिस वालों के पास थाने में गये कि मेरे भाई को थाने में ले गये होंगे। थाने में इनका भाई नहीं था और लोग

वहां पर थे। उनसे यह बात करते रहे। इन्होंने जैसे उस समय कहा कि वारन्ट आफिसर गया। यह थाने में बैइे हुए थे। इनको गिरफ्तार हीं किया हुआ था। बाकायदा कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसने पुलिस को पूछा कि यह क्यों बैठे हुए हैं। पुलिस ने बाकायदा ब्यान दिये है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है यह अपने आप बैठे हुए हैं। हमने इनको तीन बार कह दिया कि आप जा सकते हैं, यह जाते नहीं हैं। (व्यवधान व शोर) ये बाद में आ गये। पुलिस वालों ने यह कहा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। हमने आपको बिठा नहीं रखा है। उस वारन्ट आफिसर ने क्या लिखा, कया नहीं लिखा, इसका मुझे पता नहीं है। आने के बाद अगली बात मैं यह बताना चाहता हूं कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया। (व्यवधान व शोर) हम कहेंगे कि क्यों किया गया? अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये हाउस को दाद देनी पड़ेगी कि सरदार लछमन सिंह जी ने जो काम किया, उसमें पुलिस ने बहुत एहतियात बरती। 10 आदमी इकट्ठे होकर दो गाड़ियों में ये निकले। पुलिस मुलजिम की तलाश में जा रही थी। उन्होंने कालका की एक प्राइवेट टैक्सी ले रखी थी। या तो यह बात आन ओाि कह दें या मैं यह बात आन ओथ कहता हूं। मैं यह बात आन ओथ कहने के लिए तैयार हूं कि अगर यह बात गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर ठीक न हो तो ये इस्तीफा दे दें। इन्होंने क्या किया। इन्होंने गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी करके उसको आगे लगाकर गाड़ी को रोक लिया। ड्राईवर को उसमें से उतार लिया। ड्राईवर को उतरा करके उसको धक्के दे कर अपनी गाड़ी में बिठाया और भाग निकले। एक ए.एस.आई.

एक हवालदार और दो सिपाही के सामने की बात है। उन्होंने इज्जत रखने के लिए कि एक एम.एल.ए. हैं, अब इनको क्या कहें, इनके खिलाफ कुछ नहीं किया वरना वे इनकी कार के टायर पर गोली भी चला सकते थे। इन पर गोली भी चला सकते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस वालों ने जाकर केस दर्ज किया कि ये धक्के से उस ड्राईवर को उठा ले गये हैं। उसके मांग न, बाप ने, भाई ने, सैंकड़ों आदमियों ने बाकायदा यहां पर आकर जलूस निकाला। शहर में जलूस निकाला। (व्यवधान व शोर)

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफर आर्डर सर। स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री से यह कहना चाहती हूं कि इतना सीरियस मामला है। या तो यह लिखी हुइ स्टेटमैंट दें, अदरवाईज जबानी स्टेटमैंट देने का कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष: यह देखना तो मेरा काम है। आप बैठियें। (व्यवधान व शोर)

चौ. भजन लाल: क्या बात करती हैं। बहुत पुरानी मैम्बर हैं। कम से कम कुछ तो समझ होनी चाहिये। (व्यवधान व शोर)

एक आवाज: आपके ध्यान में लाया गया है कि केस रजिस्टर्ड है और केस सब–जूडिस है।

श्रीमती चन्द्रावती: जवाब, इनको लिखी हुई डाकुमैंट से पढ़ना चाहिये।

Mr. Speaker: You are no body to ask this. It is my function.

चौ. भजन लाल: यहां पर रिकार्ड भी हो रहा है और टेप भी साथ में हो रहा है।

चौ. सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जो मैटर सब–जुडिस है और जिसके बारे में यह दोबारा गिरफ्तार हुए हैं, अब उसके बारे में मैं बताने लग रहे हैं। या तो ये पहले वाले केस की ही बात बतायें। उसका जवाब तो अब इन्होंने दे दिया है। अब तो ये दूसरे केस के बार में गवर्नमैंट का स्टैंड बता रहे हैं कि यह है। (व्यवधान व शोर)

चौ. भजन लाल: यह दोनों ही बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो मैं यह बता रहा था कि ये उसको उठा कर ले गये। उसके बाद बहुत शोर मचा कि हमारे आदमी को कत्ल कर दिया। पता नहीं क्या किया होगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इनसे पूदा। इन्होंने बताया नहीं। आखिर इनको गिरफ्तार करना पड़ा। गिरफ्तार करने के बाद इनको जमानत हो गयी। लेकिन उसक बाद उस आदमी को जहां कहीं इन्होंने छिपा रखा था, वहां से ले जाकर पंजाब में उसके जिम्मे कुछ शराब की बोतलें लगाकर उसको गिरफ्तार करवाया। वहां से उसने जमानत करवाकर बाकायदा कोर्ट में ब्यान दिया है कि मुझे सरदार लछमन सिंह और इनके लोग उठाकर ले गये और मेरे से

डराकर धमका कर सीने पर पिस्तौल रख कर सफद कागज पर साईन करा लिये। इन तरह का वातावरण कोढ भी आदमी बनाये, इस तरह की बात करने वाला कोई भी मैम्बर हो सकता है, चाहे वह कांग्रेस का एम.एल.ए. हो या अपोजीशन का एम. एल.ए. हो, अगर सरकार यह कार्यवाही न करती तो यह कहते कि भई कांग्रेस का एम.एल.ए. हैं इसलिये कोई एक्शन नहीं लिया। हमने जो कुछ भी किया है, वह कायदे कानून के मुताबिक किया है। यह कहते है कि मेरे साथ बड़ा भारी जुल्म और अन्याय किया है, यह गल्त बात है। हमने जो कुछ भी काम किया है, कायदे कानून के अनुसार किया है। हम तो ऐसे आदमी हैं कि जिन्होंने हमारे से ज्यादती कर रखी है, भजन लाल ने तो उनको भी माफ कर रखा है हम तो इस बात में यकीन रखते हैं कि जो ज्यादती करेगा, उससे परमात्मा जरूर बदला लेगा। हमने सरदार लछमन सिंह को एक ही बात कही है और आज फिर कहता हूं कि अगर वह यह समझते है कि किसी अफसर ने उनके साथ कोई ज्यादती की है तो लिख कर दें। अगर ऐसी बात हुई तो मैं 12 घंटे के अन्दर–अन्दर उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। अगर नहीं लूंगा तो मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी एक बात कही है। मैं कोई लम्बा चौड़ अर्सा नहीं चाहूंगा। दो चार दिन में फैसला हो जायेगा। सरकार इस बात की इन्कवायरी के लिये कि मेरे भाई ने उस फौजी को यह कहा है कि आपने सिखों को तंग किया है, वगैरा–वगैरा, कोई अपनी

मर्जी के 5 आदमी लगा दे। जो आदमी इनका अच्छे लगते हों वे अप्वायंट कर दें। अगर वे यह बात कह दें कि मेरे भाई ने ऐसे शब्द कहे हैं तो मैं इस्तीफा दें दूंगा वरना ये इस्तीा दे दें। (व्यवधान व शोर)

चौ. भजन लाल: आपने उस ड्राईवर को उठाया है या नहीं, यह बताओं (व्यवधान व शोर)

श्री लछमन सिंह: मैं तो यह कहता हूं कि आप अपनी मर्जी के 5 एम.एल.ए. मुकर्रर कर दो जो आपको पसन्द हों। स्पीकर साहब, ड्राईवर की बात जो बताई हैं, वह मैंने सुनी है। मैंने ड्राईवर की बात इसलिये नहीं बताई है क्योंकि मामला सब–जुडिस था। मैंने आपको 6 तारीख तक की बात बताई थी। 11 तारीख की रात तक मेरे भाई गीता सिंह और उसका लड़का पुलिस की हिरासत में थी। उनको 5 तारीख को पुलिस लेकर चली गयी। 6 तारीख को उनको रायपुर रानी रखा। रायपुर रानी से लेकर 7 तारीख को नयौला चले गये। पुलिस की कस्टडी में ही वे रहे। 8 तारीख की शाम को करनाल के अन्दर पहुंच गये। करनाल के एस.पी. ने तमाम थानों को वायरलैस की है कि अगर यह मुलजिम 9 तारीख की सुबह तक मेरे पास रहे तो मैं सबको सस्पैंड कर दूंगा। वायरलैस का रिकार्ड मौजूद है। उनको पता होगां करनाल के थाने से रिकार्ड मंगवा लें। उनको वापिस नयौला ले गये। फिर वहां हाई कोर्ट में हमने 10 तारीख को हैबीयत कोरपस की रिट वापिस ली। उनको पौंटा साहब में 12 बजे एस.आई. ने जाकर गिरफ्तार किया है यह दिखा दिया। यह जो कार के ड्राईवर की बात करते हैं यह 164 आदमियों की

स्टेटमैंट है जो उस ड्राईवर के बारे में है वह मेरे पास है। यह तो पुलिस ने करवाया है। यह आप पढ़ लें, पढ़ने का शायद टाईम नहीं होगा। मैं आपको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह नहीं होगा।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, यह जो बात पंजाब की करते हैं, 13 तारीख को वही ड्राईवर, मैं तो पुलिस की हिरासत में था, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास खरड़ के पास जाकर स्टेटमैंट देता है, एक आदमी के ऊपर दावा करता है, जिसको यह मुझे बता रहे हैं कि उठाकर ले गया वह दावा दायर करता है 13 तारीख को अशोक कुमार ड्राईवर कि मुझे फलां आदमी से मारने का खतरा है और उसके सम्मन जारी होते हैं। स्टेटमैंट औन औथ देता है। क्या वह भी गल्त बात है? सारी गल्त बातें हैं तो सिर्फ चौ. भजन लाल ही सच्चे हैं। यह फैसला कोर्ट से करवाएंगे। चौ. भजन लाल जी मुझे आपसे हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है और न मैंने कहा है। आप जोर लगाएं जोर से जितना लगा सकते हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है औ यह सारी बातें बिल्कुल गल्त कही हैं। औन औथ कहने को तो यह कहते रहते हैं। चौबीर घंटे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारा ही कुछ इन्होंने गल्त कहा है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, एक डैफिनिट रैफ्रैन्स की वजह से आपके सामने प्रिविलिज मोशन मूव की गई इस हाउस के मैम्बर के सथ जो मिसबिहेव किया गया, अगेन्सट रूल्ज जो बात की गई, आनरेबल मैम्बर ने हाउस में खड़े होकर

आपके सामने वह सारी बात कही है। कुछ बातों को चीफ मिनिस्टर ने डिनाई किया। स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। क्या यह फिट केस नहीं है प्रिविलिज कमेटी को रैफर करने का जिससे कि सारे मामले पर गौर हो जाए वंस फार आल क्योंकि पूरी लोगों में बात होगी तो सारी बात छंट जाएगी।

Mr. Speaker: I will give my ruling later on.

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, सरदार लछमन सिंह ने और मुख्यमंत्री ने जो बातें कहीं हैं वे करीब–करीब मिलती हैं। जिस तरीके से हमारे सम्मानित सदस्य को थाने में बुलाया गया .....

श्री अध्यक्ष: आप रैपीटीशन क्यों करते हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं रैपीटीशन नहीं करूंगा। मैं नई बात बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट इस बात को डिनाई नहीं करती कि सरदार लछमन सिंह को थाने नहीं बुलाया गया। यह गवर्नमैंट का स्टैण्ड है कि इन्टैरोगेशन के लिए बुलाया था।

Mr. Speaker: Detailed statements have come.

श्री सुरेन्द्र सिंह: मैं एक लाइन में खत्म करूंगा। चीफ मिनिस्टर का बयान मैंने अखबार में यह पढ़ा कि वह तीन बजे रिलीज कर दिए गए। तीन बजे अखबार में आया है।

चौ. भजन लाल: मैंने नहीं कहा।

श्री सुरेन्द्र सिंह: वह लिखने वाले ऐसे हैं जिनको आप गल्त नहीं कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह: मैं यह कहना चाहता हूं कि फार आर्गूमैंट सेक यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री की इसमें कोई इन्टैंशन नहीं थी, मुख्यमंत्री का कोई इंवाल्वमैंट नहीं होगा लेकिन मुख्यमंत्री को क्या हैजीटेशन है उन पुलिस के अफसरान के खिलाफ प्रिविलिज ऐक्सैप्ट करवाने में? फैक्टस आ जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री सभी सदस्यों के बारे में.....

श्री अध्यक्ष: प्रिविलिज मोशन को एडमिट करना is my duly and not of the Chief Minister. Please take you seat.

विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

चौ. साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्शन मोशन दिया था कि कुरूक्षेत्र में श्री कृश्णाा आयुर्वेदिक कालिज में लड़कों का दाखिला नहीं हो रहा है .....

श्री अध्यक्ष: उसके बारे में मैंने कमैन्टस मंगवा रखे हैं।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैंने पचास हजार की ग्रांट देने के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन दी

थी। आपने कहा था कि कमैन्टस मंगवाए जाएंगे। उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: कमैन्टस अभी आए नहीं हैं।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: एक और मोशन आज सुबह ही दिया है कि रैडक्रास की टिकटें जबरदस्ती बेची जा रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह आज सुबह नौ बजे आया है। मैं कसीडर करूंगा और फिर आपको बताऊंगा।

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्शन मोशन एग्रीकल्चर युनिसर्सिटी, हिसार के बारे में दिया है। जो वहां पर वाइस चान्सलर लगा है उसने पहले यहां का भट्ठा बिठाया और अब वहां का बिठा रहा है।

श्री अध्यक्ष: वह मेरे पाए आज सुबह नो बजे आई है।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण –

चौ. तय्यब हुसैन द्वारा

चौ. तैय्यब हुसैन: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने सुबह कहा था कि प्राईवेट डेरी औनर्ज के ड्राईवर्ज ने फैडरेशन के ड्राईवर्ज को ट्रक के नीचे देने की कोशिश की। स्पीकर साहब, इस तरह का काम वही लोग करते हैं जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती और कोई कार्यवाही नहीं की

जाती जैसा कि मौजा देवड़ी जिला सोनीपत के अन्दर हुआ था कि आदमी मार दिया और मारने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्राईवेट डेरी वाले इन लोगों के इलैक्शन में पैसा देते हैं ओर बारसूख आममी उनके यहां दावतें खा कर आते हैं। ग्रिवैन्सीज कमेटी में चौ. कल्याण सिंह के सामने यह बात मैंने रखी थी कि नगीने में बड़कली पर एक प्राईवेट डेरी ओनर है और वह जगह हैल्थ हैजर्ड बनी हुइ है लेकिन वह आदमी अपने पैसे के बलबूते पर सारे उल्टे काम कर रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही होती है।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मेरी एक मोशन खादी एण्ड विलिज इंडस्ट्री के मातहत जो खड्डियां हैं उनके बारे में थी।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको जवाब भिजवा दिया है। उसमें सारे रूल्ज कोट किए हैं।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, वहां पर पच्चीस तीस हजार और भी खड्डियां हैं।

Mr. Speaker: That has been disallowed.

श्रीमती बंसती देवी: स्पीकर साहब, झज्जर में एक बस स्टैण्ड का फाउन्डेशन स्टोन लगाया गया था क्योंकि वहां पर बस स्टैण्ड बनना था। वह स्टोन बिल्कुल वर्कशाप के साथ

लगाया गया है और वहां सग बसें निकलती हैं और उन बसों के ब्रेक ठीक से काम नहीं करते और वह बसिज पत्थर से टकरा जाती है और वह पत्थर गिर जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगर ऐसा काम कोई ड्राईवर करेगा तो वह सस्पैंड हो जाएगा।

श्रीमती बंसती देवी: मैं सी.एम. साहब से रिकवैस्ट करूंगी कि उस पत्थर को किसी सेफ जगह पर रखवा दें।

श्री अध्यक्ष: अगर सी.एम. साहब आपकी डयूटी लगा दें कि उसको आप किसी सेफ जगह पर रखव दें तो फिर क्या होगा?

श्रीमती बंसती देवी: अगर मेरी डयूटी लगा दी जाएगी तो मैं उसको लाकर में रखवा दूंगी।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, पहले उस जमीन का झगड़ा था। अब जमीन का फैसला हो गया है और बहुत जल्दी ही बस स्टैण्ड बन जाएगा।

श्रीमती बंसती देवी: इस संबंध में चार ड्राईवर्ज जिनके नाम हैं सत्यनारायण, कृश्ण लाल, छतर सिंह और इन्दर सिंह इनको आठ सौ रूपया जुर्माना हुआ है। मैं सी.एम. साहब से रिक्वैस्ट करती हूं कि उनका जुर्माना माफ कर दें।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, यहां पर ऐसा मैटर डिस्कस हुआ है जो सब–ज्यूडिस है। इस बारे में मैं

आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या वह मैटर यहां पर डिस्कस हो सकता है?

श्री अध्यक्ष: यह देखना मेरा फर्ज है कि क्या डिस्कस हो सकता है और क्या नहीं। यह आपका फर्ज नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर सहाब, हाउस में जिस प्रकार की चर्चा हुई है और दोनों ने एक दूसरे को चैलेन्ज किया है उसके लिए हाउस की एक कमेटी बना दी जाए जिससे असलियत सामने आ जाए।

श्री अध्यक्ष: वह मैं देखूंगा।

श्री निर्मल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस वर्श जो भंयकर सूखा पड़ा है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं और उसकी चर्चा सदन में हुई है। मेरे किसी साथी ने बाजरे की क्रौप के बारे में कहा कि बाजरा बीजा गया और वह बारिश न होने की वजह से सूख गया। सिकी ने कपास के बारे में कहा। स्पीकर साहब, पच्चीस साल का तो मुझे होश है कि इतना भंयकर सूखा कभी नहीं पड़ा जितना अब पड़ा है। स्पीकर साहब, कपास जिन डिस्ट्रिक्टस में होता है उसके बारे में तो सरकार ने बता दिया कि वहां के किसानों की किस तरह से हैल्प की जाएगी। (विघ्न) .....

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल सिंह जी आप एक मिनट के लिए बैठें। मैं पहले श्रीमती चन्द्रावती जी की बात का जवाब दे दूं। मैडम बात यह है कि मेरी अंग्रेजी तो शुरू से ही कमजोर

थी (हंसी) जो अखबार वालों ने लिखा है उसके मायने आप प्रैस वालों से पूछ ले। (विघ्न) यह मेरी डयूटी नहीं है कि मैं मायने बताऊं।

श्री निर्मल सिंह: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जहां पर कपास को नुक्सान हुआ है वहां के बारे में तो सरकार ने बता दिया कि किसानों की कैसे हैल्प की जाएगी लेकिन अफसोस की बात है कि करनाल, कुरूक्षेत्र और अम्बाला जहां पर पैडी की क्रोप बीजी जाती है और जहां पर भाखड़ा का पानी नहर के द्वारा आता है, जिस दिन से वह नहर टूटी है उस दिन से मेरी कांस्टीच्यूएंसी में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम भी बन्द है। गवर्नमैंट ने या किसी ने भी इन क्षेत्रों के बारे में कोई बात नहीं कही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजरा और कपास की खेती करने वाले किसानों का नुक्सान हुआ है लेकिन यहां उससे भी बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है।

श्री अध्यक्ष: बात यह है कि वहां के एम.एल.ए. तो सोये हुए हैं, किसी ने बात नहीं की। इससे तो ऐसा लगता है कि उनको पानी की जरूरत नहीं है।

श्री निर्मल सिंह: आज वहां पर यह हालत है कि किसानों ने जिस जमीन पर 1200 रूपये पर एकड़ तक खर्च किया था और बुआई की थी आज वहां खड़ी फसल में उन्होंने हल चलाया है। गवर्नमैंट आश्वासन दे कि उन किसानों के बारे में कुछ सोचा जाएगा। आज उनमें बड़ी भारी नाराजगी है। दूसरी अर्ज यह है जिसमें आप भी इनवाल्वड हैं। वह शूगर मिल

शाहबाद की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी और चौ. बीरेन्द्र सिंह जी से मेरी बात हुई थी थ्क मिल में उस एरिया के लड़कों को एम्पलाएमैंट दी जाएगी। वहां पर 84 लड़के भरती किए गए हैं जिनमें से 26 कुरूक्षेत्र जिले के हैं और केवल 8 अम्बाला जिले के हैं। इस बात से लोगों में बहुत रोश है। इस बारे में कई बार यहां भी बात हुई है और पब्लिक जलसों में भी कहा गया कि केवल मिल के एरिया के लड़के ही लिए जाएंगे। मेरी दर्खास्त है कि इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लिया जाए। इसी तरह से चौ. बीरेन्द्र सिंह ने आश्वासन दिया था नग्गल कांस्टीच्यूएंसी का पूरा क्षेत्र मिल के क्षेत्र में होगा लेकिन उसके 5–10 गांवों को छोड़ कर बाकी किसी गांव को शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह से कोआप्रेशन मिनिस्टर ने यह भी आश्वासन दिया था कि हर कोआप्रेटिव बैंक में उसी जिले के लड़कों को लिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि अम्बाला जिले के बैंकों की लिस्ट निकल चुकी है उसमें बहुत से लड़के अम्बाला जिला से बाहर के भर दिए हैं। जब ऐसी बात लोगों तक पहुंचती है तो लोग हमसे पूछते हैं और हमारे से नाराज होते हैं। कहीं ऐसा न हो कि लोगों के सबर का बांध टूट जाएं।

Mr. Speaker: Now, please take your seat. You point has come.

श्रीमती शारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की बातें भाई निर्मल सिंह जी ने कही है उसी तरह की कुछ बातें मैं भी कहना चाहती हूं। कल मुख्यमंत्री जी ने सदन में स्वीकर किया था कि भिवानी के एरिया के अन्दर किसी समय काफी

सूखा था लेकिन अब पानी का स्तर ऊपर बढ़ता आ रहा है। अब 40–50 फुट से 15–20 फुट तक आ रहा है। मेरा ख्याल है कि हिसार और रोहतक में भी ऐसे ही होगा। रोहतक की बात आ रही थी कि वहां पर पम्प का काम नहीं करते हैं और वहां पर पानी जमीन को खराब कर रहा है। दूसरी तरफ फरीदाबाद तथा हरियाणा के जो दूसरे पूर्वी हिस्से हैं वहां इससे बिल्कुल उलट स्थिति हो रही है। फरीदाबाद में पहले जहां जल स्तर 15–20 फुट था आज वहां पर जल स्तर 70–80 फुट तक पहुंच गया है। वहां पर बहुत से कुएं ड्राई हो गए हैं। आज हम लोग यह देख कर खुश हो जाते हैं कि फसल बहुत अच्छी है लेकिन वास्तव में फसल की पैदावार बराबर कम होती जा रही है। जहां हमें गेहूं की फसल दिखाई पड़ती है उसका दाना बहुत कमजोर है। वहां का जल स्तर बराबर घटता जा रहा है, कुंए सूख गए हैं। जब भी थोड़ा सा सूखा पड़ जाता है तो लोगों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि सरकार दोनों स्थितियों का तालमेल करके सही तरीक से कोई इलाज सोचे। आज तक वहां के बारे में कभी नहीं सोचा गया। मैं सरकार का ध्यान आकर्शित करना चाहती हूं कि यह बहुत गम्भीर समस्या हैं आने वाले समय में उस इलाके की खुशहाली इस समस्या को हल करने पर निर्भर करती है।

Mr. Speaker: You have made your point. Now please take you seat.

चौ. फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में भी मैंने यह मसला उठाया था और चौ. शमशेर सिंह, बिजली मंत्री

ने आश्वासन भी दिया था। शिडयूल्ड कास्टस एम्पलाईज आफ एच.एस.ई.बी. ने एक मैमोरैंडम सरकार को भी भेजा है कि किसी गलत फैसले की आड़ में रिजर्वेशन इन रिक्रूटमैंट ओर प्रोमोशन बिल्कुल ही बन्द कर दी गई है। यह बड़ा गम्भीर विशय है, वे भाई दूसरे लोगों के हाथों में न खेलें। मैं मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि अगर कोई गलत बात हो रही है तो उसका सुधार किया जाए ताकि रिजर्वेशन का मामला दूसरे लोगों के हाथों में न जाए। दूसरे हरिजनों के बारे में मैंने पहले भी सवाल उइाया था कि इनफिरियर इवैक्यू लैंड हरिजनों को 10–10 साल के पट्टे पर दी गई थी और कहा गया था कि जब इस लैंड को काबिले काश्त कर दोंगे तो यह आपको 40 रूपये एकड़ के हिसाब से अलाट कर दी जासगी। लेकिन खेद की बात है कि अब तक महकमा रिहैबलीटेशन की और से कोई निर्णय नहीं लिया गया उलटा उनसे दस हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से कीमत मांगी जा रही है। यह मामला भी वीरक सैक्शंज के संबंधित है। इसलिये इस पर भी ध्यान दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आपका प्वायंट आ गया है। आप बैठिए।

चौ. धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से दर्खास्त करूंगा कि 262731 अगस्त और 1 सितम्बर को बादली के आस पास इतनी भयंकर बरसात हुई कि मेरे इलाके में बहुत पानी भर गया। मेरे हलके में ड्रेन न. 8 पर एक पम्प हाउस की स्कीम थी। बादली का जो नीचे का इलाका है वहां से पानी पम्प आउट किया जाता है। कुछ एम्पलाइज ने

कनैक्शन नहीं दिया इस वजह से एक हफ्ते से वहां पर बहुत पानी खड़ा है। इस वजह से वहां पर बाजरे और जीरी की फसल खराब हो चुकी ळैं जो पानी रोहतक से ड्रेन आउट हुआ वह बादली हलके में चला गया लेकिन वहां से उसकी निकासी का कोई रास्ता नहीं है, सारा पानी बादली के हल्के में खड़ा है। पिछली बार भी फसल की इस वजह से बीजाई नहीं हो सकी थी। अब की बार वहां बहुत अच्छी फसल थी लेकिन वह फसल बर्बाद होने जा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस समस्या का इलाज किया जाए और वहां के किसानों को राहत दी जाए।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठिए।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण –

श्रीमती चन्द्रावती द्वारा

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं कल यहां मौजूद नहीं थी। कल के अखबार में लिखा है कि मेरा भाई लैंड डील में कनविक्ट हुआ। मेरा भाई कनविक्ट नहीं हुआ। यह ठीक है कि इस सरकार ने उस पर केस चलाया था लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –

कम वर्शा, जले ट्रांसफारमरों, बिजली की अनियमित सप्लाई आदि से हरियाणा में तथा विशेशतया जिला कुरूक्षेत्र में उत्पन्न हुई स्थिति संबंधी

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहिबान मुझे श्री साहब सिंह सैनी, एम.एल.ए. की तरफ से स्टेट में और स्पैशली कुरूक्षेत्र में जिले में सकैरिसिटी आफ रेनज, बर्निंग आफ ट्रांसफार्मर्ज एंड इररैगुलर सप्लाई आफ इलैक्ट्रिसिटी से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में काल अटैन्शन मोशन का एक नोटिस मिला है, मैं इसको एडमिट करता हूं। सैनी साहब अपना नोटिस पढ़ दें। उसके बाद मंत्री महोदय यदि स्टेटमैंट देना चाहे तो दे दें।

चौ. साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब मैं इस महान सदन का ध्यान एक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र जिला धन उत्पान करने वाला क्षेत्र है तथा इसे भारत का राईस बैल्ट पुकारा जाता है। इस वर्श वर्शा की कमी से धान का उत्पादन अत्याधिक कम हो गया है तथा कम से कम 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक धान प्रभावित हुई है। सरकार राज्य में तथा विशेशतया कुरूक्षेत्र में जिले में किसानों को इस तबाही जैसी परिस्थिति से बचाने के लिए बिजली की निरन्तर सप्लाइ करने में असफल रही है। इसी प्रकार भाखड़ा मुख्य नहर में दरार के कारण किसानों को नहरी पानी भी नहीं दिया जा सका। जले हुए ट्रांसफार्मरों को लम्बे समय अर्थात् 20 से 45 दिनों तक बदला नहीं जाता है। इस सबसे इस जिले के किसानों में भारी रोश हो गया है। धान उत्पादकों के लिये किसी मुआवजे की घोशाा नहीं की गई है

जबकि राज्य सरकार ने कपास–उत्पादकों के लिए मुआवजे की घोशणा कर दी है, इससे किसान समुदाय में अधिक रोश व्याप्त हुआ है।

यह स्पश्टतया एक अत्यावश्यक लोक महत्व का विशय है, अतः इस पर तुरन्त चर्चा की जाए।

वक्तव्य –

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, the daily availability of power from all sources during the paddy season since June, 1984 and the demand during the corresponding months was as below:-

Month	Availability (LU per day)	Demand (LU per day)	Power supplied to agricultural sector (LU per day)
June, 1984	124	160	60
July, 1984	130	170	66
August, 1984	131	180	69

The demand of agricultural sector steeply increased since June, 1984 on account of breach in the Bhakra Main Line Canal, which deprived the paddy growers of Haryana from the water available from this canal for irrigation purposes. Yet around 50% of total available power was diverted to agricultural sector to save the crops. This became equally necessary in the face of failure of rains during these months. During the month of August, 1984, when the demand of paddy growers became very acute, the Govt. went to the extent of closing all the large supply industries for a week so as to make maximum power available to agricultural sector to save the crops.

3. The following regulartory measures were in force since June, 1984 to provide maximum power to the agricultural sector:-

Period (w.e.f.)	Rutal Supply hours		Industries
	Paddy area	Non-paddy area	
2.6.84	8 hours	7 hrs.	Two weekly off days.
21.6.84	No power cut except peak load restrictions on industries.		
15.7.84	10 Hrs.	7 hrs.	One weekly off day.
9.8.84	10 Hrs.	7 hrs.	Two weekly

			off days.
16.8.84	10 Hrs.	7 hrs.	Large supply industries completely closed. Others two weekly off days.
Since 23.8.84	10 Hrs.	7 hrs.	Two weekly off days.

4. Power supply to Kurukshetra area

Kurukshetra area being one of the main paddy growing areas is given preferential treatment in the matter of power supply during kharif crops. The following would show the supply of power given to Kurukshetra area out of the total power availability to Agricultural sector:-

Month	Power supplied to agricultural sector (LU per day)	Power supplied to Kurukshetra area (LU per day)
June, 1984	60	10
July, 1984	66	12
August, 1984	69	14

As can be seen from the above table, aobut 16 to 20% of power was ensured specially for Kurukshetra area. It is, however, pertinent to mention that the rural feeders supplying power to agricultural sector in Kurukshetra area, were ensured average 8 to 11 hours of daily power supply since June, 1984, by deputing special squads headed by Xens, for this purpose. Sir, I would like to add, that I also visited Naggal Constituency in Ambala, Shahabad, Kaithal, Pipli, Nilokheri, Taraori, Karnal, Panipat & Samalkha in the second week of August, 1984.

5. Transformers

At present, there are about 40,000 transformers installed all over the State supplying power to various consumers out of which over 6640 transformers are installed in Kurukshetra circle alone. On an average, about 400 transferomers are damaged per month. To replace these transformers, 5 (five) transformers repair work shops are presently, functioning in the State and are repairing about 500 transformers per month. These transformers are normally sufficient to provide replacement. Since June, 1984, due to non-availability of water from Bhakra Main Line Canal and santy rains, the requirement of power by agricultural sector became more acute which in turn became more demanding on distribution transformers, with the result that the damage rate was higher during the last three months as following:-

Damaged Transformers

Month	State as a whole	Kurumshetra
June, 1984	496	113
July, 1984	576	102
August, 1984	490	95

6. During the last 3 months, transformers were regularly allocated for replacing the demaged ones in Kurukshetra Circle as follows:-

Month	Damaged	Replaced
June, 1984	113	94
July, 1984	102	111
August, 1984	95	70

At present, about 96 damaged transformers are waiting replacement in Kurukshetra Circle for which 87 transformers have already been allocated for this purpose.

It is also mentioned that no compensation to the cotton growers has been given by the Government so far. Some damages occurred to the cotton crop in the districts of Sirsa, Hissar and Jind because of non-availability of

irrigation water following the breaches in the Bhakra Main Line Canal. A proposal has been sent to the Govt. of India for getting Central assistance.

चौ. साहब सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, इस स्टेटमैंअ के अनुसार मंत्री जी यह माना हे कि कुरूक्षेत्र जिले में बिजली की सप्लाई कम रही है और जितीन सप्लाई होनी चाहिए थी उतनी बिजली की सप्लाई नहीं हुई। मंत्री जी ने कहा कि कुरूक्षेत्र जिले मैं बिजली की सप्लाई हर रोज 8 घंटे ओर 11 घंटे रही है। स्पीकर साहब, आपको भी मालूम है और चौ. शमशेर सिह सुरजेवाला भी पिछले महीने की 11 तारीख को कुरूक्षेत्र में गए थे इन्होंने वहां पर देखा कि बिजली की सप्लाई की स्थिति ठीक नहीं है। इनके वहां पर जाने के बाद भी बिजली की सप्लाई की स्थिति में और भी कमी आई है। उस जिले में जिस एरिया में 6 घंटे बिजली मिलती थी वहां पर 4 घंटै मिलने लग गई है। इसके अलावा मंत्री जी ने ट्रांसफार्मर्ज के बारे में भी बताया है कि कुरूक्षेत्र जिले में सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर्ज जले हैं कुरूक्षेत्र जिले के थानेसर सब डिवीजन में शाहबाद, थानेसर और रादौर हल्के आते हैं इन हल्कों में सिचाई टयूबवैल्ज द्वारा ही होती है और दूसरा कोई साधन नहीं है। एक बार पहले एक दो स्कीम बनी थी, एक जोगलाखेड़ा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम और दूसरी कलवी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम थी तथा मार्कण्डा बैराज की भी बात आई थी लेकिन उन स्कीमों को दबा दिया गया है। अगर उन स्कीमों को मंजूर करके लागू कर दिया जाए तो बिजली की समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना

चाहूंगा कि जिस प्रकार से काटन के एरिया जैसे हिसार, सिरसा और जींद जिलों में नहरी पानी की कमी के कारण कपास की बीजाई नहीं हो सकी क्योंकि वहां पर टयूबवैल्ज बहुत कम है और नहरी पानी से सिंचाई जयादा होती है वहां के किसानों को जो राहत दी गई है वह कुरूक्षेत्र जिले के किसानों को भी दी जाएगी। स्पीकर साहब, यह खबर अखबारों में भी छपी है कि बिजली की सप्लाई कम होने के कारण पैडी की 35 परसैन्ट प्रोडक्शन कम हुई है। क्या यह पैडी की प्रोडक्शन कम होने का मेन कारण यह नहीं है कि किसानों को बिजली की सप्लाई कम दी गई है? मंत्री जी ने जो कुरूक्षेत्र जिले में 8 घंटे और 11 घंटे बिजली की सप्लाई की बात कही है यह बिलकुल गलत बात है। आजकल वहां पर किसानों को बड़ी मुश्किल से 4 और 6 घंटे बिजली मिलती है वह भी इन्टरप्शनस से मिलती है कहीं पर बिजली का ब्रेक डाउन कर देते हैं और कभी बिजली की सप्लाई बन्द कर दी जाती है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कुरूक्षेत्र जिले के किसानों को कोई कम्पनसेशन दिया जाएगा? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिस तरह से सिरसा, जींद और हिसार के किसानों की कपास की बीजाई कम होने के कारण उनके लैंड टैक्स और बैंकों के कर्जे मुलतवी किए गए उसी प्रकार से कुरूक्षेत्र जिले के किसानों को भी राहत दी जाएगी।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, सैनी साहब ने अभी कुरूक्षेत्र जिले में ठीक प्रकार से बिजली सप्लाई न होने की बात कही है। इन्होंने अपनी बात कहते हुए यह भी

फरमा दिया कि अगस्त के पहले सप्ताह में भाखड़ा नहर दुबारा टूट गई जबकि पानी की उस समय बहुत सख्त जरूरत थी। इनका कहना यह है कि एक तरफ तो नहर टूट गई और दूसरी तरह बारिश नहीं हुई जिसके कारण किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। अध्यक्ष महोदय, नहर टूटने के कारण और बारिश न होने की वजह से ही बिजली की अधिक डिमांड आ गई। इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए मैं अपने आफिसर्ज के साथ 10–12 जगह पर जो–जो इन्होंने बताई थी, गए थे। जहां जहां पर हम गए वहां वहां पर हमनें उस इलाके के एम.एल.ए. को और लोगों को हाजिर होने के लिए कहा था। बहुत सी जगहों पर लोग मौजूद भी थे। उस समय लोगों से पूछ कर और अधिकारियों से पूछ कर अच्छी तरह पता लगाने की कोशिश की थी कि बिजली की सप्लाई लगातार क्यों नहीं हो रही? उस समय सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह भी फैसला किया था कि यदि किसानों को बिजली देने के लिए 10–20 दिन कारखानों की बिजली काटनी पड़े तो हमें कोई गुरेज नहीं होगा। कई स्टेशनों की लोड की क्षमता कम है जिस कारण बिजली एक साथ सप्लाई नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ट्रांसफार्मर पर 4 फीडर होते हैं। लीड ज्यादा होने के कारण इन चारों फीडरों को इकट्ठा नहीं चलाया जा सकता। दो दो फीडर करके चलाया जाता है ताकि लोगों को बिजली रैगुलर सप्लाई होने में दिक्कत न आए। इन चारों फीडरों को दो हिस्सों में बांट कर बराबर बराबर बिजली सप्लाई करते हैं। मेरे कहने का मतलब

यह है कि पहले दो फीडर चलेंगे और उसके बाद पहले दो फीडरों की बन्द करके दूसरे दो फीडरों को चालू करते है। ज्यादा लोड होने की वजह से हम इस प्रकार बिजली चलाने की कोशिश करते हैं। अब बिजली बोर्ड का और सरकार का यह प्रयतन है कि जहां–जहां पर बिजली घरों के अन्दर नए ट्रांसफार्मर लगाने पड़े हैं, उनको जल्दी से जल्दी लगाया जाये ताकि बिजली की सप्लाई रैगुलर हो सके। सरकार का बिजली घरों में सुधार लाने का बड़ा डिटेल्ड प्रोग्राम हैं। सरकार की यह कोशिश रहती है कि जहां पर बिजली ज्यादा देने की जरूरत हो वहां पर ज्यादा बिजली लोगों को दी जाये। एक बात सैनी साहब ने कुरूक्षेत्र और करनाल के लोगों को राहत या मुआवजा क्यों नहीं देते, कही है। मैं किसान हूं भी और नहीं भी हूं। लेकिन मैं मंत्री के नाते इनको बताना चाहूंगा .....

श्री अध्यक्षः एक बात जो ये कहना चाहते थे, वह इन्होंने नहीं कही, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इनका कहना यह था कि बहुत सारा रकबा ऐसा है जहां पर लोगों ने जीरी की फसलस लगा दी और खाद आदि डाल कर एक एक एकड़ पर हजारों हजारों रूपये खर्च कर दिए लेकिन बाद में नहर टूटने के कारण और बिजली ने मिलने के कारण पानी मिलना बन्द हो गया जिससे लोगों का काफी रकबा ऐसे ही खराब हो गया। लोगों को समय पर पानी और बिजली न मिलने की वजह से लगाई हुई जीरी को दुबारा बाहना पड़ा। इनका कहने का मतलब यह है कि जब सिरसा और हिसार जिले

के लोगों को मुआवजा देने की बात करते हैं तो करनाल और कुरूक्षेत्र के लोगों के लिए क्यों नहीं सोचते?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस एरिया के लोगों को मुआवजा दिया जाये या न दिया जाये ऐसी भेदभाव वाली कोई बात नहीं है जो मैमोरेंडम भारत सरकार को दिया हुआ है उसमें बहुत सा डिमांज स्टेट ने की हैं। उस मैमोरेंडम की डिटेल्ज तो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं हैं क्योंकि उसको रैवेन्यू डिपार्टमैंट ने तैयार यिका है। जहां तक मुझे पता लगा है वह मैं आपको बताना चाहूंगा। उस मैमोरेंडम में हरियाणा को और बिजली दिए जाने की मांग की है ताकि यहां पर इस समस्या को कुछ कम किया जा सके। इसी प्रकार से नई कैनाल्ज और ड्रेनेज बनाने के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, स्टेट के अन्दर जिन लोगों ने जमीन काश्त कर दी थी और वह पानी तथा बिजली न मिलने के कारण नहीं हुई, उन सबको भारत सरकार कोढ कम्पनसेशन दे, मुझे बड़ा भारी शक है। जहां तक इन्होंने कुरूक्षेत्र जिले में कैनाल्ज की स्कीमों का जिक्र किया है, उस बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि वे स्कीमें स्टेट गवर्नमैंट ने फारवर्ड करके सेन्टर्ल गवर्नमैंट को भेजी हुई है ओर वे इस समय भारत सरकार के पास पैडिंग पड़ी हैं। कुरूक्षेत्र जिले को इग्नोर करने वाली कोई बात नहीं है। बाकी जिलों की तरह कुरूक्षेत्र जिले का हर प्रकार से ख्याल रखा जा रहा है। सरकार की भरसक कोशिश होगी कि इस जिले को बिजली व पानी ठीक प्रकार से दिया जा सके।

चौ. साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बोलते हुए कहा है कि कुरूक्षेत्र जिले के किसानों को राहत दिए जाने के मामले में शक है। कुरूक्षेत्र जिले के जिन किसानों ने जीरी की फसल लगाई थी वह पानी व बिजली न मिलने के कारण खराब हो गई जिस कारण उत्पादन भी घटा है। मैं यह दुबारा जानना चाहता हूं कि सरकार अपनी तरफ से इन किसानों को क्या राहत दे रही है?

दूसरी बात मैं ट्रांसफार्मरों के बारे में कहना चाहूंगा। यहां पर सबसे अधिक ट्रांसफार्मर जले हैं। इनको रिप्लेसमेंट 20 और 45 दिनों के बीच में हो पाती है। रिप्लेसमेंट के दौरान लोगों की बिजली नहीं मिलती जिसकी वजह से फसल को नुक्सान होता है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे किसानों को भी कोई राहत सरकार देगी?

तीसरी बात मैं खेड़ा सब–स्टेशन के बारे में कहना चाहता हूं। यह सब–स्टेशन यमुना नहर के पास है। इससे हमारे क्षेत्र को बिजली सप्लाई होती है लेकिन इस पर बी.बी.एम.बी. का कन्ट्रोल है। इसके अन्दर मुस्ताबाद, लाडवा और रादौर का एरिया आता है। दूसरी तरफ इन्द्री का इलाका लगता है। इस इलाके में करनाल से बिजली मिलती है। इस इलाके के टयूबवैल चलते हैं। जब मैं गांवों में दौरे पर गया तो लोग कहने लगे कि हमें बिजली नहीं मिल रही जबकि साथ वाले गांव के टयूबवैल चल रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि खेड़ा सब–स्टेशन से हमारे को बिजली रैगुलर मिलनी चाहिए।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: जहां तक इन्होंने राहत की बात की है, उस पर सरकार शर्तिया तौर पर विचार कर सकती है यदि वहां के लोग ओर एम.एल.एज. मिलकर सारे फैक्टस सरकार के नोटिस में ले आयें। जहां तक राहत देने की बात है उस पर विचार किया जा सकता है लेकिन मुआवजा या कम्पनसेशन शायद नहीं दिया जा सकता। इन्होंने एक बात खेड़ा सब–स्टेशन के बारे में कही है कि उस पर बी.बी.एम.बी. वालों का कन्ट्रोल है। वे बिजली की रैगुलर सप्लाई नहीं करते जबकि पड़ोस वाले गांवों के टयूबवैल्ज चलते रहते है। इनके कहने का मकसद जहां तक मैं समझ पाय हूं वह यह है कि किसी अमुक जगह पर तो बिजली की सप्लाई रहती है और दूसरी जगह पर नहीं रहती। मैंने पहले ही बताया है कि ओवर लोड की वजह से ऐसी स्थिति हो जाती है। स्पीकर साहब, इस बारे में मैं सैनी साहब को कहना चाहूंगा कि ऐसी डिटेल्ड बातों को यदि वे हाउस से बाहर मेरे से और आफिसर्ज से कर लें तो ठीक रहेगा। मैं आपके सामने आफिसर्ज को बुला कर बात कर लूंगा कि किस प्रकार से स्थिति में सुधार आ सकता है।

श्री निर्मल सिंह: स्पीकर साहब, हमारे मंत्री जी ने कम्पनसेशन देने के बारे में समझाने की बड़ी कोशिश की है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 51 करोड़ रूपया जो ये भारत सरकार से मांग रहे हैं क्या उसमें अम्बाला, करनाल और कुरूक्षेत्र के किसानों को भी कुछ कम्पनसेशन देंगे? जब हिसार और सिररा जिले को कम्पनसेशन दे रहे हैं तो अम्बाला, करनाल और कुरूक्षेत्र जिले के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा

है? दूसरी बात मैं धूल कोट सब–स्टेशन के बारे में कहना चाहता हूं । इसका कन्ट्रोल बी.बी.एम.बी. के हाथ में है। जब भी वे चाहे कट लगा सकते हैं। मैं आपके जरिए इनसे कहना चाहता हूं कि उसका कन्ट्रोल ये अपने हाथ में लें ताकि बिजली का कट हमारे जिले पर बार बार न लग पाये। बी.बी.एम.बी. वालों के पास धूलकोट का चार्ज होने की वजह से हमेशा बिजली की कमी को अम्बाला में काट कर वे पूरी करते रहते हैं।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: इस बात को हमने बी. बी.एम.बी. वालों के साथ कई बार उठाया है। उन्होंने हमें बताया है कि हम बहुत कम कट लगाते हैं। हमने उनको कहा है कि आप अम्बाला, करनाल, और कुरूक्षेत्र के अन्दर कट उसी समय लगाओ जब बहुत मजबूरी हो जाये। यह बात हमने उनसे जुबानी भी की है और लिखकर भी की है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि कुरूक्षेत्र करनाल और अम्बाला के जिले पैडी के एरिया है। इसके लिए अब सरकार ने एक योजना बनाई है। दादुपुर नामक स्थान से 500 क्यूसिक पानी की नहर जमना से निकालने के लिए डिपार्टमैंट ने सरकार को एक प्रपोजल भेज दी है। यह स्कीम योजना के अन्दर है और सरकार पूरी ईमानदारी से कोशिश करेगी कि यह प्रपोजल मानी जाए ताकि इस एरिया को पानी मिले और जो टयूबवैल्ज लगे हुए हैं, वे री–चार्ज हो सके। चौ. निर्मल सिंह जी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि उनके इलाके को उस वक्त कोई राहत नहीं दी थी जिस वक्त नहर कट गई थी। मैं इनके नोटिस में

लाना चाहूंगा कि एक गन्दा नाला है जो इनकी कांस्टीच्यूएंसी में पड़ता है। इस नाले में करीब 30 क्यूसिक फीट पानी उपलब्ध है। इसका पानी इस्तेमाल करने पर किसान को पैसा देना पड़ता था यानी 50 परसैन्ट आबियाना देना पड़ता था। जब कैनाल कट हुआ था तो हमने यह आबियाना मुआफ कर दिया था। इन फ्यूचर आबियाना नहीं देना पड़ेगा। स्पीकर साहब, मैं स्वयं इनकी कांस्टीच्यूऐंसी में गया था। ये मेरे सामने मौजूद थे और इनके सामने अधिकारियों से बातचीज की थी। सरकार जो भी मदद कर सकती थी, हमने मदद करने की पूरी कोशिश की है।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैन्शन मोशन था। क्या आपने उसको एडमिट कर लिया है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: उसको कन्वर्ट करके रूल 84 के तहत डिस्कशन के लिए एडमिट किया गया है।

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Mr. Speaker: Now a Minister will lay some papers on the Table.

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table –

1. The 14th and 15th Annual reports and balance sheets of the Haryana State Industrial Development Corporation Ltd. for the years 1980-81 and 1981-82, as

required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

2. The Annual Statement of Accounts and Audit Reports of the Haryana State Board for the Prevention and Control of Water Pollution for the years 1977-78m 1978-79, 1979-80 and 1980-81, as required under section 40(7) of the Water (Prevention and Control of Pollution), Act, 1974.

3. The Education Department Notification No. 10/81/78-Edu. III (1), dated the 7th March, 1983, as required under section 7 of the Haryana Official Language Act, 1969.

बिल्ज –

(i) दि पैप्सू टैनैसी एंड ऐग्रीकल्चरल लैंडज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1984

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री हीरा नन्द आर्य की ओर से पैप्सू टैनैंसी ऐंड ऐग्रीकल्चरल लैंडज (हरियाणा अमैंडमैंट) आर्डिनैन्स, 1984 (हरियाणा आर्डिनैन्स न. 5 औफ 1984) की डिसऐप्रूवल का नोटिस मिला है। अगर हाउस सहमत हो तो हाउस का टाईम सेव करने के एिल डिसऐप्रूवल के नोटिस पर और बिल की कंसिड्रेशन मोशन पर इक्ट्ठा विचार कर लिया जाए। डिस्कशन के बाद इनकी मोशन्ज पर अलग अलग वोटिंग होगी।

आवाजें: ठीक है जी, इनकी इकट्ठा ही डिसकस कर लिया जाए।

Sh. Hira Nand Arya: Sir, I beg to move –

That this House disapproves the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands (Haryana Amendment) Ordinance, 1984 (Haryana Ordinance No. 5 of 1984).

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन पैप्सू टैनैंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंडज (हरियाणा अमैंडमैंट) आर्डिनैंस 1984 (हरियाणा आर्डिनैंस न. 5 औफ 1984) को डिसऐप्रूव करता है।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move –

That the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, कल पंजाब सिक्योरिटी औफ लैड टैन्यौर ऐक्ट को अमैंड किया था उसी प्रकार आज पैप्सू टैनैंसी ऐंड ऐग्रीकल्चरल लैडज ऐक्ट को अमैंड करने के लिये अमैंडमैंट ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सैद्धान्तिक रूप से आर्म्ड फोर्सिज के परसोनल्ज को फायदा

पहुंचाने के लिए जो सुविधा इस बिल के जरिए देने जा रहे हैं, इस पर मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि पहले जो कानून बना हुआ है कि अगर किसी छोटे मुजारे को जमीन से बेदखल किया जाए तो वह अदालत में जा सकता है और इसका नतीजा यह होता है कि हाई कोर्ज से डिग्री हो जाती है और गवर्नमैंअ को मुजारे की बात माननी पड़ती है। आप आर्म्ड फोर्सिज के आदमियों को सुविधा देने के लिये मुजारे को बेदखल करने के लिए यह अमेंडमेंट की जा रही है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, फौजियों को यह सुविधा दे दी जाए लेकिन जो मुजारे इस अमेंडमैंड को लाने से बेदखल हो जाएंगे, उनको क्यों सुविधा नहीं दे रहे? इनको भी सरप्लस जमीन अलाट की जाए ताकि ये भी सैटल हो सकें। ऐसी बात नहीं, इनको बसाने के एिल भी प्रोवीजन है, लेकिन उस प्रोवीजन का इस ऐक्ट के ऐम्ज एंड औब्जैक्टस में कुछ नहीं दिया गया। चूंकि इसका जिक्र ऐम्ज एंड औब्जैक्टस में नहीं हैं, इसलिए स्पश्ट होता है कि इन्होंने पहले भी गलतबयानी की है। ऐम्ज एंड औब्जैक्टस में लिखा है–

''भारत संघ के सशस्त्र बल के सदस्यों के सेवा निवृत्ति/सेवान्मुक्ति पर घर लौटने तथा सशस्त्र बल के सदस्यों की विधवाओं या सशस्त्र बल के मृत सदस्यों के अवयस्क बच्चों को, उनके अभिधारियों को उनके अनुज्ञेय/आरक्षित क्षेत्र से बेकब्जा करने तथा उन्हें अधिशेश भूमि पर राज्य सरकार के पुनः बसाने के किसी दायित्व के बिना उन्हें उनकी अपनी भूमि

पर बसने के लिए समर्थ बनाने हेतु, एक अध्यादेश अर्थात् पैप्सू अभिधृति तथा कृशि भूमि (हरियाणा संशोधन) अध्यादेख, 1984, 25 जून, 1984 को प्रख्यापित किया गया था और हरियाणा राज्यपत्र असाधारण तिथि 30 जून 1984 को सम्यक रूप से अधिसूचित किया गया था।''

इसके मुताबिक इन बेदखल किये जाने वाले मुजारों को री–हैबिलिटेट करने की सरकार की कतई तौर पर रिस्पांसिबिलीटी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, फौजियों को यह सुविधा देने के लिये हमारा कोई विरोध नहीं है लेकिन जिस तरीके से आर्डिनैंस लाया गया है, ऐक्ट को अमैंड करने का जो रास्ता अपनाया गया है, यह तरीका बिल्कुल अप्रजातान्त्रिक है और मैं इस तरीके का विरोध करता हूं। इसके इलाववा इन्होंने बिल में इजैक्टमैंट की ऐप्लीकेशन देने के लिए एक साल की अवध्सिा रखी है। यह अवधि कम है, यह तो कम से कम दो साल की जानी चाहिए। दो साल का समय दिया जाए ताकि अगर किसी की डैथ हो जाए और उसके बच्चे न सम्भल पायें तो मुश्किल होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमैंडमैंट को मनाने के लिए तैयार हूं अगर दो साल की अवधि बढ़ाई जाए दूसरे जो टेनेन्टस बेदखल होंगे, उनको कम से कम इवैक्यु लैंड जो खाली पड़ी हो, अलौट कर के री–हैबिलिटेट किया जाए। जिन टैनेंटस के पास थोड़ी जमीन है, उनको टैनेंसी राईट अश्योर करें। पहले जो टैनेंसी ऐक्ट पास किया था उसका जो उदेश्य है, जिस पर्पज के लिए यह अमैंड किया गया है, वह उसके बिल्कुल विरूद्ध है और सरकार को उसमें दोबारा तरमीम करनी

पड़ेगी। सरकार को इस बात की रिस्पासिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो छोटे मुजारे हैं, उनकी री–हैबिलिटेट करना है। अगर इनको री–हैबिलिटेट नहीं करेगी तो मैं समझता हूं कि यह अमैंडमैंट ऐक्ट की स्पिरिट के विरूद्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मुजारे 1963 से लैंडलाईज के साथ झगड़ा करते आये हैं। इन छोटे छोटे मुजारों को बेदखल करने से कोई मसला हल नहीं हो पायेगा। अगर सरकार इन मुजारों को बसाने की जिम्मेदारी लेती है तो हम इस अमैंडमैंट को मानते हैं और इसका विरोध नहीं करेंगे। आप इस बिल को वापिस ले लें और छोटे मुजारों को बसाने की जिम्मेदारी लेकर अमैंडमैंट करें, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। अगर वापिस नहीं लेते तो जो प्रस्ताव डिसऐप्रूवल का दिया है, हम सब इसका समर्थन करते हैं। मुजारों के साथ जो गैर इन्साफी करने जा रहे हैं, यह बड़ी गलत बात है। एक वर्ग को निजात दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं और दूसरे वर्ग को बेसहारा करके उनके घर से निकाल रहे हैं, यह गलत बात है दोनों को न्याय मिलना चाहिए।

12.00 बजे

प्रोफैसर सम्पत सिंह (भट्टू कलां): डिप्टी स्पीकर साहब, पैप्सू टैनेंसी ऐंड एग्रीकल्चरल लैंडज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1984 सदन के सामने है। आर्य साहब ने इसकी डिसऐप्रूवल के लिए जो अमैंडमैंट रखी है वह वाजिब है। यह अच्छी बता है कि जो लोग देश की सेवा में लगे रहते हैं और जिनकी जमीन मुजारों के पास होती है वे अगर रिटायर होकर

घर आ जाते हैं या कोई फौजी भाई देश की रक्षा करते करते स्वर्गवास हो जाता है, उनकी मदद के लिए यह प्रोवीजन किया गया है। इस बिल में यह लिखा है कि रिटायर होने या ऐसी घटना होने के बाद एक साल के अन्दर अन्दर अगर कोई ऐप्लाई करता है और मुजारों को अपनी जमीन से बेदखल करवाना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। इस प्रोवीजन की भावना तो ठीक है लेकिन इसमें एक साल के पीरियड की जो बात कही गई है वह ठीक नहीं है। कई बार तो पैन्शन और दूसरे झगड़ों में एक साल का पीरियड यो ही गुजर जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर जवान देश की रक्षा करते करते मारा जाता है तो भी एक साल तक उस के बीवी, बच्चों तथा परिवार वालों को दुख ही दूर नहीं हो पाया, दरख्वास्त देने की तो बात ही दूर रही। इसलिए हमा गुजारिश है कि इस पीरियड को बढ़ा कर दो साल यिका जाए। दूसरी बात, डिप्टी स्पीकर साहब, मुजारों की बेदखली की है। इस बिल में कहा गया हे कि उनको आबाद करने में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बारे में तो मैं बाद में कहूंगा लेकिन वहां इनकी जिम्मेदारी की बात है वहां क्या कुछ होता है वह मैं आपकी मारफत हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं। मुजारे ज्यादातर हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लोग होते है। उनके पास अपनी जमीन नहीं होती। वे दूसरों की जमीन जोतते हैं। जब उन्हें 10–15 साल जमीन जोतते हो जाते हैं तो कुछ राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लोग उन्हें बेदखल करते देर नहीं लगाते। वे कानूनी रूप से बेदखल नहीं होते लेकिन उन लोगों

को जमीन पर से निकाल दिया जाता है। मैं आपके नोटिस में दो ऐसे केसिज लाना चाहता हूं। एक केस खुद मुख्यमंत्री जी के हल्के में हुआ है। दलबीर सिंह नाम का एक हरिजन लड़का हैं 10–15 साल से वह दो किल्ले जमीन जोत रहा था। कुछ लोगों ने गुंडों की मदद से उसे जमीन के हटाने की कोशिश की। उस बेचोरे ने हिसार के एस.एस.पी. और दूसरे सम्बन्धित अधिकारियों को दरख्वास्त दी लेकिन उसके बावजूद उसे जमीन से हटाया जा रहा है। उसने यहां तक लिख कर दिया कि उसकी जान को भी खतरा है। उसके बावजूद इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया गया। अन्त में उकसे साथ कया हुआ वह कहते हुए भी बड़ा दर्द आता है। हमने उस व्यक्ति को आंखों से देखा है। कुछ बदमाशों ने उस 18–19 साल के नौजवान दलबीर सिंह के दोनों हाथ काट दिए और उस जमीन से अगल कर दिया। उसकी बहन का पांच दिन तक पता नहीं लगा कि वह कहां है। वह बेचारा हस्पताल में बिलखता रहा लेकिन जो राजनैतिक संरक्षण प्राप्त मुलजिम थे वे घरों के अन्दर आराम से बैठे रहे। उस 18–19 साल के नौजवान के दोनों हाथ काटने की बजाए यदि वे लोग उसे मार ही देते तो बेहतर होता क्योंकि उसे तड़पता हुआ देखा नहीं जाता। वह आज तड़प रहा है दो बीघे जमीन के लिए लेकिन सरकार कहती है कि मुजारों को बसाने की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। न जाने ऐसे कितने दलबीर होंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसी ही एक और घटना शायद आपके नोटिस में भी आई होगी क्योंकि आप भी बहुत जागरूक

रहते हैं। वह घटना सोनीपत जिले में हुई थी। देहडू गांव के हरिजन 20–25 साल से जमीन काश्त कर रहे थे। उसके साथ जो हुआ वह मैं आपको बताना चाहता हूं। (विघ्न) उन्हें भी राजनैतिक सरंक्षण प्राप्त लोगों ने मारा और पीटा है। दो आदमी वहां मारे गए और दो को चोटें आई हैं। लेकिन कहा जाता है कि ट्रक ऐक्सीडैंट से ऐसा हुआ। डिप्टी स्पीकर सहाब, आप ही बताएं कि ट्रक सड़क से हटकर एक किलोमीटर दूर फसल से भरे खेत में कैसे जा सकता है? यह सब बनावटी बात है। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा निवेदन यह है कि कानून चाहे कितने ही बना दिए जाएं यदि उन्हें ऐग्जैक्टिव ठीक से लागू नहीं करेगी तो वे सारे कानून कागजों के पुलन्दे बन कर रह जाएंगे। मेरी आपसे अर्ज है, हाउस से प्रार्थना है कि सरकार को इंफ्लुयंस किय जाए ताकि गरीब मुजारों को गवर्नमैंट का सरंक्षण प्राप्त हो ओर इस तरह की घटनाएं दुबारा न हों। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा यह भी निवेदन है कि जिन लोगों को ऐसी घटनाओं में नुक्सान पहुंचा है उन्हें कम्पनसेशन दिया जाना चाहिए और जिनकी वजह से ऐसा हुआ है, जो राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए।

चौ. बलवीर सिंह ग्रेवाल (मुंढाल खुर्द): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो पैप्सू टैनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंडज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1984, हाउस के सामने है यह आर्मड फोर्सिज से जो लोग रिटायर होकर आते हैं उनके फायदे के लिए है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। जो लोग हमारी सरहदों पर हमारे

देश की रक्षा करते हैं उनकी भलाई के लिए अगर कोई बिल आए तो हमें एतराज नहीं होना चाहिए लेकिन बिल में अगर कोई खामी हो तो उसे बताने में भी कोई हर्ज नहीं है। इस केस में मुजारों की इजैक्टमैंट के लिये ऐप्लाई करने के लिए जो एक साल का समय दिया गया है वह थोड़ा है। इसे बढ़ाकर दो साल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जिन लोगों को बेदखल किया जाए उन्हें गवर्नमैंट आल्टरनेटिव जौब दे। ऐसा करने से ही गरीब मुजारों और हमारे फौजी भाइयों का भला होगा। कहीं ऐसा न हो कि हमारे फौजी भाई या उनकी विधवा औरतें या बच्चे लिटिगेशन में फंस जाएं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री हरि चन्द हुड्डा (किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया। यह जो पैप्सू टैनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंडज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल है इसी तरह के दूसरे अमैंडिंग बिल्ज भी हाउस के सामने आते हैं लेकिन इन सबको स्टडी करने के बाद जो सबसे बड़ी चीज मेरे नोटिस में आई है वह यह है कि एम्ज एंड औबजैक्टस में डिफरैन्स होने से डिसक्रिशनरी पावर पैदा होती है और उस डिसक्रिशनरी पावर से सारे समाज को ये बरबाद कर रहे हैं। ला का एक सिद्धांत है कि justice is the base of society that wants peace and progress and law is only the instrument that can deliver the justice. अब सवाल जो पैदा हो रहा है वह यह है कि अगर ला के अन्दर लकूना हो जाए, एम्ज ऐंड औबजैक्टस के अन्दर

लकूना हो जाए तो समाज मे उथलपुथल हो जाती है। आर्थिक नीति में ला चाहिए, सामाजिक जिन्दगी में ला चाहिए और जिन्दगी की दूसरी जरूरियात में भी ला चाहिए। तीनों लाइनों में ला को मेनटेन करना चाहिए चाहे सामाजिक है, चाहे आर्थिक है और चाहे दूसरी चीजें हैं, सब में ला को मेनटेन करना चाहिए। अब मेरी समझ में नहीं आता इन दो गरीब आदमियों को यानी फौजी और टैनेन्ट को क्यों लड़ाया गया है? इस बिल में सबसे बड़ा लकूना ही यह है कि इन दोनों को लड़ाया जा रहा है। एक तरफ फौज का जवाब देश की रक्षा करता है तो दूसरी ओर गरीब टैनेंट जो अमीरों के बीच में बिछा खड़ा हैं इन दोनों को बराबर लाने के लिए सरकार को ऐम एन्ड औब्जैक्टस में कोई लाईन लिखनी चाहिए। ऐम ऐन्ड औब्जैक्टस में कलियर लिखना चाहिए कि जो देश की रक्षा करने वाला जवान है उसे गवर्नमैंट जितना फायदा दे सकती है दे। कलियर ला उन जवानों के लिए होना चाहिए। लेकिन जो गरीब टैनेंटस है, कानून के हिसाब से भी पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी कलियर कट कानून होना चाहिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। जिस टैनेंट के पास दो किल्ले भी जमीन नहीं है उसे भी फायदा हो। जिस टैनेंट के पास दो किल्ले भी जमीन नहीं है उसे भी फायदा दे। मेरा कहने का मतलब यह हे कि यह जो अमैंडमैंट बिल आ रहा है इसमें गवर्नमैंट की नीयत शुरू से ही बैड रही है क्योंकि गवर्नमैंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्ज से या ब्यूरोक्रेटस मशीनरी गरीब आदमियों को लड़ाती रही है चाहे देश तरक्की करे या न करे लेकिन उनकी अपनी आमदन पूरी

होनी चाहिए। इस अमैंडमैंट के बारे में एक बात जरूर कहूंगा जिससे दोनों को फायदा हो सकता है। हम सोल्जर की रक्षा करना चाहते हैं, उसकी आर्थिक पोजीशन भी ऊंची करना चाहते हैं तो साथ ही गरीब टैनेंन्ट की रक्षा के लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। जो बीच की लाईन के मोटे मोटे लोग हैं उन्हें पकड़े ताकि गरीब आदमियों को फायदा हो। ये जो कानून ला रहे हैं इससे हिन्दुस्तान की इकोनोमी को, हिन्दुस्तान के वकार को, हिन्दुस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं तथा देश में करप्शन पैदा कर रहे हैं।

इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि एम एंड औब्जैक्टस में टेनैन्टस के बारे में जो कुछ लिखा है वह बिल्कुल गलत लिखा है। सरकार ने ला की जो डिस्क्रिशनी पावर अपने हाथ में ली है या नहीं लेनी चाहिएं इन लफ्जों के साथ मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपनी जगह लेता हूं।

चौ. औम प्रकाश (बेरी): उपाध्यक्ष महोदय, दि पैप्सू टैनेंसी एंउ एग्रीकल्चरल लैंडज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर, परिचर्चा चल रही है। मैं इस बिल को लाजमी तौर पर समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं क्योंकि सेवा निवृत लोगों को फायदा देने के लिए यह बिल लाया गया है लेकिन इसे कारगर ढंग से लागू करने के लिए इसमें एक और भी प्रावधान किया जाना चाहिए जो बहुत जरूरी है। इस बिल की क्लास 2 के प्रोवाइजों में एक साल का अर्सा दिया हुआ है कि उसकी रिटायरमेंट के बाद एक साल के अन्दर अन्दर वह, उसकी विडो, माइनर चिल्डर्न जैसी स्थिति हो अपनी जमीन की इजैक्टमेंट के

लिए एप्लीकेशन्ज दें सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस पीरियड को एक साल से बढ़ा कर तीन साल किया जाना चाहिए क्योंकि सेवा निवृत व्यक्ति को सैटल होने में कम से कम एक साल लग जाता है इसलिये इतने थोड़े समय में वह उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकेगा। मेरी सरकार से गुजारिश है कि कारगर ढंग से फायदा देने के लिए तीन साल का अर्सा होना चाहिए। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जो उस जमीन पर बैठा हुआ है उसकी इजैक्टमैंट तो फौरन हो जायेगी और दूसरे आदमी का कब्जा भी फौरन मिल जायेगा लेकिन जो मुजारा वहां से बेदखल हुआ है उसकी प्रोटैक्शन का भी तो कोई इन्तजाम सरकार को करना चाहिए या तो सरप्लस जमीन की अलाटमैंट के समय उसे प्रायरिटी दी जानी चाहिए या उस इजैक्टिड टैनेंट को सरकारी सेवा में या दूसरे मामलों में प्रायरिटी में कंसिडर किया जाना चाहिए ताकि वह अपना गुजारा चला सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सुझाव दिये हैं उनको इस बिल में प्रोवीजन किया जाए। एक साल का जो समय दिया है इसकी जगह तीन साल का समय दिया जाए। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है –

कि यह सदन पैप्सू टैनैंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंडज (हरियाणा अमैंडमैंट) आर्डिनैंस 1984 (हरियाणा आर्डिनैंस न. 5 औफ 1984) को डिसऐप्रूव करता है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री उपाध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): डिप्टी स्पीकर साहब, जिस प्रकार पंजाब सिक्योरिटी औफ लैन्ड टैन्योर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल तीन महीने पहले आर्डिनैन्स के रूप में आया था और कल उसे रिप्लेस करके ऐक्ट की शक्ल दी गई है उसी प्रकार से पैप्सू टैनेन्सी ऐन्ड ऐग्रीकल्चरल लैन्ड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल भी पहले आर्डीनैन्स के रूप में आया था और आज उसे भी रिप्लेस करके ऐक्ट की शक्ल दी जा रही है। हमें इस बात पर कोई आपति नहीं है कि जो फौजी लोग डिस्चार्ज होकर आते हैं या पैन्शन आते हैं उन्हें फायदा हो यानी जमीन

मिल जाये। वे अच्छी जवान उम्र में ही चूंकि घर आ जाते हैं और गरीब परिवार के होते हैं इसलिए उनकी बेकरी को दूर करने के लिए यह बैनेफिट उन्हें मिलना चाहिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है परन्तु जो स्टेटमैंट आफ औब्जैक्शन ऐन्ड रीजन्ज हैं उसमें एक बात इन्होंने लिखी है कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उन टैनेंन्टस को रिहैबलिटेट करने की जिन्हें जमीन से इजैक्ट किया जाएगा। यह बात इस सरकार की नीतियों के विरूद्ध है। इस बात का ढोल तो कांग्रेस पार्टी की सरकार शुरू से ही पीटती आ रही है कि गरीब आदमियों को जमीन दी जायेगी। सन् 1953 से पंजाब सिक्योरिटी औफ लैंड टेन्योर्ज ऐक्ट इन्ट्रोडयूज हुआ था लेकिन आज तक भी वह सही ढंग से ऐन्फौर्स नहीं हुआ। इनके बीस सूत्री प्रोग्राम के तहत भी यह कहा जाता रहा है कि जो गरीब आदमी हैं जिन की दो, चार या पांच एकड़ की टैनेंन्सी है उन्हें महफूज बना कर सरकार काम करेगी और उनको दर दर की ठोकरें न खाने देगी। उन लौगों के पास कोई रोजगार नहीं। दो चार किल्लों की जिनकी टैनैंसी है उन्हें प्रोटैक्शन देगी परन्तु ऐम्ज एंड औब्जैक्टस से जाहिर है कि यह पार्टी उन गरीब लोगों का भला रही करना चाहती। डिप्टी स्पीकर साहब, आप तो अच्छे वकील हैं और सारी बातों को समझते हैं। यह पार्टी असली रंग में तो अब आयी है इस सरकार का गरीब लोगों से कोई प्रेम है ओर न ही उनमें कोई श्रद्धा है। यह उन लोगों की सरकार है जो उनके हितों को देखते हैं, जो इनकी पार्टी के खजाने में पैसे देते हैं। इनकी पार्टी में तो बड़े बड़े पूंजीपति और

इन्डस्ट्रीयलिस्ट लोग हैं इन्होंने जो एम्ज ऐन्ड औब्जैक्टस में लिखा है कि हमारी उन टैनेंटस को रिहैबलिटेट करने की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जो इन जमीनों से निकाले जायेंगे। इसी बात से आप अन्दाजा लगाये कि गरीब लोगों के प्रति, डाउन ट्रोडन के प्रति, हरिजनों के प्रति इन लोगौं की क्या आस्था है और कितना उन लोगों के हितों को ये देखते हैं? आनरेबल मैम्बर्ज को भी विशेश तौर पर इस बात को देखना चाहिए। (विघ्न)

श्री नेकी राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं आपके थ्रू इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने हरिजनों को कितने मुरब्बे दिये हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, चौ. नेकी राम जी अब हरिजन नहीं रहे। इनके तो महल के महल बने हुए हैं। दो दो मंजिले मकान बने हुए है। पैट्रोल पम्प और जमीने हैं। अब ये बड़े लैन्ड लार्डज के खाने में आते हैं।

श्री नेकी राम: सर, ये गलतब्यानी कर रहे हैं। मेरे नाम एक किल्ला भी जमीन नहीं है। अगर मेरे नाम एक किल्ला भी जमीन हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और इनके नाम हो तो ये इस्तीफा दे दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अगर इनके नाम नहीं हैं तो इनके लड़कों के नाम होगी। जहां तक इस्तीफे की बात है, वह मैं कैसे दे दूं? मेरे ना तो जमीन है। डिप्टी स्पीकर साहब मैं अर्ज कर रहा था कि यह बात ठीक है कि लोगों को पार्टी के

अनुशासन में रहना चाहिये लेकिन ऐसे समय पर जब कि उनके अपने इन्ट्रैस्ट इन्वौल्वड हों तो कुछ तो सोचना चाहिए। आज केवल हरिजन ही नहीं गैर–हरिजन मैम्बरान भी कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए हैं। आनरेबल मैम्बर्ज ऐसे भी हैं जिनके परिवार या उनके रिश्तेदार टैनेंट हैं। आज भी बहुत से टैनेंटस ऐसे हैं जो हमारे हरिजन भाइयों के रिश्तेदार या खुद भी इन भाइयों के परिवार टैनेंट हैं। कम से कम उन हरिजन भाइयों की जमीर तो आज बेदार होनी चाहिए। कम से कम उन सदस्यों की जमीर तो बेदार होनी चाहिए कि जिनके परिवार या रिश्तेदार टैनेंट हैं कि जो आज सलूक उनके साथ किया जा रहा है, कया वह ठीक है? यह नहीं होना चाहिए कि आंखें मूंद करके, एक व्हिप यदि जारी हो जाये, वोट दे यिदा जाए आफअर आल इनको भी जनता को जवाब देना पड़ेगा। कल को आपको भी जनता के सामने जाना पड़ेगा वहां पर कया जवाब दोगे कि आपने इस तरह के कानून पास करवा दिये। इसलिये मैं हाउस के तमाम मैम्बरान से यह अपील करूंगा चाहे वह हरिजन हैं या गेर हरिजन हैं, वे वोट डालते वक्त अपनी कन्शीयस को कुरेंदें, अपनी जमीर की आवाज को सुने और तब वोट डालें। एक बात जो इसके ऐम्ज एंड आब्जैक्टस में कही गयी है, उसके बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो यह सैटैंस लिखा हुआ है कि सरकार की इन टैनेंटस को जो इजैक्ट होते हैं, री–सैटल करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): डिप्टी स्पीकर साहब, दि पैप्सू टैनेंसी एंड ऐग्रीकल्चरल लैंडज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल जो यहां पर पेश किया गया है, वह इसलिये लाया गया है ताकि वह फौजी भाई जो देश की सर्विस करके आता है या देश की रक्षा करते हुए लड़ाई के मोर्चे पर शहीद हो जाता है, उनको या उनके बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाये। यह एक अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ आज किया जा रहा इससे उनकी सुरक्षा नहीं असुरक्षा होगी। दूसरी बात जैसे हमारे साथी माननीय सदस्य चौ. वीरेन्द्र सिंह जी ने कही, एक सिपाही या एक जे.सी. ओ. का जो टैनेंट होगा, वह टैनेंट भी बेचारा गरीब आदमी ही होगा। इसके ऐम्ज एण्ड औब्जैक्टस में जो यह बात लिखी हुई है कि जो टैनेटस वहां से उजाड़ेगें, उनको आल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी यह जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिएं चाहे उनको सरप्लस में से कुछ दो या और कुछ करो लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। दोनों ही डाउन ट्रोडन हैं। एक देश की रक्षा के लिये अपनी डयूटी देता है। चाहे समुद्र में वह डियूटी देता है या बर्फीले पहाड़ों पर डियूटी देता है। दूसरा एक गरीब भाई है। जब कोई फौजी वापिस आये, उसको उसकी जमीन न मिले या जब कोई फौजी शहीद हो जाये, उसके बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़े, यह बात बिल्कुल गलत है। लेकिन जो इस बिल के ऐम्ज एण्ड औब्जैक्टस में लिखा हुआ है, यह भी गलत है कि उनको सरप्लस लैंड पर रिसैटल करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत शानदार अमैंडमैंट इस एक्ट में लायी जा रही है। भाई वीरेन्द्र सिंह जी वकील भी हैं और बड़े काबिल भी हैं। (व्यवधान व शोर) श्री ओम प्रकाश जी ने भी इस बिल की दाद दी है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारी बहिन जी भी वकील हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन सबको चाहिये तो यह था कि इस बिल की स्पोर्ट करते। यह बड़ी शानदार अमैंडमैंट है। जो भाई आज फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं, और 20, 25 या 30 साल के बाद देश की सेवा करके अपने घर वापिस आते हैं उनकी भलाई के लिए यह अमैंडमैंट लाई गई है। मान लो सिकी भाई के पास 5, 7 या 10 एकड़ जमीन थी, जो वह खुद तो काश्त नहीं कर सकता था क्योंकि वह तो देश की सेवा कर रहा था लेकिन उसने किसी टैनेंट को दे रखी थी। रिटायर होकर आने के बाद अगर उसको उसकी जमीन फौरन न मिले तो बहुत गलत बात है। हमने इस अमैंडमैंट के जरिये यह किया है कि जब कोई फौजी रिटायर हो कर आयेगा तो वह एस.डी. एम. या कोलैक्टर के पास ऐप्लीकेशन देगा कि मेरी जमीन पर फलां का कब्जा है, वह मुझको मिलना चाहिये। उसको फौरन कब्जा मिल जायेगा और मुजारा उसको छोड़ देगा। हमने इसमें जो एक साल की बात की है वह भी फौजियों के हित के लिये की है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा परपज ही डिफीट हो जायेगा। हम यह चाहते हैं कि फौजियों को एक साल के अन्दर ही अन्दर कब्जा मिल जाना चाहिए। अगर हम इस पीरियड को तीन साल के लिये रख देते तो जो फैसला

करने वाला अफसर है, वह तारीखें देता रहेगा और तीन साल तक उसका फैसला नहीं हो पायेगा। (व्यवधान व शोर)

श्रीमती चन्द्रावती: हमारे कहने का मतलब यह था कि जितनी जल्दी उसको कब्जा मिल जाये, यह तो अच्छी बात है लेकिन अगर किसी वजह से उसको या उसके बच्चों को इस कानून का पता ही न हो तो एक साल, से आगे भी वह इस कानून का सहारा लेकर अपनी जमीन को इजैक्ट करवा सके या होना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी बड़े सियाने हैं। इनसे सियाना तो कोई दूसरा है ही नहीं। (व्यवधान व शोर) इनकी दिक्कत मैं समझतता हूं कि इनके पास अंग्रेजी का बिल रखा हुआ है और यह उसको समझ नहीं पा रहे हैं। यह जो एक साल का पीरियड है, यह इस बात के लिये आपने रखा कि फौजी डिस्चार्ज या रिटायरमैंट के बाद इस पीरियड के अन्दर अन्दर ऐप्लाई कर सकता है। सवा साल के अन्दर ऐप्लाई नहीं कर सकता। (व्यवधान व शोर)

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भाई शायद इसे समझे नहीं, हमारे इस बिल का जो मन्शा है वह यह है कि अगर हम किसी फौजी को 3 साल का टाईम दे देंगे तो वह सोचेगा, आज कर दैंगे कल कर दैंगे, इसी तरह से समय बीत जायेगा। हमने यह सारी बात सोच कर यह तय किया है कि ज्यों ही फौजी अपने घर आयेगा, इस काम के लिये आते ही ऐप्लीकेशन देगा। सैकण्डली यह कहा गया कि जाो मुजारे बैठे

हैं, उनका कया होगा, यह उनका वैलिड प्वायंट है। इसके लिये बाकायदा एक्ट बना हुआ है कि अगर किसी को किसी जमीन से बेदखल किया जायेगा चाहे वह किसी बड़े मालिक की जमीन की वजह से हो या फौजी की वजह से, उसकी सरप्लस में से सबसे पहले जमीन दी जायेगी। (व्यवधान व शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप इस बारे में अपने औफिसर्ज से सलाह कर लें, यह आपसे गल्ती हुई है।

चो. ओम प्रकाश: डिप्टी स्पीकर साहब, जो सिक्योंरिटी औफ लैड टैन्यार्ज एक्ट है उसमें यह प्रोवीजन है कि जो भी छोटा मालिक होगा और उसकी जमीन पर जो मुजारा बैठा होगा उसके बेदखल होने की शक्ल में उसे मुजारे को पहले सरप्लस जमीन में हिस्सा दिया जाएगा। मतलब यह है कि उसकी पहले रीसैटल किया जाएगा। और उसके बाद मालिक को कब्जा दिया जाएगा। ऐसा प्रोवीजन इस वक्त है। लेकिन फौजियों को रिवायत देने के लिए इसमें जो सब–सैक्शन ऐड किया जा रहा है उसमें यह है कि जो आदमी फौज से रिटायर होगा उसको सीधे ही जमीन का कब्जा मिल जाएगा लेकिन जो मुजारा उसकी जमीन पर बैठा है उसकी रिसैटलमैंट नहीं होगी। हमारा सुझाव यह है कि जेा मुजारा जमीन पर बैठा है उसको बेदखल करने के बाद उसको सरप्लस जमीन मिलनी चाहिए और इसके लिये कानून में संशोधन करना जरूरी है। ऐसे टेनेंट की रिसैटल करने के लिये सरप्लस जमीन में प्रायरिटी देना जरूरी है। सेवानिवृत फौजियों कोा तो कब्जा

मुजारों को बेदखल होते ही मिल जाएगा। यह बात तो बिल्कुल ठीक है।

श्री हीरानन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय इस बिल के उदेश्य और कारणों में लिखा है –

''भारत संघ के सशस्त्र बल के सदस्यों के सेवा निवृत/सेवोन्मुक्ति पर घर लौटने तथा सशस्त्र बल के सदस्यों की विधवाओं या सशस्त्र बल के मृत सदस्यों के अवयस्क बच्चों को, उनके अभिधारियों को उनके अनुशेय/आरक्षित क्षेत्र से वे कब्जा के किसी दायित्व के बिना उन्हें अधिशेश भूमि पर राज्य सरार के पुनः बसाने के किसी दायित्व के बिना उन्हें उनकी अपनी भूमि पर बसने के लिए समर्थ बनाने हेतू एक अध्यादेश अर्थात् पैप्सू अभिधृत तथा कृशि भूमि (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश 1984, 25 जून, 1984 की प्रख्यापित किया गया था ....''

डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें साफ लिखा है कि मुजारे काो रिहैबलिटेट करने की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक साल के अन्दर अन्दर फौजी को कब्जा दे दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदयख यह तो गुमराह कर रहे हैं। एक साल तो ऐप्लीकेशन देने का टाईम है।

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुजारे को बेदखल करने से पहले सरप्लस जमीन पर कब्जा देना है तो फिर अमैंडमैंट लाने की क्या जरूरत है। अमैंडमैंट तो इसलिये

लाई गई है कि फौजी को फौरी तौर पर अपनी जमीन का कब्जा दिला दिया जाएं अब सवाल यहह पैदा होता है कि मुजारे का क्या बनेगा? उपाध्यक्ष महोदयख इसके लिये कानून बना हुआ है कि सरप्लस जमीन में सबसे पहले ऐसे मुजारे को जमीन दी जाएगी जिसको बेदखल किया गया है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि फौजी की जमीन से अगर टैनेंट बेदखल होगा तो सबसे पहले सरप्लस जमीन में से उस टैनेंट को जमीन अलौट करेंगे। (शोर व व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: ****

श्री उपाध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाएं

प्रश्न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Minister of State for Revenue (Sh. La chhman Dasss Arora): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री निहाल सिंह (अटेली): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बिल का

उदेश्य ठीक है कि ऐक्स सर्विसमैन को जल्दी जमीन दिलानी है लेकिन इसके साथ ही साथ एक और आदमी का भी ताल्लुक है जिसको हम टैनेंट कहते हैं। हमें यह देखना है कि इन दोनों में से कौन सा वेट कर सकता है। जो फौजी रिटायर होकर आयेगा उसको पैन्शन भी मिलेगी और कुछ पैसा भी उसके पास होता है लेकिन जो टैनट बेदखल हो रहा है वह तो सड़क पर आ गया। इसलिए यह जरूरी होगा कि मुजारे को पहले सैटल किया जाए वरना समाज के दो वर्ग सफर करेंगे। ऐक्स सर्विसमैन कम सफर करेगा और टेनेंट ज्यादा हरियाणा असिफर करेगा।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अगर कोई विडो हो जाती है उसका क्या होगा।

श्री निहाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, अगर कोई फौजी मर जाता है तो हमारे यहां डिफैन्स परसोनल के लिए यह प्रोवीजन है कि उसकी विडो को फौजी की तन्खाह से ज्यादा पैन्शन मिलेगी, राशन भी मिलेगा और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिये मेरा कहना यह है कि टैनेंट को तब तक बेदखल न किया जाए जब तक कि उसको सरप्लस जमीन में से जमीन न मिल जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिन्ड अमैंडमैंट) बिल, 1984

श्री उपाध्यक्ष: मुझे श्री हीरा नन्द आर्य की तरफ से हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिन्ड अमैंडमैंट) बिल, 1984 (हरियाणा आर्डिनैन्स न. 6 औफ 1984) की डिसऐप्रूवल का नोटिस मिला है। अगर हाउस सहमत हो तो हाउस का टाईम सेव करने के लिए डिसऐप्रूवल के नोटिस पर और बिल की कंसिड्रेशन मोशन पर इकट्ठा विचार कर लिया जाए। डिसकशन के बााद इइनकी मोशन्ज पर अलग अलग मतदान होगा।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री हीरानन्द आर्य: मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि यह सदन हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का हरियाणा अध्यादेश सं. 6) का निरनुमोदन करता है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि यह सदन हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिन्ड अमैंडमैंट आर्डीनैन्स) 1984 (हरियाणा आर्डिनैन्स न. 6 औफ 1984) की डिसऐप्रूव करता है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Urban Development Authority (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस बिल के उदेश्यों तथा कारणों में दिया गया है यह बिल यहां पर इसलिये पेश किया गया है कि हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने अपनी जमनी गलत तरीके से ऐक्वायर करने के खिलाफ रिटे की और एक फैसला एफ.सी.आई. के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि एफ.सी.आई. एक कम्पनी है इसलिये भूमि अर्जन हेतू भूमि अर्जन अधिनियम के भाग 7 के अधीन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिएं। उसी के हिसाब से इन्होंने हुड्डा के बारे में किया है और इसलिए यह संशोधन किया जा रहा है सरकार ने उदेश्यों और कारणों के विवरण में कहा है, ''इस कमी को दूर करने के लिये, यह आवश्यक हो गया है कि हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण को सभी आशयों तथा प्रयोजनों के लिए और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, सहित इस समय लागू किसी अन्य विधि के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में घोशित किया जाए।'' इन्होंने यह भी कहा, ''उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दृश्टि में रखते हुए, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें अधिकथन किया गया है कि हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण भी एक कम्पनी है और हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के लिए भूमि अर्जन करने हेतु भूमि अर्जत अधिनियम, 1894, भाग 7 के अधीन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी।'' जो

हाई कोर्ट में रिटस दायर की गई हैं इनकाो इनुरक्चुअस करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। जिन लोगों की जमीन आज से दो साल, चार साल, पांच साल या दस साल पहले एकवायर की गई थी उनको कम्पनसेशन उस समय के रेट का मिलेगा जिस समय सैक्शन 4 और 6 के नोटिस जाारी हुए थे। आज अगर उन लोगों की रिटें कामयाब हो जाती हैं तो सरकार को उनको पूरी कीमत देनी पड़ेगी। इसलिये सरकार यह संशोधन लाकर उनकी जमीन कौड़ियों के भाव रखना चाहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये बीस सूत्री कार्यक्रम की दुहाई देते हैं लेकिन इस बिल के आने से इनका नंगापन जाहिर होने के सिवाए और कुछ जाहिर नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक मिसाल बताना चाहता हूं शायद आपके शहन करनाल और बाकी हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ होगा। हुड्डा द्वारा भिवानी में 1981 में 355 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी। 1981 से लेकर आज तक न तो उस जगह किसी आदमी को कोई प्लाट दिया गया और न ही उस जमीन पर किसी किस्म की और कार्यवाही हुई है। जो उस जमीन के मालिक थे शायद उनको आज तक मुआवजा भी न मिला हो। यह बात मैं निश्चित रूप से नहीं कहता कि मुआवजा नहीं मिला लेकिन मेरी ऐप्रीहैन्शन है। मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी जमीन पट्टे पर लेना चाहता है उसको तो दे देते हैं लेकिन प्लाट नहीं दिए जाते। मैं समझता हूं कि सारे हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन इन्होंने लोगों की ले रखी है लेकिन उस पर इन्होंने प्लाट भी नहीं काटे हैं। इनको चाहिए कि उस जमीन को आज दोबारा

एक्वायर करके लोगों को कम्पनसेशन दें। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो ये कम कीमत पर जमीन लेते हैं और दूसरी कोलोनाइनर्ज के साथ मिलकर अन–अथोराइज्ड कालोनियां बढ़ती जा रही हैं। अगर उस 355 एकड़ जमीन के प्लाट काटे जाते तो जरूरत मन्द लोगों को प्लाट मिल जाते और अन–अथोराइज्ड कालोनियां को बढ़ावा न मिलता। अगर प्लाट काट कर लोगों को देते तो उससे कालोनी ठीक प्रकार से डिवैल्प हो जाती। जैसे मैंने भिवानी का जिक्र किया उसी तरह से इन्होंने इस ऐक्ट के लागू होने से पहले कई हरिजनों को जमीन से बेदखल कर दिया। मैं यह भी कहूंगा कि हुड्उा में बहुत नाजाजय खर्च किया जा रहा है। हुड्डा में बहुत से अधिकारी डैपूटेशन पर भेज दिये जाते हैं और एक साल में उनका लाख डेढ़ लाख रूपया डैपुटेशन अलाउंस का बन जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: और भी मैम्बर बोलना चाहेंगे इसलिये आप अमैंडमैंट के बारे में ही बात करें।

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, आर्डिनैंस पर मेरा डिस–ऐपूवल का नोटिस था इसलिये मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। फिर भी अगर मैंने इर–रैलेवैट बोला हो तो आप बताएं। मैं कह रहा था कि अन–अथोराइज्ड कालोनियां नहीं बनने दी जानी चाहिए। कई लोग ऐसी कालौनियां बना कर सीधे तौर पर थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। उनमें से जिस पर ये चाहे मुकदमा बना देते हैं ओर जिस पर न चाहे नहीं बनाते। कितने ही लोगों ने हरियाणा में अन–अथोराइज्ड कालोनियां

बना रखी हैं जहां पीने का पानी भी नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि कौड़ियों के भाव से जमीन ली जाती है उसके बाज आना चाहिए। फिलहाल हाई कोर्ट में जो रिटें दायर की हुई हैं ये उनको इनफरक्युअस करने के लिए यह कार्यवाही कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये इस बिल को वापिस लें। अगर ठीक प्रकार से प्लाट काटे जाएं ताो वे लोगों को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि मेरा डिस–ऐप्रूवल का नोटिस स्वीकर किया जाए और सरकार ने जो गलती की है मैं समझता हूं कि वह भजन लाल जी की समझ में आ गई होगी। इसलिये मुझे उम्मीद है कि ये इस बिल को वापिस ले लेंगे और लोगों के अधिकारों पर छापा नहीं मारेंगे।

चौ. तैय्यब हुसैन (ताउडू): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के बारे में जो आर्डिनैंस जारी किया गया था उसको जारी करने की जरूरत नहीं थी लेकिन हम सबको यह पता है जिस तरह की यह सरकार है। इसको यह पता था कि सैशन आने वाला है। इन्होंने पहले आर्डिनैंस जारी कर दिया और अब उसको बिल की शक्ल में ले आए। ये सैशन तक इन्तजार नहीं कर सके। पहले आर्डिनैंस जारी कर दिया और अब उसे बिल की शक्ल में ले आए। डिप्टी स्पीकर साहब, आप यह भी जानते हैं कि सितम्बर सैशन कांस्टीच्यूशनल रिक्ववायरमैंटस को पूरा करने के लिए बुलाया जाता है और इनको यह भी मालूम था कि पिछले सैशन को हुए 6 महीने पूरे होने वाले हैं इसलिए सैशन तो बुलाना ही पड़ेगा। तो फिर यह आर्डिनैंस जारी कररने की क्या जरूरत थी? यह अमैंडमैंट बिल

के जरिए भी लायी जा सकती थी। डिप्टी स्पीकर साहब, जो हुड्डा है यह एक अजीब ही महकमा है, इसको अर्बन डिवैल्पमैंट का महकमा कहें या लूट का महकमा कहें यह देखने वाली बात है। यह बात तो ठीक है कि इससे कुछ आदमियों को डिवैल्पमैंट हो रही है लेकिन इस महकमे द्वारा गरीब किसानों को जिस तरह से लूटा जा रहा है। वह भी अपनी जगह एक कहानी है। जिस वक्त हुड्डा ने गरीब किसानों की जमीन ऐक्वायर की थी उस वक्त उनको जमीन का मुआवजा नहीं दिया था और इसके साथ साथ किसानों को मुआवजा न देने में जितना परेशान किया जाता है वह आपके सामने है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे गुड़गाव और फरीदाबाद दो जिले मैं समझता हूं हरियाणा के दूसरे जिलों से सबसे ज्यादा मुताार्सिर हैं। वह दोनों जिले दिल्ली के करीब हैं और दिल्ली के बरीब होने की वजह से वहां पर जमीन की कीमत बहुज ज्यादा है। वहां पर जमीन ऐक्वायर करने के लिए गलत तौर पर नोटिफिकेशन जाारी कर दिया जाता है और नोटिफिकेशन जारी करके फिर भी जमीनों के सौदे हो जाते हैं और कुछ कंसिड्रेशन की बिना पर वह जमीनें छोड़ दी जाती हैं। (अपोजीशन की ओर से शेम–शेम की आवाजें) तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात मानी हुई है कि हा मारे गरीब की लोह भसम हो जाय। यह सभी जानते हैं कि किस तरह से गरीब किसानों की जमीनें ऐक्वायर की जाती हैं और उनको किस हिसाब से उसका मुआवजा दिया जााता है। गरीब किसानों की जमीन मामूली पैसे में ऐक्वायर कर ली जाती है और उसको

आगे कितने ज्यादा पैसे में दिया जाता है यह सभी को मालूम है। यही नहीं कोआप्रेटिव सोसायटीज को अव्वल तो ऐनकरेज नहीं किया जाता और अगर ऐनकरेज किया जाता है तो पंचकुला में कोआप्रेटिव सोसाइटीज को जो जमीन देने की बात है उसके बारे में मुझे जहां तक पता है वहां पर कोआप्रेटिव सोसाइटी से एक एकड़ जमीन की कीमत तेरह लाख रूपए मांग रहे हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गुड़गांवा और फरीदाबादद में प्राईवेट कोलोनाइजर्ज की भी अपनी एक कहानी है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक कोलोनाईजर्ज ऐक्ट पा हुआ था कि जहां पर हुड्डा कालोनी बनाता है वहां पर प्राईवेट कोलोनाइजर्ज कालोनीज न बनाए लेकिन प्राईवेट कालोनाइजर्ज गरीब किसानों को लूट रहे हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जितनी भी कम्पनियां हैं उनको अलटीरियर मोटिव से जमीन दी जाती है। क्या इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब रोशनी डालेंगे? उन कोलोनाइजर्ज के खिलाफ 63 एफ.आई.आर. दर्ज हुई वे सारे केस वापिस ले लिए गए और वापिस ले करके फिर वे रैगुलराइज कर दिए गए। यदि ये पहले नोटिस दें फिर एफ.आई.आर. दर्ज करें फिर तो बात ठीक होती है और केस दर्ज हो जाता है लेकिन जब कुछ औफिसर्ज ओर सियासी लोग सरीक रहते हैं फिर बात खराब हो जाती है और ओवरनाइट मामले बदल जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे खिलाफ ताउडू से चुनाव लड़ा था वे महानुभाव इस महकमें के मिनिस्टर रहे थे। उन्होंने अपपने गांवों के तीनाों तरफ के गांवों की जमीन ऐक्वायर करवाई थी। वे गांव हैं

आटा–बरोटा, बडेलाकी और कंवरसीक। अब तो चीफ मिनिस्टर साहब को भी उस एरिया के गांवों के नाम याद हो गए होंगे क्योंकि चुनाव के दौरान इन्होंने वहां पर 10 दिन रहने की मेहरबानी की थी। उस ऐक्स मिनिस्टर का गांव खानपुर है और उसनने कांग्रेस (आई) के टिकट पर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था। वहां की जमीन ऐक्वायर नहीं की गई। उस गांव की जमीन छोड़ दी गई। इसलिए छोड़ दी, कहते हैं कि यह कंट्रोल्ड एरिया नहीं है इसलिए यहां की जमीन ऐक्वायर नहीं हो सकती। वहां पर ऐसा क्यों किया गया है? आप यह क्यों कहते हैं कि वह तो मेवात के लोगों की भलाई के लिए किया है। मेवात के लोगों की भलाइ तो क्या होनी है। डिप्टी स्पीकर साहब, कम्पट्रोलर एंड औडिटर जनरल औफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा है कि इन्होंने मेवात डिवैल्पमैंट एजेंसी के लिए टाईपराइटर्ज खरीदे थे। उन टाईपराइटर्ज में से केवल 9 टाईपराइटर्ज वहां पर काम में लाए गए बाकी सारे टाईपराइटर्ज दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर दिए गए। (शोर)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं क्या यह इरैलेवैंट नहीं है? जो बात हुड्डा से संबंधित न हो क्या वह बात माननीय सदस्य कह सकते हैं? इन्होंने जो बातें कही हैं उनका हुड्डा से कोई संबंध नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे इस बात की रूलिंग चाहूंगा। इस तरह से सदन का समय खराब नहीं होने देना चाहिए। यदि माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो बिल की किसी क्लाज पर

बोलें और यदि इस बारे में कोई अमैंडमैंट करवाना चाहते हैं तो उसके बाारे में अपने सुझाव दें। (शोर एवं विघ्न) माननीय सदस्य चुनाव की बात कर रहे हैं। यहां पर ताउडू के चुनाव के बारे में डिसकशन नहीं हो नही है। कभी कोई बात कह रहे हैं, कभी कोई बात कह रहे हैं और सदन का समय खराब कर रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्य को इररेलेवैंट नहीं बोलना चाहिए जो मामला अंडर डिस्कशन है उसी पर बोलना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, आपने शिक्षा राज्य मंत्री को उनका प्वायंट आफ आर्डर रेज करने के लिए इजाजत दी है। मेरा भी प्वायंट आफ आर्डर है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी साहब, आप एक मिनट के लिए बैठें। अगर हाउस सहमत हो तो आधा घंटे के लिए बैठक का समय बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक हैं जी।

श्री उपाध्यक्ष: बैठक का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिन्ड अमैंडमैंट) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपके आने से पहले नेहरा साहब ने एक प्वायंट आफ आर्डर रेज किया था कि माननीय सदस्य चौ. तैय्यब हुसैन इररैलेवैंट बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा का जो अमैंडिग बिल है उस पर बहस चल रही है और चौ. तैय्यब हुसैन उस पर बोल रहे थे। उन्होंने कोई प्वायंट रेज किया था कोई विशेश बात नहीं कही। केवल बात यह है कि एफ.सी.आई. को सुप्रीम कोर्ट ने कम्पनी करार दे दिया और जिन लोगों की जमीन हुड्डा के तहत ऐक्वायर हुई थी उन लोगों ने हाई कोर्ट में हुड्उा के खिलाफ रिट फाइल कर दी कि साहब अगर एफ.सी.आई. कम्पनी है तो हुड्डा भी कम्पनी हैं अब सरकार यह चाहती है कि हुड्डा को कम्पनी की जद्द से निकाला जाए ताकि इन्होंने लेंड ऐक्वीजीशन का जो प्रोसीजर ऐडाप्ट किया है वह सारा इनवैलिड न हो जाए। इस लकुना को खत्म करने के लिए सरकार यह अमैंडमैंट पास करवाना चाहती है। चौ. तैय्यब हुसैन जिक्र कर रहे थे कि इसका मतलब यह होगा कि अगर हुड्डा कम्पनी जदद से निकल जाए तो जो इन्होंने पुरानी ऐकवीजीशन की हुई थी उउसका मुआवजा मार्किट वैल्यू के हिसाब से नहीं देना पड़ेगा वरना इइनको सैक्शन 7 के तहत नई ऐक्वीजीशन करके नया मुआवजा बढ़ाकर देना पड़ेगा। चौ. तैय्यब हुसैन जी ने केवल इतना ही जिक्र किया था।

13.00 बजे

चौ. तैय्यब हुसैन: मोहतरिम स्पीकर साहब, हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैट अथोरिटी की जो बात चल रही है, उसी पर मैं बोल रहा था। डिवैल्पमैंट अथौरिटी के अधीन मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड भी आया है, उसकी चर्चा मैं कर रहा था। जो अर्बन डिवैल्पमैंट की बात चल रही है उससे मैं बाहहर नही जा रहा। मेवात के डिवैल्पमैंट के लिए जो एजेंसी इन्होंने बनाई है, उसके लिए मुझे खुशी है। मेवात एरिया को डिवैल्प करने के लिए इन्होंने एन्ड्रस्ट्रीयल सैक्टर भी काटे है। मेवात एरिया पर जो ये खास मेहरबाानी कर रहे हैं उसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। इससे इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मेवात डिवैल्पमैंट स्कीम के तहत इन्होंने उस एरिया की डिवैल्पमैंट के काम को करने के लिए 30 टाईपराइटर्ज खरीदे थे। इन 30 टाईपराइटर्ज में से सिर्फ 9 टाईपराइटर्ज इस एजैंसी को दिए हैं बाकी के सारे दूसरे जिलों में दे दिये। यह बात मैं नहीं कह रहा बल्कि वर्श 1983–84 की औडिटर जनरल की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है। इसी प्रकाार से इन्होंने उस एरिया में स्कूल खोलने के लिए पैसा भेजा लेकिन उस पेसे को बगैर यूटेलाइज किए हुए गवर्नमेंट को वापिस कर दिया गया। दिसम्बर, 82 में यह रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी गई थी लेकिन उसका आज तक कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये लोगों के सामने डिवैल्पमेंट अथौरिटी के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मेवात एरिया की ये क्या डिवैल्पमैंट कर रहे हैं उसके बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगा। अभी चीफ मिनिस्टर 25 तारीख को फिरोजपुर झिरका गये थे। इन्होंने वहां पर भी

उस एरिया की डिवैल्पमैंट की बात कही थी। कल ये यहा हाउस में कह रहे थे कि मैं सबको बराबर समझता हूं। इस बारे में मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि जब ये फिरोजपुर झिरका गए हुए थे तो इन्होंने स्टेज पर बोलते हुए कहा था कि मैनें आप लोगों की डिवैल्पमैंट के लिए बहुत काम किए हैं लेकिन वोट आपने हमें नहीं दिए। (शोर)

Mr. Speaker: You are going out of the ambit of the ball.

चौ. तैय्यब हुसैन: स्पीकर साहब, हमारे यहां पर डैमोक्रेसी है। डैमोक्रेसी के अन्दर डिवैल्पमैंट भी है। हमारे यहां कान्स्टीच्यूशन के मुताबिक लोग अपनी मर्जी से वोट देते हैं। वे चौ. भजन लाल से पूछ कर वोट नहीं दैंगे। इन्हें इस बात का मशकूर होना चाहिए कि हमारे देश में डैमोक्रेशी है जिसकी वजह से आप आज ये यहां चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात बहुत हो गई है। अब आप बैठ जाइए।

चौ. तैय्यब हुसैन: स्पीकर साहब, इन्होंने बहुत सारे प्लाट अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी के नाम से काटे हैं। इन प्लाट के काटने में जितनी बंगलिंग और सकैण्डल हुए हैं शायद ही किसी दूसरे डिपार्टमैंट में हुए हों। कायदे और रूल्ज के हिसाब से एक आदमी को एक प्लाट सिर्फ एक जगह पर ही मिल सकता है। लेकिन इन्होंने एक एक आदमी को कई कई जगहों पर प्लाटस अलौट किए हुए हैं जो कि कानून और रूल्ज के

मुताबिक गलत है। स्पीकर साहब, ये यहां पर सोशलिज्म और 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं। यहां पर यह बात देखने वाली है कि ये किसानों से कम भाव पर जमीन ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें क्या इमदाद देते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि बिचौलियों को खत्म करो लेकिन दूसरी तरफ सरकार हुड्डा के जरिए लोगों के पैसे ले रही है। स्पीकर साहब, यह हरियाणा सरकार की कैडिविलिटी है। इन्होंने स्टेट का दिवालिया निकाल दिया है जिसकी वजहह से आाज हरियाणा स्टेट की फाइनैंशियल स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। ये हुड्डा के पास पैसा जमा करवा लेते हैं लेकिन वापस करने का बाद में नाम नहीं लेते।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइए। आपने बहुत कह लिया है। अब डा. मंल सैन जी बोलेंगे।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, यह बिल हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल से संबंधित है। इसके औबजैक्टस एण्ड रिजन्ज के अन्दर यह कहा गया है कि हाईकोर्ट में कुछ रिट हैं जिस कारण उस लकूना को पूरा करने के लिए यह अमैंडमैंट बिल लाए हैं। जब कोई अमैंडिंग बिल आता है तो उसकी वर्किंग पर और उसके प्रिंसिपल्ज पर आपके हम यहां पर अर्ज़ कर सकते हैं। यही एक ऐसा फौरम है जहां पर हम इस प्रकार की बातें कह सकते हैं। हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी 1977 में बनी थी। यह अथौरिटी इस परपज के लिए बनाई गई थी कि जिन लोगों के पास अपने मकान नहीं हैं उनको सरकार किश्तों में मकान

डिवैल्प करके दे। यहां पर सुबह भाई वीरेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि अढ़ाई करोड़ रूपये का घाटा दूध वाली फैडरेशन को इसलिए हुआ कि किसानों और गरीब आदमियों का दूध उनसे अच्छे भाव पर लिया जाता है। यह सरकार किसानों की जमीन लेकर उनको उचित मुआवजा नहीं देती। सरकार किसानों से जो जमीन लेती है उसकी मार्किट प्राईस उन्हें नहीं देती। उचित प्राईस न देकर के सरकाार किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। यह बात तैय्यब साहब की ठीक है कि सरकार हुड्डा के जरिए करोड़ों रूपया प्लाट देने के नाम से ले लेती है। लेकिन प्लाटों की लाटरी निकलने के बाद भी लोगों को पैसे वापिस नहीं किए जाते। लोग अपने पैसे वापिस लेने के लिए धक्के खाते फिरते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: जो तैय्यब साहब ने कह लिया है उसको आप न कहें। जो बात तैय्यब साहब ने नहीं कहीं है वे आप कह लें।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं इस सरकार की कैडिबिलिटी के बारे में बताना चाहता हूं। सरकार ने लोगों को फरीदाबाद और पंचकूला में प्लाट देने के नाम से काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है। लेनिक जब लाटरी निकल गई और लोगों के अपपने पैसे वापिस मांगे तो चौ. भजन लाल जी ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है। स्पीकर साहब, ये बगैर स्कीम के पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं आपके जरिए इनसे पूछना चहता हूं कि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी जिस उदेश्यके लिए बनाई गई थी, क्या उसके लिए वह काम कर रही

है? मैं आपको तथा सदन को बताना चाहता हूं कि इन्होंने हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी को पंगु बना कर रख दिया है। ये सारा पैसा पूंजीपतियों की जेब में डाल रहे हैं और सारा काम उनकी मर्जी से चल रहा है। प्लाटों को बहुत बड़ा सकैण्डल हुआ है। उनकी अलाटमैंट में बड़े–बड़े व्यक्ति, जुडिशरी के लोग तथा जरनेलिस्टस भी शामिल हैं। इस पर चच्र पहले भी काफी हो चुकी है। आज सुबह चौ. सुरेन्द्र सिंह जी ने कुछ कहा तो चौ. भजन लाल जी उसने नाराज हो गए। हम यहां पर डैमोक्रेसी के अन्दर हर प्रकार की चर्चा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने बहुत सारी दूसरी बातें कह ली है। अब आप बिल पर आ जाइए।

Sh. Mangal Sein: I am confined to the Bill. Sir. मैं हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी के बारे में ही अर्ज कर रहा हूं। ये किसानों के लिए मगरमच्छ के बड़े–बड़े आंसू बहाते हैं। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि यह एक बहुत पुरानी कहानी है उसकाो अब मैं दोहराना नहीं चाहता।

स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्यच मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक सरदार जी हमारे पुराने मित्र थे, उनकी छुट्टी हो गई । पता नहीं उनको अब ये कब ले कर आयेंगे? अब सरदार लछमन सिंह जी उन का साथ छोड़ गए हैं। इनके पास जो महकमा था, उस महकमें का सारा बोझ अब इनके कन्धों पर आन पड़ा है। स्पीकर साहब, आपके द्वारा अर्ज

करना चाहता हूं कि हुड्डा डिपार्टमैंट से जनता को लुटने से बचाइए। मेरा शहर रोहतक है। मैं रोहतक कांस्टीच्युएंसी को रिप्रेजेंट करता हूं। वहां पर हुड्डा की तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं है। पहले हाउसिंग बोर्ड का प्रोग्राम था लेकिन अब उसका बोरिया बिस्तरा गोल कर रहे हैं क्योंकि हुड्डा जमीन ऐक्वायर करके हाउसिंग बोर्ड को देता है। (व्यवधान) मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि रोहतक के साथ अन्याय न करें। मकानों की रोहतक में ही नहीं बल्कि सारे हरियाणा में जरूरत है। इसलिये मकान बनाते समय प्राईवेट कालोनाईजर्ज को मत पनपने दें। इन्होंने कौड़ियों के भाव गुड़गावां के पास जमीन ली है और महंगे भाव पर बेच कर अरबोपति बनते जा रहे हैं। हमें इस लागत को रोकना चाहिए लेकिन इस किस्म की अमैंडमैंट लाकर आप किसानों के पेट पर लात मारना चाहते हैं। यह गलत काम न किया जाए, जो भाव किसानों की जमीन का दिया जाना चाहिए, वही दिया जाए और हुड्डा को लोकल अथौरिटी न बनाया जाए।

डा. भीम सिंह दहिया (रोहट): स्पीकर साहब, हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकड अमैंडमैंट) बिल, 1984 जो सदन में पेश हुआ है, मैं इसकी खिलाफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, बिल के एम्ज एंड औब्जैक्टस में जो कुछ लिखा हुआ है उससे साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एफ.सी.आई. को एक कम्पनी डिक्लेयर किया हुआ है और हरियाणा सरकार को यह डर है कि हुड्डा को भी कम्पनी डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की जमीन

हुड्डा ने ऐक्वायर की हुई है और कम कम्पनसेशन देने के कारण उन्होंने हाई कोर्ट में रिटस दायर कर रखी हैं। बहरहाल, इन रिटस को इन्फक्चुअस करने के लिए यह बिल लाया गया है।

श्री अध्यक्ष: दहिया, साहब, काबिल आदमी कभी किसी बात को रिपीट नहीं करता। जो बात आप कह रहे हैं, यही बात दो तीन मैम्बरों ने पहले ही कही हुई है।

डा. भीम सिंह दहिया: मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं कह रहा था कि सरकार कानून बनाती है और बाद में उसका उल्लंघन होता है। उल्लंघन होने पर लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्याय लेने के लिए जाते हैं। अगर आम आदमी को न्याय न मिले तो बुरी बात है। लोगों को हाई कोर्ट से न्याय न मिले, इसलिये यह इस किस्म की अमैंडमैंउ लेकर आये हैं। That is a servere abuse of the legislative powers given to this House. इसका अब्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि जो कानून यहां बनते हैं वे लोगाों के फायदे के लिए बनते हैं। इसके अलावा दूसरी बात इस बिल में यह लिखी है कि जो अमैंडमैंट होगी वह 1977 से लागू होगी यानी सात साल पहले से लागू होगी। अगर किसी आम आदमी ने 20 साल पहले कोई गलती की हो तो कानून यह कहता है कि उसको सजा मिले लेकिन सरकार अगर 20 साल पहले कोई गलती करती है तो इस प्रकार की अमैंडमैंट लाकर उस गलती को दुरूस्त कर देती है क्योंकि इनके पास ब्रूट मैजोरिटी है। इसमें सोचने की बात यह है कि इसमें नुकसान किसका है? नुकसान तो उन्ही का है

जिनकी जमीन हुड्डा ने ऐक्वायर की है और कम कम्पनसेशन मिलने के कारण हाई कोर्ट में गये हैं। इनको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी अमैंडमैंट नहीं आनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर पुनः विचार करेगी क्योंकि कानून लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है, नुक्सान के लिए नहीं।

चौ. शकरूल्ला खां (फिरोजपुर झिरका): जनाब स्पीकर साहब, अभी अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे .....

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये लेकिन बिल पर बोलिये। (व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय सदस्य श्री शकरूल्ला जी से कहूंगा कि वे कृपया कि वे कृपया बिल का नाम लेकर बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इनको ऐसा वैसा मैम्बर न समझे, he knows everything.

चौ. शकरूल्ला खां: जनाब स्पीकर साहब, मेरे साथी ने मेवात के बारे में कहा जब मुख्यमंत्री मंत्री जी ने मेवात की डिवैल्पमैंट के लिए बोर्ड बनाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आवामा ने इस बोर्ड का वैल्कम किया और जितनी तरक्की बोर्ड बनाने में हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई। (व्यवधान) तैय्यब हुसैन साहब ने अभी कुछ गांव गिनवाये हैं। आप खुद अन्दाजा लगा लें कि आपको वहां से कितने वोट मिले है और चौ. भजन लाल जी को कितने वोट मिले हैं। (व्यवधान) छाज तो बोले,

क्या छालनी भी बोले? (व्यवधान) तैय्यब हुसैन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गये थे। इन्होंने इस पीरियड के दौरान मस्जिदें बेची, कबरें बेची, मन्दिर बेचे। (व्यवधान) कब्रिस्तान बेचे। (शोर)

चौ. तैय्यब हुसैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सरं जनाबेआला, जो कुछ ये बोल रहे हैं यह कैसे रैलेवैट है? (शोर)

श्री अध्यक्ष: तैय्यब हुसैन जी, आप बैठ जाइए। मुझे समझ तो आने दें, मैं तभी बताऊंगा कि क्या रैलेवैंट है क्या नहीं है? (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, तैय्यब हुसैन बोले हैं, हमने उनको टोका नहीं। जब हमारे एक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए तो ये सब टोकने के लिए खड़े हो गये। (व्यवधान) ये तो मेवात का जिक्र कर रहे हैं, आप सुनिये तो सही। (शोर)

चौ. सुरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, इस हाउस में एक–आध मैम्बर पंजाबी भी बोलते हैं, इसलिए अगर ये मेवाती में बोलें तो मजा आ जायेगा। (विघ्न) आप एक बार इनको मेवाती में सुन तो लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। पहले इनको सुन तो लें कि ये क्या कहते है? शकरूल्ला जी आप बोलिये।

चौ. शकरूल्ला खां: जनाब स्पीकर साहब, तैय्यब हुसैन साहब ने कब्रिस्तान बेचे । जब कब्रिस्तान को गिराने के लिए बुलडोजाार चल रहे थे तो वहां से 100 साल की मैय्यत

निकली। (व्यवधान) बुजुर्गों की जो मैय्यत थी इन्होंने उसको बिकवाया और उसकी जगह पर मकाान बनवाये। रिवाड़ी, महिन्द्रगए में मस्जिदें बेचीं, एक मकबरा बेचा और इनके चारों तरह दुकानों बनवाई। मैं कहता हूं कि छाज तो बोले छाननी क्या बोले। (व्यवधान)

वैयक्तिक स्पश्टीकरण –

चौ. तैय्यब हुसैन द्वारा

चौ. तैय्यब हुसैन: आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन, सर। स्पीकर साहब, अभी जो मुआजिज मैम्बर बोले हैं इनको शायद खुद को यह पता नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। जितनी भी बातें इन्होंने कही है वे बे–बुनियाद और गलत है। स्पीकर साहब, मैंने वक्फ बोर्ड का चार्ज अगस्त, 1978 में छोड़ दिया था और उसके बाद एक नहीं बल्कि कई चुनाव लड़े है। आप मानेंगे कि हम पोलिटिकल लोगों के स्टैडर्ड का फैसला जनता जनार्दन करती है और मैं एक दफा नहीं बल्कि कई दफा चुनाव में जीता हूं। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि उस तरफ से जो मुआजिज मैम्बर बोले हैं उन्होंने बे–बुनियाद और गलत बातें कहीं हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, इत्तफाक से ये जीत तो गए हैं लेकिन इनके खिलाफ 46 हजार वोट पड़े है और फेवर में केवल 12 हजार वोट पड़े हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, जेसा मैंने पहले कहा वक्फ बोर्ड की एक एक फाईल का चार्ज मैंने अगस्त, 1978 में दे दिया था। उसके बाद जनता गवर्नमैंट आई और उसने एक एक चीज और एक एक फाईल को देखा।

बात दरअसल यह है कि खुर्शीद साहब को, जो इनके पोलिटिकल ऐडवाइजर हैं या क्या है, पता नहीं इनका क्या हिसाब किताब है, मैंने वक्फ बोर्ड के चुनाव में हराया था। उनको तीन वोट आए थे और मुझे 8 वोट पड़े थे। इनको परेशानी उस बात की है।

दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)

श्रीमती चन्द्रावती (बाढ़या): स्पीकर साहब, हमारे सामने जो हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल आया है। मै इसकी मुखालफत करने के लिए खड़ी हुई हूं। (विघ्न)

स्पीकर साहब, यह बड़ा गलत तरीका है कि एक कम्पनी को ये लोकल अथौरिटी बनाएंगे। कल लोकल अथौरिटी को ये कम्पनी बनाएंगें यह कोई बात नहीं है। यह बात सब नौर्मज और रैगुलेशन्ज के खिलाफ है। लोकल अथौरिटी हर टाऊन की अलाहिदा है। हर गांव की पंचायत है। अब हुड्डा क्या उन सबको रिप्लेस करेगा? यह हमारे सामने सवाल है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, यह कहा गया है कि फरीदाबाद कंप्लैक्टस के बाद ये शब्द लिखे जाएंगे। मैं समझती

हूं कि यह बड़ी गलत कंवैन्शन गलत रवायत, गलत रिवाज डाला जा रहा है जो ये एक कम्पनी को लोकल अथौरिटी में तबदील कर रहे हैं। ठीक है मैजोरिटी के बलबूते पर ये जो चाहें कर लें लेकिन यह कानून की बात नहीं है और रिवाज की बात नहीं है। कल ये एफ.सी.आई. को कहेंगे, फरीदाबाद कंपलैक्स को कहेंगे कि कम्पनी बना दो। फिर कहेंगे कि पंचायत की भी कम्पनी बना दो। जनाब मैं आपके द्वारा हाउस से कहना चाहती हूं कि यह बड़ी गलत बात है और बहुत ही गन्दा खेत रचाया जा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा हे कि खरबूजे पर चाकू को फैंके तो खरबूजें का खो और खनबूजे को चाकू पर फैंके तो भी खरबूजें का खो। इइस अमैंडमैंट का असर किसान पर पड़ेगा। जिस किसी की जमीन ली जाती है, उसको बाजार भाव से भी कम कीमत दी जाती है। स्पीकर साहब, बड़े लोगों को तो पैसा एक मुश्त दिया जाता है लेकिन किसान को उसकी जमीन की कीमत किश्तों में दी जाती है। अन्सल और डी.एल.एफ. वगैरा को तो सारी चीजें एक साथ दी जाती हैं लेकिन हरियाणा के लोगों को नहीं। मुझे तो ऐसी लगता है कि हरियाणा में आसान वाला हाल हो जाएगा और हम लोगों को खेती करने लायक जमीन भी नहीं मिलेगी। जिस हिसाब से हुड्डा दूसरे लोगों को जमीन देकर यहां बसा रहा है उसके फसस्वरूप हमारे किसान लोग कहां खेती करेंगे। स्पीकर साहब, मैं तो यह कहती हूं कि इस हुड्डा को खत्म कर देना चाहिए। यह कम्पनी हरियाणा के किसानों की दुश्मन है। मैं इस

बात को दोबारा दोहराती हूं कि यह ढंग का कोई काम नहीं कर रही है। (विघ्न)

स्पीकर साहब, एक बात मै इसके अलावा कहना चाहती हूं। अभी अभी मुझे एक टेलिग्राम मिला है। इसमें लिखा है कि हिसार यूनिवर्सिटी के 4 स्टुडेन्टस फास्अ आन–टू डैथ पर बैठे हैं। इसलिए स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार को यह कहना जरूरी समझती हूं कि जो वाईस चांसलर वहां हैं इसने पहले तो बिजली बोर्ड का भट्ठा बैठा दिया था और अब यूनिवर्सिटी का भट्ठा बैठा देगा। वहां देहातियों के लिए जो सीटें रिजर्व थी उनको उसने खत्म कर दिया। सारे स्टुडैन्टस को वह रस्टिकेट कर रहा है। लड़कियों तक की वहां बेइज्जती होती है। वह यूनिवर्सिटी अब यूनिवर्सिटी नहीं रही है। ऐसे आदमी को वहां वाईस चांसलर नहीं रखना चाहिए।

बैठक का समय बढ़ाना।

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस सहमत हो तो 10 मिनट का समय और बढ़ा लिया जाए।

आवाजें: बढ़ा लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय 10 मिनट बढ़ाया जाता है।

दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, वाईस चांसलर के बारे में इन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने बिजली बोर्ड का भट्ठा बैठा दिया और अब यूनिवर्सिटी का भट्ठा बैठा रहा है। एक औफिसर, जो अपने आपको यहां डिफैन्ड नहीं कर सकता हो, के बारे में ऐसे लफ्ज कहना मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे शब्दों को हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैंने जो कुछ कहा हैं उसमें कोई भी शब्द अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैं देख लूंगा।

चौ. सुरेन्द्र सिंह (तोशाम): स्पीकर साहब, मैं केवल एक लाईन ही कहना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जिन शहरों के मास्टर प्लान्ज हैं उन शहरों में भी जिन आदमियों के पास कालोनाइजेशन के लाइसेंस नहीं हैं वे जमीन लेकर और प्लाट काट कर बेच देते हैं। जब वहां पर मकानात बन जाते हैं तो उन्हें सिविक ऐमेंनिटिज काफी दिनों तक नहीं मिल पाती हैं। मैं आपके जरिए सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आदमियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। हर जिले या शहर में ऐसा होता है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बहुत मामूली सी अमैंडमैंट थी लेकिन कई माननीय सदस्यों ने इतना बवाल मचाया बड़ी गलत बाात होने जा रही है। यह मामूली अमैंडमैंड इसलिए है कि हुडडा को कम्पनी मानते हैं, लोकल

अथौरिटी नहीं मानते हैं। एफ.सी.आई. का सुप्रीम कोर्ट से एक केस था टैक्स के बारे में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको लोकल अथौरिटी नहीं मानते बल्कि कम्पनी मानते हैं। इसी तरह से जो केस हुड्डा के हाई कोर्ट सर सुप्रीम कोर्ट में पैडिंग पड़े हैं, वे हमारे हक में नहीं हो सकते। आर्य साहब ने ठीक ही कहा कि अगर हम इसे लोकल अथौरिटी नहीं बनायेगें तो सारी की सारी रिटें ना–मंजूर हो जायेंगी और इस तरह से हुड्डा का सारा काम रूक जायेगा। इस आधार पर हम यह अमैंडमैंट लाये हैं। यहां यह कहना ही हुड्डडा वाले किसान को बहुत कम कीमत देते हैं, किसान मर गया (विघ्न) स्पीकर साहब जहां तक किसान के साथ हमदर्दी का ताल्लुक है इस सरकार ने जितने अच्छे फैसले लिए हैं और किसी भी सरकार नहीं नहीं लिए। ये अपोजीशन के भाई जो सामने बैठे हुए ह। वे अपने वक्त का हिसाब लगा लें और जो हमने किसान की भलाई में फैसले लिए उनको भी देख लें। जितनी भी जमीन किसान की सरकार ऐक्वायर करती है वह आज का भाव देती है, मार्किट रेट से ऐक्वायर करती है। पहले वाली सरकार की तरह से नहीं कि पांच पांच साल की ऐवरेज निकालती थी और तब जाकर सिान को कीमत देती थी। अब हमने फैसला किया है कि किसान की जमीन आज के मार्किट भाव पर ली जाये। पहले बाकायदा पता करें कि मार्किट में क्या भाव है उसी भाव से किसान को पैसा दें ताकि किसान परेशान न हो और उसको अच्छा पेसा भी मिल जाये। हम किसान को मुनासिब और अच्छे से अच्छा भाव देने की कोशिश करते हैं।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, ये कहते हैं कि किसान को पूरे और ज्यादा से ज्यादा दाम देते हैं लेकिन फिर भी क्या वजह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कम्पनसेशन की ऐन्हांसमैंट कर देती है?

श्री अध्यक्ष: यह फैसला अब हुआ है और ये पहले के केसिज हैं।

चौ. भजन लाल: ये पुराने केसिज हैं। फिर भी हमने यह फैसला कर लिया है कि कोई जमीन जिसको दफा छः के नोटिस हुए तीन साल हो गये हैं और उस किसान को पेमेंट नहीं मिली है, उसे दुबारा नये सिरे से दफा चार के तहत नये नोटिस से नई कीमत दी जाये। किसाने के फायदे के लिए हम सारी बातें करने जा रहे हैं। प्राईवेट कालोनियां का भी जिक्र किया गया। तैय्यब साहब ने भी कुछ कहा। वे अभी नये नये ओय हैं। थोड़े दिन के लिए सन् 1967 में भी आये थे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: जब ये आये थे उस सयम आप पंचायत के भी मैम्बर थे।

चौ. भजन लाल: मैम्बर पंचायत तो मैं उस समय बन गया था जब पंचायती सिस्टम शुरू हुआ था।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप तो पंचायत के मैम्बर ही नहीं थे।

चौ. भजन लाल: मैं मैम्बर पंचायत था या नहीं लेकिन आपसे समझ फालतू रखता था। मैं यह नहीं कहता कि

मैं बहुत बड़ा वकील हूं लेकिन इतनी समझ जरूर रखता था कि जो बातें ये कहतें है वह मैं नहीं कहता था। तैय्यब साहब ने फरीदाबाद और गुड़गांवा की कालोनी का भी जिक्र कर दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार कालोनाइजर्ज को कोई जमीन नहीं देती है। वे खुद प्राइवेट तौर पर जमीन लेते हैं। सरकार ने बाकायदा कानून बना रखा है और कालोनाइजर्ज को उसमें बान्ध रखा है। सरकार ने फैसला किया हुआ हे कि कालोनाइजर 80 रूपये गज के हिसाब से 25 परसैन्ट जमीन के प्लाट गरीब लोगों को देगा चाहे उसमें वह जमीन किसी भी भाव में खरीदी हो और 25 परसैन्ट जमीन जिस भाव में खरीदी हो उसी भाव में देनी पड़ेगी यानी बिना प्रोफिट के देनी पड़ेगी। अगर सौ एकड़ जमीन है तो 55 एकड़ जमीन खाली ग्रीन पार्क, हस्पताल और स्कूल बनाने के लिए छोड़नी पड़ेगी यानी सब चीजें उसे बनानी पड़ेगी। पूरी फैसेलिटिज देनी पड़ेगी। हमारी सरकार ने ऐसा कानून बनाया हैं जिससे कोई आदमी गड़बड़ न कर सके। हमने उसके प्रोफिट पर भी बैन लगा दिया हैं। 15 परसैन्ट से ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकेगा ताकि वह नाजायज पैसा न करा सके और आम आदमी को भी ठी भाव पर जमीन मिल सके।

स्पीकर साहब, हुड्डा के प्लाटस की अलाटमैंट के बारे में जिक्र किया गया। डाक्टर साहब ने कहा कि पंचकूला में लाटरी निकाली थी लेनिक आज तक उनके पैसे वापिस नहीं किये। हमने सब लोगों के पैसे लौटा दिये हैं। हाउस में कम से कम वह बात कहनी चाहिए जिसमें कोई वजन और सच्चाई हो।

श्री मंगल सैन: लाटरी निकालने के कितने दिन बाद लोगों के पैसे दिये हैं? कई लोग तो पैसों के लिए हाई कोर्ट में गये। आपने हुड्डा के पैसों को बिजली बोर्ड को दे दिया। (विघ्न)

चौ. तैय्यब हुसैन: गुड़गांवा में सैक्टर 12 के लिए पैसे लिए थे वे आज तक वापिस नहीं दिये गये हैं।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब इस वक्त पंचकूला का कोई भी पैसा बाकी नहीं है। पैसे देने में कुछ देरी जरूर हुई है।

श्री मंगल सैन: कई लोग हाई कोर्ट में गये, क्या आप इस बात से भी इन्कार करते हो?

चौ. भजन लाल: मैं कब इन्कार करता हूं, गये होंगे लेकिन सरकार ने किसी का भी कोई बकाया नहीं रखा है। सब पैसे दे दिये हैं।

स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि जिन लोगों की जमीन ऐक्वायर करते हैं उनके पैसे नहीं दिये। अगर किसी को पेमैंट बकाया है तो उसे पैसा मिल जायेगा। फिर इन्होंने यह भी कहा ज्यादा कीमत पर प्लाट बेचते हैं और जमीन सस्ते भावों पर ऐक्वायर करते हैं। जिस जमीन को वे डिवैल्प करते है उसके डिवैल्पमैंट चार्जिज भी लेने होते हैं। मैं आपके जरिए हाउस को बताना चाहूंगा कि हुड्डा नो लोस और नो–प्रौफिट पपर प्लाटस देता है।

तैय्यब हुसैन जी ने इसी तरह से एक और इल्जाम लगाया कि मेवात बोर्ड बना हुआ है लेकिन वहां पर कुछ काम नहीं हुआ। हमने वहां पर करोड़ों रूपये खर्च किये हैं। बड़ी तेजी के साथ डिवैल्पमैंट का काम हो गया हैं अभी शकरूल्ला साहब जी कुछ कह रहे थे वह ठीक कह रहे थे। वहां पर काम हुए हैं। हमने स्कूल खोले हैं, आई.टी.आईत्र खोले हैं। इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है। इन्होंने यह भी कहा कि लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिये कि इन्होंने वहां पर डिवैल्पमैंट को कोई काम नहीं किया। अभी 15 लाख रूपये बस स्टैन्ड पर लगाये जायेंगे, उसकी आधार शिला रख कर आये हैं। कितने ही स्कूलों और हस्पतालों का उद्घाटन करके आये हैं।

इसके अलावा, डा. साहब ने कहा कि रोहतक में हुड्डा काम नहीं कर रहा है। रोहतक के अन्दर दफा 4 और 6 की कार्यवाही कर दी गई है बहुत जल्दी वहां हुड्डा कालोनी बनायेगा क्योंकि डाक्टर साहब तो अकसर चण्डीगढ़ और दिल्ली में रहते हैं, रोहतक कम जाते हैं इसलिये उनको सही पोजीशन का पता नहीं है।

श्री मंगल सैन: जमीन तो आपने काफी दिनों से ले रखी है लेकिन डिवैल्प नहीं की जा रही।

चौ. भजन लाल: दूसरे इन्होंने एक सवाल उठाया कि अन–अथोराइज्ड कालोनियां जगह जगह पर बनी हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बनी हुई हैं।

बैठक का समय बढ़ाया

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सैन्स हो तो हाउस का टाईम दो बजे तक कर दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय दो बजे तक बढ़ाया जाता है।

दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, अगर किसी आदमी ने दस साल या 20 साल पहले किसी जगह पर मकान बना लिया है तो उसको कैसे उठाया जा सकता है? अगर हम उनको अब उठाते हैं तो डाक्टर साहब, के साथी जो बैठे है, आकर कहते हैं और सिफारिश करते हैं कि इन्हें न उठाओ। यहह कहां जायैंगे? फिर हमारे पास सिफारिशें आ जाती है कि गरीब आदमी हैं, इनको मत उजाडों। जो आदमी एक बात बैठ गये अगर उनको हम उजाड़ते हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये हम उनको वहां पर ठीक तरीक से सीवरेज की, सड़की की और पानी वगैरा की सुविधाऐं देकर रैगुलेराइजज कर देते हैं ताकि गरीब आदमी की परेशानी न हो और आगे से हम

बाकायदा इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी कालोनियां न बनें।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि 25 परसैन्ट प्लाट गरीब लोगों को देंगे। क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि आज हरियणा में कितनी ऐसी कालोनियां बनी हुई हैं जहां पर ये प्लाट दिये गये हैं।

चौ. भजन लाल: वह तो मैंने प्राइवेट कालोनाईजर्ज की बात की है। आप जो इस बारे में इल्जात लगाते हो, मैंने उसके बारे में जवाब दिया है। जहां तक भिवानी का ताल्लुक है, उसके बारे में भी इन्होंने कहा हुड्डा वहां पर बहुत जल्दी ही कार्यवाही करने जा रहा है और बहुत जल्दी ही वहां पर हम कालोनी बनाने जा रहे हैं।

श्री हीरानन्द आर्य: बहुत जल्दी से आपका मतलब कितनी देर से है?

चौ. भजन लाल: मेरा ख्याल यह है कि 3 महीने में वहां पर काम शुरू हो जायेगा। एक बात बहिन चन्द्रावती जी ने यूनिवर्सिटी के बारे में कह दी। उन्होंने यह जिक्र कर दिया कि वहां पर यूनिवर्सिटी बन्द है, यह है वह है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी बन्द नहीं है। यूनिवर्सिटी बाकायदा खुली है। यह बात अलग है कि कुछ स्टुडैन्टस ने वहां पर स्ट्राइक जरूर की है। आज खुद आप जाकर देख सकते हैं कि वहां पर 90 परसैन्ट हाजिरी है। वहां पर कुछ क्लासिज में तो 100 परसैन्ट हाजिरीी है। यह तो रिकार्ड की बात है जो मैं बता रहा हूं। वहां के वाईस

चांसलर ने एक फैसला किया है कि वहां पर डायरैक्ट इलैक्शन की बजाये इनडायरैक्ट इलैक्शन होगा जैसे कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है और रोहतक यूनिसर्सिटी में भी है। (व्यवधान व शोर)

श्री मंगल सैन: रोहतक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तारीफ तो कल मैंने काफी कर दी है। उनकी कार–करदगी का नमूता मैंने आपकी सेवा में कल पेश कर दिया था।

चौ. भजन लाल: एक बात आप जानते हैं कि अगर शुरू से ही स्टुडैन्टस पौलिटिक्स में पड़ जायें तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि सारा स्टाफ ही दो हिस्सों में बंट जाता है। इसलिये इन–डायरैक्ट इलैक्शन किया गया है ताकि वहां पर पार्टीबाजी कम हो और स्टूडैन्टस अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा सकें। जहां तक रूरल रिजर्वेशन की बात का ताल्लुक है, इस बारे में बहिन चन्द्रावती तो खुद वकील हैं, इनको सब कुछ अच्छी तरह से पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि हम 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन करेंगे तो वह अन–कांस्टीच्यूशनल हो जायेगी। मेरी इस बात से चौ. वीरेन्द्र सिंह जी ऐग्री करेंगे कि 50 प्रतिशत से फालतू रिजर्वेशन हम नहीं कर सकते। 20 प्रतिशत हरिजनों के लिये 10 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासिज के लिये, 10 प्रतिशत भारत सरकार के नौमिनीज के लिये और 2 परसैन्ट ऐक्स सर्विसमैन के लिये रिजर्वेशन की हुई है। आप ही बतायें कि हम इससे फालतू रिजर्वेशन किस प्रकार से कर सकते हैं? अब हमने एक फैसला किया है। 20 प्रतिशत हरिजनों के लिये और 10 प्रतिशत

बैकवर्ड क्लासिज के लिये जो रिजर्वेशन हमने की हुई है, उसके लिये पूरे बच्चे तो आते नहीं हैं, उनको जो कोटा बच जाये, वे देहात को दे दिया जाये। कल ही रात को मैंने वाइस चांसलर से इस बारे में बात की है और फैसला किया है। आप को पता ही है कि हम 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते। अगर किसी दूसरी तरह से अकमोडेट कर सकते हैं तो आपमें से कोई बता दें।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जहां तक रिजर्वेशन की बात का सम्बन्ध है, यह बात ठीक है कि हम 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते। लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी पता होगा और मैं भी हिसार जाता रहता हूं। वहां के स्टाफ से भी मिलता रहता हूं और वहां के लड़कों से भी मिलता रहता हूं। वहां पर इस रिजर्वेशन के मामले में कुछ कंसैशन भी दिये हुए हैं। स्पीकर साहब, जो यूनिवर्सिटी के ऐम्पलाईज हैं, उसके लउ़कों को 5 परसैन्ट मार्क्स ऐडमिशन के टाईम पर दिये जाते हैं। 50 परसैन्ट मार्क्स वाले के 55 परसैन्ट मार्क्स और 55 परसैन्ट वाले के 60 परसैन्ट मार्क्स काउन्ट हो जाते हैं। यह यूनिवर्सिटी बेसिकली फार्मर्ज की यूनिवर्सिटी है। इसका ज्यादा कन्सर्न फार्मर्ज से है। फार्मर्ज के बच्चे तक तक इस यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन नहीं ले सकते जब तक कि आप उनको इस तरह से 5 परसैन्ट, 7 परसैन्ट या 10 परसैन्ट मार्क्स नहीं देते। जब तक आप उनके लिये ऐसा कोई फैसला नहीं करते तब तक फार्मर्ज के बच्चे वहां पर ऐडमिशन नहीं ले सकते। ऐसा ही प्रोवीजन पंजाबी यूनिवर्सिटीी और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, यह बात सब जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के ऐम्पलाईज हैं, उनके बच्चों को तो पढ़ने के बहुत ज्यादा अवसर हैं। उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाती है। अगर हम उनको ही इस तरह से ग्रेस मार्क्स देकर ऐडमिशन में प्रैफरैंस देंगे तो यह बहुत गलत बात होगी। गांव के बच्चों को तो इस मामले में कोई अवसर हीं नहीं मिलता। मेरा कहना यह है कि उनको इस तरह से अवसर मिलना चाहियें।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आप सबको बोलने का कन्सैशन दे रहे हैं तो मैं भी इसका फायदा उठाना चाहता हूं। मुख्यमी महोदय आज सारी बातों का फैसला कर रहे हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि उन बच्चों को जिन्होंने फास्ट अनन्टू डेथ रखा हुआ है, उनको किसी न किसी तरह से परसू करके उनको फास्ट तुडवायें ताकि किसी जवान बेटे का नुक्सान न हो।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, जैसे बहिन जी ने कहा है, स्टाफ के लिये रिजर्वेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। जहां तक वेटेज देने की बात का ताल्लुक है, इस बात का पता करेंगे कि उनको ऐसा क्यों वेटेज दिया जा रहा है? अगर कोई ऐसा वेटेज है तो उनका भी वेटेज मिलना चाहिए। आपको पता ही है कि देहात के बच्चे मैरिट पर कम आते हैं हम चाहते हैं हि देहाती बच्चों की भी दाखिला मिलना चाहिए (विघ्न) मेरा कहना यह है कि यूनिवर्सिटी के किसी भी मामले में ज्यादती होने का कोई चांस नहीं है। मैंने कहा ही वाइस चांसलर से

बात की है। मैंने उनसे कहा कि वह उन बच्चों को बुलाकर समझायें। कल रात ही मेरी वाइस चांसलर से बात हुई है।

एक आवाज: वहां पर तो स्टुडैंटस को ऐक्सपैल भी कर चुके हैं।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, आपको पता है कि यूनिवसिटी का मामला है। हम उसकी ऐडमिनिस्ट्रेशन के मामले में ज्यादा दखल नहीं दे सकते। लेकिन कल रात ही मैंने वाइस चांसलर से बात की है और उन्हें कहा है कि जो लड़का यह महसूस कर ले कि हमसे भूल हो गयी है और आइन्दा वह ऐसा नहीं करेगा, उसे वापिस ले लिया जाये। (व्यवधान व शोर) अन्त में मैं इन शब्दों के साथ आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि यह सदन हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (सैकिन्ड अमैंडमैंट आर्डीनैन्स) 1984 (हरियाणा आर्डिनैन्स न. 6 औफ 1984) की डिसऐप्रूव करता है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Urban Development Authority (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस बिल पर क्लास वाई क्लाज विचार करेगा।

सब–क्लाज (2) आफ क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि सब–क्लाज (2) आफ क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 2

प्रो. सम्पत सिंह (भट्टू कलां): स्पीकर साहब, पंचकूला और फरीदाबाद का काफी जिक्र आ चुका है, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि इन दोनों जगहों पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत से लोगों ने डिस्टिक्रशनरी कोटे में से प्लाट लिये हुए हैं। लेकिन मैं हिसार शहर के बारे में थोड़ा सा जिक्र अवश्य करना चाहता हूं। वहां पर हुड्डा की एक कालोनीहै। जिन लोगों के पास प्लाटस नहीं हे, उनको हुड्डा प्लाट देता है। जब यह अथौरिटी बनी थी तो इसका मतलब यह था जिनके पास प्लाट नहीं हैं, उनको प्लाट दिये जायें। जमीन लेकर, उसको डिवैल्प करके सीवरेज, सड़कें और बिजली वगैरा सारी सुविधायें प्रदान करके प्लाट दिये जायें। आज इस बारे में जो सबसे डेंजरस चीज हो रही है वह यह है कि जिन प्लाटों को हुड्डा रिज्यूम करता है, उनको पिछली प्राईस पर ही अलाट कर

दिया जाता है। कई बार क्या होता है लोग प्लाट का पैसा तो भर देते हैं लेकिन उनके पास पेसा नहीं होता कि उसको बना सकें। वे पैसे की कमी की वजह से बना नहीं सकते। उनके प्लाटस हुड्डा वापिस ले लेता है। उसके बाद उन प्लाटस को उसी रेट पर जो आज से 7 या 10 साल पहले का था और जिस रेट पर पहले अलौट हुआ था, अपने चहेते कुछेक लोगों को अलाट कर दिये जाते हैं। ऐसे कई केस हमारे हिसार में हैं।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): किसी को भी कम या ज्यादा भाव पर प्लाट नहीं दिए गए। सबको एक ही रेट पर प्लाट दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष: इनका मतलब यह है कि जो प्लाट रिज्यूम किए जाते हैं वे पुराने रेट पर ही दे दिये जाते हैं।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, इस तरह के प्लाट के बारे में फैसला कर दिया है कि मौजूदा रेट पर प्लाट अलाट होगा।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं नहीं बताना चाहता कि किन लोगों को इनके हल्के में प्लाट दिए गए हैं, जिनको दिए गए हैं वह इनको पता है। स्पीकर साहब, प्लाट देने के लिए सरकार की अथौरिटी बनी हुई है। वहां से प्राईवेट आदमी भी प्लाट ले सकता है और पोलिटिकल आदमी भी प्लाट ले सकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार अपनी जमीन

को कौड़ियों के भाव सोसायटी बनाने वालों को क्यों देती है? स्पीकर साहब, हिसार में लाइव स्टौक फार्म है .....

श्री अध्यक्ष: इसका इस वक्त क्या सरोकार है?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, वह जमीन बीस रूपए गज के हिसाब से ऐक्वायर की गई .....

श्री अध्यक्ष: यह बात कई दफा डिस्कस हो चुकी है।

प्रो. सम्पत सिंह: लेकिन उसका जवाब तो कोई नहीं आया। वहां पर गजेटिड औफिसर्ज ने एक सोसायअी बनाई। स्पीकर साहब, उसमें गजेटिड अफसर नहीं थे अगर वे हों तब भी बात मान ली जाए अगर वे न हों तो किसी की मिसिज गजेटिड अफसर हो वह भी मान लिया जाए लेकिन गजेटिड अफसर तो नहीं है और वह जमीन पोलिटिकल आदमियों के कौड़ियों के भाव ले ली। अध्यक्ष महोदय, यह गजेटिड औफिसर्ज की सोसायटी कहा रह गई? यह तो प्राइवेट लोगों की सोसायटी बन गई।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अब डिसकशन की बात कहां रह गई? जब मैंने जवाब दे दिया ताो उसे बाद डिसकशन नहीं होनाा चाहिएं

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 5

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 6

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब–क्लाज (1) आफ क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि सब–क्लाज (1) आफ क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

***13.55 बजे**

(तत्पश्चात् सदन वीरवार, दिनांक 6 सितम्बर, 1984 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए *स्थगित हुआ)